

# पी० पी० ओ० पुनरीक्षण विवरण

| क्रम<br>स० | नाम   | पदनाम                       | कोषागार      | पत्रावली स० | पी०पी०ओ० डिस्पैच स०<br>एव दिनांक |            | कोषागार को प्रेषित पत्र<br>स० एव दिनांक |            |
|------------|---|-----------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------|---|------------|
|            |   |                             |              |             | सख्या                            | दिनांक     | सख्या                                   | दिनांक     |
| 1          | मृत्युजय कुमार सिन्हा                       | सहायक अभियन्ता              | वाराणसी      | 10545       | 6324                             | 22.01.2019 | 163                                     | 04.04.2019 |
| 2          | सूर्य प्रसाद तिवारी                         | सहायक अभियन्ता              | बरेली        | 12874       | 8217                             | 06.03.2019 | 9680                                    | 07.03.2019 |
| 3          | मुजीबुद्दीन                                 | सहायक अभियन्ता              | सोनभद्र      | 12778       | 8241                             | 05.03.2019 | 9702                                    | 06.03.2019 |
| 4          | सुरेन्द्र कुमार जैन                         | सहायक अभियन्ता              | गौतमबुद्धनगर | 7360        | 8269                             | 05.03.2019 | 9733                                    | 06.03.2019 |
| 5          | नोखे राम                                    | सहायक समीक्षा अधिकारी       | लखनऊ         | 13106       | 8310                             | 06.03.2019 | 9755                                    | 07.03.2019 |
| 6          | बृज किशोर स्वर्णकार                         | लेखाकार                     | कानपुर नगर   | 12913       | 8362                             | 07.03.2019 | 9782                                    | 08.03.2019 |
| 7          | अशोक कुमार मिश्रा                           | अनुभाग अधिकारी              | लखनऊ         | 13564       | 8364                             | 07.03.2019 | 9784                                    | 08.03.2019 |
| 8          | सुधा श्रीवास्तव पत्नी स्व० राजेन्द्र बिहारी | सहायक अभियन्ता              | प्रयागराज    | 6935        | 8364-A                           | 08.03.2019 | 9884                                    | 09.03.2019 |
| 9          | साहब सिंह                                   | सहायक अभियन्ता              | आगरा         | 12931       | 8366                             | 07.03.2019 | 9821                                    | 08.03.2019 |
| 10         | मुनीष कुमार                                 | सहायक अभियन्ता              | बरेली        | 10357       | 8373                             | 07.03.2019 | 9828                                    | 08.03.2019 |
| 11         | अम्बिका चरन चटर्जी                          | अधिकासी अभियन्ता            | प्रयागराज    | 8430        | 8389                             | 07.03.2019 | 9803                                    | 08.03.2019 |
| 12         | राज कुमार अग्रवाल                           | मुख्य अभियन्ता              | मुजफ्फरनगर   | 8341        | 8394                             | 07.03.2019 | 9809                                    | 08.03.2019 |
| 13         | प्रेम नारायण लाल श्रीवास्तव                 | मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय | लखनऊ         | 8426        | 8400                             | 07.03.2019 | 9799                                    | 08.03.2019 |
| 14         | भरत कुमार चतुर्वेदी                         | समीक्षा अधिकारी             | लखनऊ         | 8425        | 8401                             | 07.03.2019 | 9800                                    | 08.03.2019 |
| 15         | राजपाल सिंह राणा                            | सहायक अभियन्ता              | मेरठ         | 8424        | 8404                             | 07.03.2019 | 9812                                    | 08.03.2019 |
| 16         | अबरार हुसैन                                 | सहायक अभियन्ता              | बदायूँ       | 8374        | 8414                             | 07.03.2019 | 9832                                    | 08.03.2019 |
| 17         | नरेन्द्र कुमार                              | अधिकासी अभियन्ता            | मेरठ         | 12806       | 8415                             | 07.03.2019 | 9833                                    | 08.03.2019 |
| 18         | दिनेश कुमार चतुर्वेदी                       | वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी      | मेरठ         | 13045       | 8421                             | 08.03.2019 | 9839                                    | 11.03.2019 |
| 19         | पद्मा माथुर पत्नी स्व० गोपेश्वर मोहन माथुर  | सहायक अभियन्ता              | लखनऊ         | 8952        | 8440                             | 08.03.2019 | 9858                                    | 09.03.2019 |
| 20         | रामप्यारी पत्नी स्व० एस०आर० गुरुवार         | लेखाकार                     | हाथरस        | 7020        | 8447                             | 08.03.2019 | 9865                                    | 11.03.2019 |
| 21         | तबार कूल्हाह असारी                          | उप महाप्रबन्धक              | लखनऊ         | 9224        | 8492                             | 11.03.2019 | 9964                                    | 12.03.2019 |
| 22         | कान्ती जोशी पत्नी स्व० मोहन चन्द्र जोशी     | अधिकासी अभियन्ता            | मुरादाबाद    | 7015        | 8501                             | 11.03.2019 | 9973                                    | 12.03.2019 |
| 23         | गाहिना परवीन पत्नी स्व० शकील अहमद सिद्दीकी  | लेखाकार                     | बाराबंकी     | 8974        | 8502                             | 11.03.2019 | 9974                                    | 12.03.2019 |
| 24         | बृज राज मिश्रा                              | सहायक अभियन्ता              | फैजाबाद      | 10972       | 8567                             | 11.03.2019 | 10040                                   | 12.03.2019 |
| 25         | लक्ष्मी नारायण त्यागी                       | सहायक अभियन्ता              | मेरठ         | 7832        | 8595                             | 12.03.2019 | 10063                                   | 13.03.2019 |
| 26         | प्रकाश चन्द्र शुक्ला                        | स्टेनोग्राफर                | लखनऊ         | 13171       | 8599                             | 12.03.2019 | 10067                                   | 13.03.2019 |
| 27         | करन सिंह                                    | सहायक अभियन्ता              | प्रयागराज    | 13913       | 8609                             | 12.03.2019 | 10073                                   | 13.03.2019 |
| 28         | मालती देवी पत्नी स्व० मारकण्डेय मिश्रा      | सहायक अभियन्ता              | अम्बेडकर नगर | 10981       | 8616                             | 13.03.2019 | 10089                                   | 14.03.2019 |
| 29         | पृथ्वी पाल                                  | धावक                        | लखनऊ         | 12941       | 8627                             | 13.03.2019 | 10100                                   | 14.03.2019 |

|    |   |                          |              |       |          |            |       |            |
|----|---|--------------------------|--------------|-------|----------|------------|-------|------------|
| 30 | विनाद कुमार गर्ग                              | अधिकासी अभियन्ता         | गौतमबुद्धनगर | 12964 | 8628     | 13.03.2019 | 10101 | 14.03.2019 |
| 31 | नरेन्द्र कुमार                                | अधिकासी अभियन्ता         | गौतमबुद्धनगर | 13241 | 8633     | 13.03.2019 | 10106 | 14.03.2019 |
| 32 | गीता गुप्ता पत्नी स्व० राधेश्याम गुप्ता       | सहायक अभियन्ता           | मुजफ्फरनगर   | 8515  | 8670     | 14.03.2019 | 10157 | 15.03.2019 |
| 33 | गिल चन्द्र                                    | अधिकासी अभियन्ता         | गाजियाबाद    | 13711 | 8675     | 14.03.2019 | 10228 | 15.03.2019 |
| 34 | कृष्ण चद्र शर्मा                              | सहायक अभियन्ता           | गाजियाबाद    | 8513  | 8682     | 14.03.2019 | 10175 | 15.03.2019 |
| 35 | प्रेम शकर                                     | लेखाधिकारी               | गजियाबाद     | 8682  | 8697 - A | 14.03.2019 | 10254 | 15.03.2019 |
| 36 | अरूण कुमार शर्मा                              | प्रशासनिक अधिकारी        | बरेली        | 13079 | 8697     | 14.03.2019 | 10188 | 15.03.2019 |
| 37 | अरूण कान्त श्रीवास्तव                         | सहायक अभियन्ता           | कानपुर       | 13137 | 8704     | 14.03.2019 | 10195 | 15.03.2019 |
| 38 | हेमन्त कुमार सिंह                             | सहायक अभियन्ता           | लखनऊ         | 13232 | 8723     | 15.03.2019 | 10305 | 16.03.2019 |
| 39 | सवाहत अहमद पत्नी स्व० मो० अहमद                | सहायक अभियन्ता           | अलीगढ़       | 13310 | 8761     | 16.03.2019 | 10368 | 18.03.2019 |
| 40 | मुकुट लाल गुप्ता                              | सहायक अभियन्ता           | बुलन्दशहर    | 13301 | 8762     | 16.03.2019 | 10369 | 18.03.2019 |
| 41 | प्रकाश चन्द्र                                 | सहायक अभियन्ता           | लखनऊ         | 13012 | 8764     | 16.03.2019 | 10371 | 18.03.2019 |
| 42 | वकार हुसैन अंसारी                             | अनुभाग अधिकारी           | लखनऊ         | 13318 | 8785     | 16.03.2019 | 10372 | 18.03.2019 |
| 43 | श्रीमती रामरति पत्नी स्व० रामेश्वर            | अनुसूचक                  | लखनऊ         | 13528 | 8784     | 16.03.2019 | 10361 | 18.03.2019 |
| 44 | राम किरान वर्मा                               | अधिकासी अभियन्ता         | बुलन्दशहर    | 11021 | 8808     | 14.03.2019 | 10416 | 15.03.2019 |
| 45 | शिव कुमारी पत्नी स्व० बृजनाथ राम              | सहायक अभियन्ता           | लखनऊ         | 10990 | 8809     | 14.03.2019 | 10417 | 18.03.2019 |
| 46 | अरविन्द पाल सिंह                              | मुख्य अभियन्ता           | गौतमबुद्धनगर | 13382 | 8827     | 18.03.2019 | 10434 | 19.03.2019 |
| 47 | पवन कुमार श्रीवास्तव                          | सहायक अभियन्ता           | गजियाबाद     | 11332 | 8828     | 18.03.2019 | 10435 | 19.03.2019 |
| 48 | इशरत अतहर पत्नी स्व० अतहर हुसैन खॉ            | सहायक अभियन्ता           | पीलीभात      | 13181 | 8834     | 18.03.2019 | 10441 | 19.03.2019 |
| 49 | राज कुमार रस्तोगी                             | अधीक्षण अभियन्ता         | गौतमबुद्धनगर | 13337 | 8851     | 25.03.2019 | 10458 | 26.03.2019 |
| 50 | हर प्रसाद सिंह                                | सहायक अभियन्ता           | आगरा         | 13295 | 8852     | 25.03.2019 | 10459 | 26.03.2019 |
| 51 | अनिल कुमार श्रीवास्तव                         | आशुलिपिक                 | लखनऊ         | 13264 | 8853     | 25.03.2019 | 10480 | 26.03.2019 |
| 52 | सन्तोष कुमार गुप्ता                           | सहायक समीक्षा अधिकारी    | लखनऊ         | 13254 | 8854     | 25.03.2019 | 10481 | 26.03.2019 |
| 53 | माया देवी, पत्नी स्व० राम चरन                 | चपरासी                   | लखनऊ         | 13258 | 8855     | 25.03.2019 | 10482 | 26.03.2019 |
| 54 | श्री कैलश चन्द्र गुप्ता                       | अधिकासी अभियन्ता         | आगरा         | 8622  | 8883     | 25.03.2019 | 10486 | 26.03.2019 |
| 55 | श्री ओम प्रकाश चड्ढा                          | सहायक अभियन्ता           | गजियाबाद     | 8618  | 8884     | 25.03.2019 | 10487 | 26.03.2019 |
| 56 | श्री राम कृष्ण त्रिपाठी                       | महाप्रबन्धक              | कानपुर       | 8630  | 8885     | 25.03.2019 | 10488 | 26.03.2019 |
| 57 | श्रीमती किरन खरे पत्नी स्व० प्रकाश चन्द्र खरे | निजी सचिव श्रेणी-द्वितीय | लखनऊ         | 8633  | 8886     | 25.03.2019 | 10489 | 26.03.2019 |
| 58 | श्री शत्रुघन प्रसाद                           | सहायक अभियन्ता           | आजमगढ़       | 13263 | 8887     | 25.03.2019 | 10490 | 26.03.2019 |
| 59 | श्री नरेन्द्र प्रताप                          | अधिकासी अभियन्ता         | कानपुर       | 13252 | 8888     | 25.03.2019 | 10491 | 26.03.2019 |
| 60 | श्री त्रिलोकी चन्द्र शर्मा                    | सहायक अभियन्ता           | मथुरा        | 8616  | 8889     | 25.03.2019 | 10492 | 26.03.2019 |
| 61 | श्री महेश चन्द्र गुप्ता                       | सहायक अभियन्ता           | हापुड        | 9530  | 8890     | 25.03.2019 | 10493 | 26.03.2019 |
| 62 | हीरा सिंह पत्नी स्व० उदयबीर सिंह              | अधीक्षण अभियन्ता         | प्रयागराज    | 7326  | 8891     | 25.03.2019 | 10494 | 26.03.2019 |
| 63 | शिव बदन                                       | सहायक लेखाधिकारी         | प्रयागराज    | 13432 | 8893     | 19.03.2019 | 10502 | 22.03.2019 |
| 64 | इन्द्रपाल सिंह डागुर                          | सहायक अभियन्ता           | आगरा         | 13048 | 8906     | 16.03.2019 | 10424 | 22.03.2019 |
| 65 | जसपाल सिंह                                    | सहायक अभियन्ता           | आगरा         | 13292 | 8906-A   | 19.03.2019 | 10507 | 22.03.2019 |

|     |   |                        |              |       |        |            |         |            |
|-----|---|------------------------|--------------|-------|--------|------------|---------|------------|
| 66  | श्री मदन लाल गोयल                                       | मुख्य अभियन्ता         | गौतमबुद्धनगर | 6610  | 8943   | 23.03.2019 | 10518   | 25.03.2019 |
| 67  | श्री करुणा शकर शर्मा                                    | सहायक अभियन्ता         | लखनऊ         | 6601  | 8944   | 23.03.2019 | 10519   | 25.03.2019 |
| 68  | श्रीमती मनोरमा जोहरी पत्नी स्व० लक्ष्मी नारायन जोहरी    | लेखाधिकारी             | बदायूँ       | 6612  | 8945   | 23.03.2019 | 10520   | 25.03.2019 |
| 69  | श्री शिव लाल शर्मा                                      | व्यक्तिक सहायक         | अलीगढ़       | 6638  | 8946   | 23.03.2019 | 10521   | 25.03.2019 |
| 70  | निर्मला सक्सेना पत्नी स्व० ए० पी० सक्सेना               | प्रमुख निजी सचिव       | लखनऊ         | 7063  | 8952   | 25.03.2019 | 10527   | 26.03.2019 |
| 71  | श्री रमेश लाल बहल                                       | सहायक अभियन्ता         | सहारनपुर     | 8799  | 8953   | 25.03.2019 | 10528   | 26.03.2019 |
| 72  | श्री राम दत्त भारती                                     | सहायक अभियन्ता         | कानपुर       | 11317 | 8958   | 25.03.2019 | 10533   | 26.03.2019 |
| 73  | फूल चन्द्र सोनी   | चपरासी                 | लखनऊ         | 13435 | 8963   | 25.03.2019 | 10561   | 26.03.2019 |
| 74  | मकेश कुमार सक्सेना                                      | सहायक अभियन्ता         | गाजियाबाद    | 13371 | 8964   | 25.03.2019 | 10562   | 26.03.2019 |
| 75  | विनोद कुमार   | अधीक्षण अभियन्ता       | सहारनपुर     | 9016  | 8965   | 26.03.2019 | 10563   | 27.03.2019 |
| 76  | शिव कुमार शर्मा   | महाप्रबन्धक            | बुलन्दशहर    | 9334  | 8966   | 26.03.2019 | 10564   | 27.03.2019 |
| 77  | श्रीधर राव  | मानचित्रकार            | लखनऊ         | 10139 | 8967   | 26.03.2019 | 10565   | 27.03.2019 |
| 78  | गोमन लाल अकिल   | अधिशाली अभियन्ता       | लखनऊ         | 11103 | 8968   | 26.03.2019 | 10566   | 27.03.2019 |
| 79  | मो० शमीम खॉ   | कार्यालय सहायक-द्वितीय | लखनऊ         | 9852  | 8969   | 26.03.2019 | 10567   | 27.03.2019 |
| 80  | जय गोपाल  | अधिशाली अभियन्ता       | लखनऊ         | 10976 | 8970   | 26.03.2019 | 10568   | 27.03.2019 |
| 81  | ध्रुव प्रसाद सिंघल                                      | अधिशाली अभियन्ता       | आगरा         | 11100 | 8971   | 26.03.2019 | 10569   | 27.03.2019 |
| 82  | गिरीश चन्द्र गुप्ता                                     | मुख्य महाप्रबन्धक      | आगरा         | 9925  | 8972   | 26.03.2019 | 10570   | 27.03.2019 |
| 83  | श्रीमती नीरज सिंह पत्नी स्व० धीरेन्द्र सिंह             | वरिष्ठ सहायक अभियन्ता  | लखनऊ         | 7380  | 8974   | 25.03.2019 | 10576   | 26.03.2019 |
| 84  | मोहम्मद जकी   | सहायक अभियन्ता         | प्रयागराज    | 13569 | 8975   | 25.03.2019 | 10577   | 26.03.2019 |
| 85  | विनोद कुमार शर्मा                                       | सहायक अभियन्ता         | अलीगढ़       | 13567 | 8976   | 25.03.2019 | 10578   | 26.03.2019 |
| 86  | ज्योती कुमार जायसवाल                                    | सहायक अभियन्ता         | लखनऊ         | 13570 | 8977   | 25.03.2019 | 10579   | 26.03.2019 |
| 87  | श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा | सहायक अभियन्ता         | प्रयागराज    | 13563 | 8978   | 25.03.2019 | 10580   | 26.03.2019 |
| 88  | शि पाल सिंह   | सहायक अभियन्ता         | अलीगढ़       | 13565 | 8979   | 25.03.2019 | 10581   | 26.03.2019 |
| 89  | मन मोहन गर्ग  | सहायक अभियन्ता         | गाजियाबाद    | 9745  | 8980   | 25.03.2019 | 10582   | 26.03.2019 |
| 90  | राम बचन राम   | सहायक अभियन्ता         | आजमगढ़       | 13602 | 8981   | 25.03.2019 | 10583   | 26.03.2019 |
| 91  | मदन लाल   | अधिशाली अभियन्ता       | लखनऊ         | 13680 | 8982   | 25.03.2019 | 10584   | 26.03.2019 |
| 92  | श्री जितेन्द्र कुमार जैन                                | अधिशाली अभियन्ता       | लखनऊ         | 9561  | 8983   | 25.03.2019 | 10585   | 26.03.2019 |
| 93  | राधे मोहन   | अधिशाली अभियन्ता       | आगरा         | 13118 | 8983-A | 25.03.2019 | 10585-A | 26.03.2019 |
| 94  | श्रीमती कैलाश वर्मा पत्नी स्व० ज्ञान चन्द्र वर्मा       | मुख्य अभियन्ता         | लखनऊ         | 7317  | 8985   | 25.03.2019 | 10587   | 26.03.2019 |
| 95  | श्री जगदीश सहाय मटनागर                                  | सहायक लेखाधिकारी       | मथुरा        | 7321  | 8986   | 25.03.2019 | 10588   | 26.03.2019 |
| 96  | श्री राम दास सिंह                                       | सहायक अभियन्ता         | वाराणसी      | 9497  | 8991   | 25.03.2019 | 10609   | 26.03.2019 |
| 97  | श्री अजय कुमार गर्ग                                     | मुख्य अभियन्ता         | गौतमबुद्धनगर | 13429 | 8992   | 25.03.2019 | 10610   | 26.03.2019 |
| 98  | श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय                                | सहायक अभियन्ता         | लखनऊ         | 9657  | 8993   | 25.03.2019 | 10611   | 26.03.2019 |
| 99  | श्री मुरली धर   | लेखाधिकारी             | गाजीपुर      | 13427 | 8994   | 25.03.2019 | 10612   | 26.03.2019 |
| 100 | ब्रह्म शकर अस्थाना                                      | सहायक अभियन्ता         | लखनऊ         | 13423 | 8995   | 25.03.2019 | 10613   | 26.03.2019 |
| 101 | श्री राकेश कुमार शर्मा                                  | सहायक अभियन्ता         | मेरठ         | 13134 | 8996   | 26.03.2019 | 10624   | 27.03.2019 |

|     |  |                             |              |       |      |            |       |            |
|-----|--|-----------------------------|--------------|-------|------|------------|-------|------------|
| 102 | महेश चन्द्र निगम                             | उपमहाप्रबन्धक               | आगरा         | 8833  | 8998 | 26.03.2011 | 10626 | 27.03.2019 |
| 103 | देशराज दुबे                                  | मुख्य अभियन्ता              | गौतमबुद्धनगर | 13355 | 8999 | 26.03.2019 | 10627 | 27.03.2019 |
| 104 | विष्णु मालवीय                                | अधीक्षण अभियन्ता            | बलिया        | 13359 | 9000 | 26.03.2019 | 10628 | 27.03.2019 |
| 105 | सतोष प्रसाद श्रीवास्तव                       | अधीक्षण अभियन्ता            | गाजियाबाद    | 7498  | 9002 | 26.03.2019 | 10630 | 27.03.2019 |
| 106 | प्रभावती देवी पत्नी स्व० दीपक कुमार          | चौकीदार                     | प्रयागराज    | 13130 | 9004 | 26.03.2019 | 10632 | 27.03.2019 |
| 107 | श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव                  | सहायक अभियन्ता              | बाराबंकी     | 13140 | 9005 | 26.03.2019 | 10633 | 27.03.2019 |
| 108 | जितेन्द्र नारायण भार्गव                      | उप महाप्रबन्धक              | लखनऊ         | 8624  | 9006 | 26.03.2019 | 10614 | 27.03.2019 |
| 109 | श्री सैय्यद वजाहत हुसैन                      | सहायक अभियन्ता              | बरेली        | 11568 | 9007 | 26.03.2019 | 10615 | 27.03.2019 |
| 110 | श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी स्व० हरिश्चन्द्र | लेखाकार                     | गोण्डा       | 13716 | 9009 | 26.03.2019 | 10617 | 27.03.2019 |
| 111 | श्री अमरेश राय                               | मुख्य अभियन्ता              | लखनऊ         | 13717 | 9010 | 26.03.2019 | 10618 | 27.03.2019 |
| 112 | श्री सतीश कुमार धीमान                        | सहायक अभियन्ता              | गाजियाबाद    | 13710 | 9011 | 26.03.2019 | 10619 | 27.03.2019 |
| 113 | श्रीमती रूबेदा खातून पत्नी स्व० शफीक अहमद    | पी० एस०-प्रथम               | प्रयागराज    | 6670  | 9014 | 26.03.2019 | 10622 | 27.03.2019 |
| 114 | अशोक कुमार सिंह                              | सहायक अभियन्ता              | लखनऊ         | 13455 | 9015 | 26.03.2019 | 10623 | 27.03.2019 |
| 115 | सरमद अहमद फारूकी                             | अधीक्षण अभियन्ता            | लखनऊ         | 13135 | 9017 | 26.03.2019 | 10636 | 27.03.2019 |
| 116 | गान्ती देवी                                  | अनुसूचक                     | लखनऊ         | 13129 | 9018 | 26.03.2019 | 10637 | 27.03.2019 |
| 117 | लोकेश कुमार                                  | अधीक्षण अभियन्ता            | लखनऊ         | 13116 | 9019 | 26.03.2019 | 10638 | 27.03.2019 |
| 118 | ओम प्रकाश सिंह                               | सुरक्षा प्रहरी              | लखनऊ         | 13113 | 9020 | 26.03.2019 | 10639 | 27.03.2019 |
| 119 | राज कुमार गुप्ता                             | सहायक अभियन्ता              | लखनऊ         | 11041 | 9021 | 26.03.2019 | 10640 | 27.03.2019 |
| 120 | सुभाष चन्द्र भार्गव                          | सहायक अभियन्ता              | लखनऊ         | 11036 | 9022 | 26.03.2019 | 10641 | 27.03.2019 |
| 121 | विजय कुमार श्रीवास्तव                        | सहायक अभियन्ता              | लखनऊ         | 11073 | 9023 | 26.03.2019 | 10642 | 27.03.2019 |
| 122 | केशव वीर सक्सेना                             | सहायक अभियन्ता              | लखनऊ         | 11066 | 9024 | 26.03.2019 | 10643 | 27.03.2019 |
| 123 | पार्वती देवी पत्नी स्व० विजय सिंह            | फैरोब्याय                   | लखनऊ         | 11058 | 9025 | 26.03.2019 | 10644 | 27.03.2019 |
| 124 | धनपति देवी पत्नी स्व० राम चरन                | वरिष्ठ लेखाधिकारी           | लखनऊ         | 13138 | 9026 | 26.03.2019 | 10645 | 27.03.2019 |
| 125 | राम बहादुर अग्रवाल                           | सहायक अभियन्ता              | मथुरा        | 11834 | 9027 | 26.03.2019 | 10646 | 27.03.2019 |
| 126 | श्री राजबीर समाधिया                          | अधीक्षण अभियन्ता            | गाजियाबाद    | 13566 | 9029 | 26.03.2019 | 10648 | 27.03.2019 |
| 127 | श्री सत्य प्रकाश तृतीय                       | उप महाप्रबन्धक              | गौतमबुद्धनगर | 9449  | 9030 | 26.03.2019 | 10649 | 27.03.2019 |
| 128 | श्री विनोद कुमार गुप्ता                      | सहायक अभियन्ता              | शाहजहांपुर   | 9024  | 9031 | 26.03.2019 | 10650 | 27.03.2019 |
| 129 | श्री सजय कपूर                                | अधिशाली अभियन्ता            | गौतमबुद्धनगर | 13557 | 9032 | 26.03.2019 | 10651 | 27.03.2019 |
| 130 | श्री बिपिन किशोर सिन्हा                      | मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय | वाराणसी      | 13459 | 9033 | 26.03.2019 | 10652 | 27.03.2019 |
| 131 | श्री राजेन्द्र प्रसाद खरे                    | सहायक अभियन्ता              | कानपुर       | 13581 | 9034 | 26.03.2019 | 10653 | 27.03.2019 |
| 132 | श्री विजय कान्त गुप्ता                       | अधिशाली अभियन्ता            | कानपुर       | 13582 | 9035 | 26.03.2019 | 10654 | 27.03.2019 |
| 133 | श्री श्यामा नन्द मिश्रा                      | सहायक लेखाधिकारी            | वाराणसी      | 13544 | 9036 | 26.03.2019 | 10655 | 27.03.2019 |
| 134 | शिव गोविन्द                                  | लेखाकार                     | प्रयागराज    | 13583 | 9042 | 27.03.2019 | 10656 | 29.03.2019 |
| 135 | क० शमा पुत्री स्व० अब्दुल रशीद               | साइक्लो मशीन आपरेटर         | लखनऊ         | 8491  | 9043 | 27.03.2019 | 10657 | 29.03.2019 |
| 136 | अजय कुमार सक्सेना                            | सहायक अभियन्ता              | बरेली        | 13262 | 9044 | 27.03.2019 | 10658 | 29.03.2019 |
| 137 | सुजीत गौन                                    | कीडा अधिकारी                | लखनऊ         | 13595 | 9045 | 27.03.2019 | 10659 | 29.03.2019 |
| 138 | विजय लक्ष्मी पत्नी स्व० रघुनन्दन सरन         | सहायक अभियन्ता              | मेरठ         | 6735  | 9046 | 27.03.2019 | 10660 | 29.03.2019 |

|     |                          |                   |           |       |      |            |       |            |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------|-------|------|------------|-------|------------|
| 139 | शिव कुमार सिंह           | अधिकाारी अभियन्ता | गाजियाबाद | 13593 | 9047 | 27.03.2019 | 10661 | 29.03.2019 |
| 140 | राम नगीना सिंह           | सहायक अभियन्ता    | कानपुर    | 13597 | 9048 | 27.03.2019 | 10662 | 29.03.2019 |
| 141 | रघुनाथ लाल श्रीवास्तव    | सहायक अभियन्ता    | प्रयागराज | 13600 | 9049 | 27.03.2019 | 10663 | 29.03.2019 |
| 142 | विमल कुमार जैन           | सहायक अभियन्ता    | आगरा      | 9723  | 9050 | 27.03.2019 | 10664 | 29.03.2019 |
| 143 | रामायण राम               | अधीक्षण अभियन्ता  | लखनऊ      | 13754 | 9051 | 27.03.2019 | 10665 | 29.03.2019 |
| 144 | श्री रत्नेश कुमार मित्तल | सहायक अभियन्ता    | इलाहाबाद  | 10288 | 9052 | 27.03.2019 | 10666 | 29.03.2019 |
| 145 | श्री राम आधार त्रिपाठी   | अधिकाारी अभियन्ता | लखनऊ      | 13612 | 9053 | 27.03.2019 | 10667 | 29.03.2019 |
| 146 | श्री राम भजन             | सहायक अभियन्ता    | मुरादाबाद | 13623 | 9054 | 27.03.2019 | 10668 | 29.03.2019 |
| 147 | श्री राजेश कुमार शर्मा   | अधिकाारी अभियन्ता | गाजियाबाद | 13614 | 9055 | 27.03.2019 | 10669 | 29.03.2019 |
| 148 | श्री काशी प्रसाद         | सहायक अभियन्ता    | लखनऊ      | 13693 | 9056 | 27.03.2019 | 10670 | 29.03.2019 |
| 149 | श्री महेन्द्र सिंह       | सहायक अभियन्ता    | गाजियाबाद | 13608 | 9057 | 27.03.2019 | 10671 | 29.03.2019 |
| 150 | श्री अशोक कुमार गुप्ता   | सहायक अभियन्ता    | लखनऊ      | 13609 | 9058 | 27.03.2019 | 10672 | 29.03.2019 |

(गीता मिश्रा)  
लेखाधिकारी (पेन्शन)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

Pension ENGLISH C/N 132201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10545

05-06

उ०प्र०प्र०/

दिनांक-22-1-19

कोषाधिकारी,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                 |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 3224 दिनांक 31-08-05      |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 02-07-1947                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती आशा सिन्हा        |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 20.10.1951                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31.07.2005                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 37400-67000-ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 20,000                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 24295                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 3040                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 21255                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                 |

|     |                              |            |
|-----|------------------------------|------------|
| (झ) | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 14577    |
| (ण) | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 66 छमहियाँ |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं० |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 139100      |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ 69550       |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | लागू नहीं     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं     |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं     |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ 69550       |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 3040        |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 66510       |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ 3040        |
| (फ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं     |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 41730       |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6324

10545

05-06

उ०प्र०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
2. श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 23 मोहनी कुंज कालोनी, महामूरगंज, वाराणसी को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 163 दिनांक 4/4/18 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेवसाइट, उ०प्र०पा०कालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कोषाधिकारी (पेंशन) लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8217

12874

12-13

उपरो/ दिनांक : 06.03.2019

कोषागार  
बरेली

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सूर्य प्रसाद तिवारी

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |           |                             |
|-------|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता |                             |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 5816      | दिनांक 13-09-2012           |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |           | 01.06.1952                  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |           | श्रीमती कमलेश कुमारी तिवारी |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |           | 17.06.1953                  |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |           | 31.05.2012                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |           | छटवें वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |           | (37400-67000 ग्रेड पे 8900) |
| (घ)   | वेतन                         |           | 65,960                      |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    |           | 32,980                      |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         |           | 13192                       |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन |           | 19788                       |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |           | लागू नहीं                   |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर |           | 19788                       |

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) तालिका संख्या 13

(ख) निर्धारित वेतन 1,71,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार 85,550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन 85,550

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 85550

(ङ) राशिकृत पेंशन 13192

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें 72358

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 51330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आरम्भित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8217

12874

12-13

उपरो/ दिनांक : 06.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली

श्री सूर्य प्रसाद तिवारी से०नि० सहायक अभियन्ता, पता म०न० 216, सुभाष नगर, अनाज मण्डी, बरेली

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली

को प्रेषित पत्रांक 9680 दिनांक 07.03.2019

के साथै समक स्थानित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाका लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

06/03/19



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8241

12778

12-13

उ०प्र०/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार सोनमद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं लक्ष्मण में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुजीबुद्दीन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|      |                              |      |                           |
|------|------------------------------|------|---------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार              |      | अधिवर्षता                 |
| (ख)  | पी०पी०ओ० संख्या              | 5956 | दिनांक 22.01.2013         |
| (ग)  | जन्मतिथि                     |      | 01.07.1952                |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |      | श्रीमती सद्दिका खातून     |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |      | 01.01.1961                |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      | 30.06.2012                |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान          |      | छठे वेतनमान               |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  |      | 37400 67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)  | वेतन                         | ₹    | 65960                     |
| (ङ)  | मूल पेंशन                    | ₹    | 32980                     |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹    | 13192                     |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹    | 19788                     |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |      | 32980 दि० 30.06.2017 तक   |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹    | 19788                     |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |      | 40 छमाहियाँ               |

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

|        |   |   |                         |
|--------|---|---|-------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 13 तालिका नं०           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 85550                   |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |   |                         |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 85550                   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं               |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं               |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं               |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹ | 85550                   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 13192                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ | 72358                   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 85550 दि० 30.06.2019 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 19788                   |
| (ञ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | 0                       |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन उधवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर उपर्युक्त इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8241

12778

12-13

उ०प्र०/

दिनांक- 05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत एवं विद्युत संचयन खण्ड, तापीय विद्युत परियोजना, ओबरा, सोनमद
2. श्री मुजीबुद्दीन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता आवास संख्या 1-40, ओबरा कालोनी, पी० ओबरा, सोनमद

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सोनमद को प्रेषित पत्रांक 9702 दिनांक 06.03.2019 के सम्बन्ध में स्थापित कर मुगलान प्राप्ति करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक 05.03.2019  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ





उपरोक्त आवधिकार प्रारंभिका लि०

जनशुद्धि कार्यक्रम (प्रथम)

जनशुद्धि कार्यक्रम (द्वितीय)

जनशुद्धि कार्यक्रम (तृतीय)

दिनांक 29.12.2017 से 31.12.2017 तक



पत्र सं० 8269 7360 1995-1996 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार जैन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण                        | दिनांक | अधिवर्षता         |
|---------|------------------------------|--------|-------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार              |        | अधिवर्षता         |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या              | 277    | दिनांक 26.05.1997 |
| (ग)     | जन्मतिथि                     |        | 07.10.1936        |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |        | लागू नहीं         |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |        | अंकित नहीं        |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |        | 31.10.1994        |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान          |        | चौथा वेतनमान      |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |        | 4250-5600         |
| (घ)     | वेतन                         | ₹      | 4250              |
| (ङ)     | मूल पेंशन                    | ₹      | 6100              |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹      | लागू नहीं         |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹      | 6100              |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |        | लागू नहीं         |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹      | लागू नहीं         |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |        | 64 छमाहियाँ       |

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 12 तालिक सं०                                  |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹ | 1,23,100                                      |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |   |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 61550   |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | 59685   |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | 61550   |
| (ग/1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | 61550   |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त            | ₹ | 61550   |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹ | पुनर्स्थापित                                  |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण मांग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें    | ₹ | 61550   |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | लागू नहीं                                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | लागू नहीं                                     |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | दि० 08.10.16 से 20 प्रतिश अतिरिक्त ₹० 12310/- |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्समय प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8269 7360 1995-1996 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक 5-3-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०,नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता :-50 बी सेक्टर 15 ए० नोएडा।

को इस आशयसे प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर। को प्रेषितपत्रांक 9733 दिनांक 06.03.2019 के समक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(U.P. Power Corporation Limited)

U.P. Power Corporation Limited

PENSION OFFICE, UPPCL, 12/418, INDIRA NAGAR, LAKHNAU



पत्र सं०

8310

13106

12-13

उ०म०प्र०/

दिनांक- 06.03.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नोखे राम

सेवानिवृत्त

सहायक समीक्षा  
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता | दिनांक                   |
|-------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |           |                          |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 5996      | 28.02.2013               |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |           | 04.01.1953               |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |           | श्रीमती मालती देवी       |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |           | अंकित नहीं               |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |           | 31-01-13                 |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |           | छटा वेतनमान              |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  |           | 9300-34800 ग्रेड पे 4200 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹         | 16,330                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹         | 8165                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹         | 3266                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹         | 4899                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |           | 8165 दि० 03.01.18 तक     |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹         | 4899                     |

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

| क्र.   | विवरण   | दिनांक | तारिका नं०            |
|--------|---|--------|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |        | 6 तालिका नं०          |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹      | 42,600                |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹      | 21300                 |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      | 21300                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      | लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹      | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹      | 21300                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹      | 3266                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹      | 18034                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      | 21300 दि० 03.01.20 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      | 12780                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8310

13106

12-13

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री नोखे राम, सहायक समीक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त पता 12/418, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 8755 दिनांक- 07.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

7/3/19



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8362

12913

12-13

उपरो/

दिनांक- 07.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज किशोर स्वर्णकार

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |      |   |
|-------|------------------------------|------|---|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |      | अधिवर्षता   |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6607 | दिनांक 15.10.2014                                     |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |      | 03.05.1952  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |      | श्रीमती कृष्णा कुमारी                                 |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |      | 15.01.1955  |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      | 31.05.2012  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |      | छठों वेतनमान  |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  |      | 37400-67000 ग्रेड पे 8700                             |
| (घ)   | वेतन                         | ₹    | 51910   |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹    | 1 प्रति० दण्डोपरान्त (25955-259.55) 25695.55 ₹० 25696 |
| (घ)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹    | 10278   |
| (ङ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹    | 15418   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |      | 25696 दि० 02.05.2017 तक                               |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹    | 15573   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |      | 40 छमहियाँ  |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 12 तालिका नं०   |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 1,34,500  |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 67250   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं   |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 1 प्रति० दण्डोपरान्त (67250-672.50) 66577.50 ₹० 66578 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 10278   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ      | ₹ | 56300   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 66578 दि० 02.05.2019 तक                               |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 40350   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8362

12913

12-13

उपरो/

दिनांक-07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी, गोविन्दनगर, कानपुर

2. श्री बृज किशोर स्वर्णकार, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता सी-704, पनकी धाना के पीछे, कानपुर

को इस आरायसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर नगर

को प्रेषित पत्रांक 9782 दिनांक 08.03.2019 के आदेश सम्बन्ध

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाका लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8364 13564 14-15 उ०प्र०/ दिनांक- 07.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |                           |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | स्वैच्छिक सेवानिवृत्त     |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 8537 दिनांक 12.08.2014    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 07.01.1959                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती अनीता मिश्रा      |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 15.05.1964                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31.07.2014                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठों वेतनमान              |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 37400-67000 ग्रेड पे 8700 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 70040                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 35020                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 14008                   |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 21012                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | 35020 दि० 30.07.2021 तक   |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 21012                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |                           |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 12 तालिका नं०             |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,80,800                |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                           |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 90400                   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं               |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं               |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं               |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹ 90400                   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 14008                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ 76392                   |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 90400 दि० 30.07.2021 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 54240                   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8364 13564 14-15 उ०प्र०/ दिनांक-07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अशोक कुमार मिश्रा, (स्वैच्छिक) सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता 1/201, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9784 दिनांक 08.03.2019 के सापेक्ष सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8364-A 6935 92-93 उपग्रो/ दिनांक- 08.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार प्रयागराज

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुधा श्रीवास्तव पत्नी स्व० राजेन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण                        | दिनांक | पारिवारिक पेंशन                     |
|---------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार              |        | पारिवारिक पेंशन                     |
| (ख)     | पीपीओओ संख्या                | 9110   | 05.01.1993                          |
| (ग)     | जन्मतिथि                     |        | 08.07.1950                          |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |        | श्रीमती सुधा श्रीवास्तव             |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |        | 08.07.1950                          |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |        | 30.10.1989                          |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान          |        | चतुर्थ वेतनमान                      |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  |        | 2600-4000/15600-39100 ग्रेड पे 5400 |
| (घ)     | वेतन                         | ₹      | 3750                                |
| (ङ)     | मूल पेंशन                    | ₹      | लागू नहीं                           |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹      | लागू नहीं                           |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹      | लागू नहीं                           |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |        | लागू नहीं                           |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹      | 4380                                |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |        | 0                                   |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

| क्र.सं. | विवरण   | दिनांक | वेतन          |
|---------|---|--------|---------------|
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |        | 10 तालिका नं० |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹      | 71,100        |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |        |               |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      | लागू नहीं     |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      | लागू नहीं     |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      | लागू नहीं     |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹      | लागू नहीं     |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹      | लागू नहीं     |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹      | लागू नहीं     |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹      | लागू नहीं     |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      | लागू नहीं     |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      | 21330         |
| (ञ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      | लागू नहीं     |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8364-A 6935 92-93 उपग्रो/ दिनांक-08.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वयित विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
- श्रीमती सुधा श्रीवास्तव पत्नी स्व० राजेन्द्र बिहारी, सहायक अभियन्ता (दिवंगत) पता 816, बाधमबारी सड़क, साकेत अस्पताल के पास, अल्लापुर, प्रयागराज (दासगंज) 211008  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 9884 दिनांक 09.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावकालि, राशिक गवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



उ०प्र० राव० कारपोरेशन लि०

(उ०प्र०) कारपोरेशन का उपकरण  
1977-78 के अन्तर्गत  
1977-78 के अन्तर्गत



पत्र सं० 8366 12931 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक- 07.03.19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री साहब सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |      |                           |
|-------|------------------------------|------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |      | अधिवर्षता                 |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 5946 | दिनांक 18.01.2013         |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |      | 01.07.1952                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |      | श्रीमती सोनकली            |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |      | 01-06-1957                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      | 30-06-12                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |      | छटा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |      | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹    | 65,960                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹    | 32980                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹    | 13192                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹    | 19788                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |      | 32980 दि० 30.06.17 तक     |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹    | 19788                     |

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                       |
|--------|---|---|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 13 तालिका नं०         |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 171,100               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ | लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 85550                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                   | ₹ | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 85550                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 13192                 |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹ | 72358                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 85550 दि० 30.06.19 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 51330                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8366 12931 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2. श्री साहब सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म०न०-1/303, आवास विकास कालोनी, फर्रुखाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 9621 दिनांक- 08.03.19 के तापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक- 08.03.19



पत्र सं०

8373

10357

04-05

उ०म०प्र०/

दिनांक- 07.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, बरेली

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुनीश कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                             |
|-------|------------------------------|---------------------------------------|
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 3063 दिनांक 31.03.2006                |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 09.12.1946                            |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती शशिबाला                       |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 24-07-1952                            |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31-12-04                              |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | पांचवा वेतनमान                        |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 20,000                              |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 24295                               |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 2955                                |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 21340                               |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                             |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 14577                               |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 66 छमहियाँ                            |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं० |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 139,100     |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ लागू नहीं   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 69550       |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                   | ₹ लागू नहीं   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 69550       |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 2955        |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ 66595       |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 41730       |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8373

10357

04-05

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली

2 श्री मुनीश कुमार, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 83 गाँधी नगर, बरेली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली

को प्रेषित पत्रांक 9828 दिनांक- 08.03.19 के सापेक्ष सम्पत्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राक्षित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
राक्षित भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कार० उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

PENSION UNIT U22201UP1999SG0071920



पत्र सं०

8389

8430

2000-01

उ०प्र०/ दिनांक 07.03.2019

कोषागार

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अम्बिका चरन चटर्जी

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |  |
|--------|---|--|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षता                                  |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 1189: दिनांक 31-10-2000                    |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 12.08.1942                                 |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती आरती चटर्जी                        |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 14.09.1947                                 |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.08.2000                                 |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | पाचवाँ वेतनमान                             |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | 18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000 )  |
| (घ)    | वेतन  | 20,900                                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 27,350                                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 3640                                       |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 23710 दिनांक 31.01.2016 तक तदुपरान्त 27350 |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं                                  |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 16410                                      |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 66 छमाहियाँ                                |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |  |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 14                           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,53,000                                   |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |  |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 76,500                                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं                                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं                                  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं                                  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 76500                                      |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 3640                                       |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ      | 72860 दिनांक 31.01.2016 तक तदुपरान्त 76500 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं                                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 45900                                      |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं                                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8389

8430

2000-01

उ०प्र०/ दिनांक 07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन प्रयागराज श्री अम्बिका चरन चटर्जी से०नि० अधिकासी अभियन्ता, पता सी-546, गुरुतेग बहादुर नगर, करेली प्रयागराज
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 9803 दिनांक 08.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature  
07/03/19

लेखाधिकारी प्रभारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/N: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8394

8341

99-2000

उ०प्र०/

दिनांक 07.03.2019

कोषागार

मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज कुमार अग्रवाल

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                                  |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 1742 दिनांक 15-03-2002                     |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 06.05.1942                                 |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती सुमन अग्रवाल                       |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 01.07.1946                                 |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31.05.2000                                 |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | पाचवौं वेतनमान                             |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  | 21350-23975 (63000-78000)                  |
| (घ)   | वेतन                         | 23,450                                     |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | 31,500                                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | 4637                                       |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 26863 दिनांक 01.06.2017 तक तदुपरान्त 31500 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                                  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 7035                                       |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 66 छमाहियाँ                                |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |  |
|--------|---|--|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 15                           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,87,300                                   |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |  |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 93,650                                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं                                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं                                  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं                                  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 93650                                      |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 4637                                       |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | 89013 दिनांक 01.06.2017 तक तदुपरान्त 93650 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं                                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 56190                                      |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं                                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8394

8341

99-2000

उ०प्र०/

दिनांक 07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिचमॉवल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर

श्री राज कुमार अग्रवाल से०नि० मुख्य अभियन्ता, पता 123/01 नार्थ सिविल लाइन्स मुजफ्फरनगर

2. को इस आराय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार,

मुजफ्फरनगर

को प्रेषित पत्राक 9809 दिनांक 08.03.2019

के अंश में सूचना स्थानित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, तखनक।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8400

8426

2000-2001

उ०प्र०/

दिनांक-07.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम नारायण लाल श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

स्तर-2

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता               | दिनांक                  |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |                         |                         |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 1068                    | दिनांक 15.07.2000       |
| (ग)     | जन्मतिथि  |                         | 18.04.1942              |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                         | श्रीमती वीना श्रीवास्तव |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                         | 13.05.1946              |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                         | 30.04.2000              |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |                         | पांचवा वेतनमान          |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | 18400-22400/37400-67000 | ग्रेड-पे-10000          |
| (घ)     | वेतन  | ₹                       | 21900                   |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹                       | 26500                   |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹                       | पुर्नस्थापित            |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹                       | लागू नहीं               |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                         | लागू नहीं               |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹                       | 15900                   |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |                         | 66 छमाहियां             |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                         |                         |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |                         | 14 तालिका नं०           |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹                       | 157600                  |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                         | लागू नहीं               |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹                       | 78800                   |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹                       | लागू नहीं               |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹                       | लागू नहीं               |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹                       | लागू नहीं               |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹                       | 78800                   |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹                       | पुर्नस्थापित            |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹                       | लागू नहीं               |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹                       | लागू नहीं               |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹                       | 47280                   |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹                       | लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8400

8426

2000-2001

उ०प्र०/

दिनांक-07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री प्रेम नारायण लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता-1/31, विवेक खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9799 दिनांक-08.03.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8401

8425

2000-2001

उ०प्र०/

दिनांक-07.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-117 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भरत कुमार चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

समीक्षा अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता               | दिनांक                  |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |                         |                         |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 1049                    | दिनांक 26.06.2000       |
| (ग)     | जन्मतिथि  |                         | 01.09.1941              |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                         | श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                         | 03.01.1956              |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                         | 31.08.1999              |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |                         | पांचवा वेतनमान          |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | 14300-18300/37400-87000 | ग्रेड-पे-8700           |
| (घ)     | वेतन  | ₹                       | 15900                   |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹                       | 23050                   |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹                       | पुनर्स्थापित            |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹                       | लागू नहीं               |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                         | लागू नहीं               |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹                       | 13830                   |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 66                      | छमाहियां                |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                         |                         |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 12                      | तालिका नं०              |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹                       | 126800                  |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                         | लागू नहीं               |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹                       | 63400                   |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹                       | लागू नहीं               |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹                       | लागू नहीं               |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹                       | लागू नहीं               |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹                       | 63400                   |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹                       | पुनर्स्थापित            |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹                       | लागू नहीं               |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹                       | लागू नहीं               |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹                       | 38040                   |
| (ञ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹                       | लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8401

8425

2000-2001

उ०प्र०/

दिनांक-07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री भरत कुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्ता, समीक्षा अधिकारी, पता-289/93, बी-2 निकट बालिका विद्यालय, मोती नगर, लखनऊ-226004

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9800 दिनांक-08.03.2019 के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: J32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8404

8424

2000-2001 उ०म०प्र०/ले०

दिनांक- 07.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजपाल सिंह राणा

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | दिनांक | अधिवर्षता                             |
|-------|---|--------|---------------------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |        |                                       |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   | 1140   | दिनांक 11.09.2000                     |
| (ग)   | जन्मतिथि  |        | 15.07.1942                            |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |        | श्रीमती शान्ती राणा                   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |        | 22.12.1944                            |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |        | 31.07.2000                            |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |        | पांचवा वेतनमान                        |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |        | 16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन  | ₹      | 19,100                                |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹      | 24295                                 |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹      | पुनर्स्थापित                          |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹      | लागू नहीं                             |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |        | लागू नहीं                             |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹      | 14730                                 |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |        | छमाहियाँ 68                           |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |        |                                       |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |        | तालिका नं० 13                         |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹      | 1,35,000                              |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |        |                                       |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      | 67500                                 |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      | लागू नहीं                             |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      | लागू नहीं                             |
| (ग)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹      |                                       |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹      | 67500                                 |
| (च)   | राशिकृत पेंशन   | ₹      | पुनर्स्थापित                          |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹      | लागू नहीं                             |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      | लागू नहीं                             |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      | 40500                                 |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      | लागू नहीं                             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8404

8424

2000-2001 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचामांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क मेरठ।

2. श्री राजपाल सिंह राणा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ए-1-47, असंल कालानी, सूर्योदय विहार, शास्त्री नगर, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ। को प्रेषित पत्रांक 8812 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०र०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

07/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी प्रशासी (पेंशन)

उ० प्र० पा० क० र० लि०

शक्ति भवन लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8414

8374

1999-2000

उ०प्र०/

दिनांक-07.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

बदायूँ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अबरार हुसैन

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिबर्षता              | दिनांक                                   |
|-------|------------------------------|------------------------|--|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |                        |  |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 1508                   | दिनांक 09.08.2001                        |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |                        | 22.02.1941                               |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |                        | श्रीमती अफरोज अबरार                      |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |                        | 08.10.1950                               |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |                        | 28.02.1999                               |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |                        | पांचवा वेतनमान                           |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 8550-13500/37400-67000 | ग्रेड-पे-5400                            |
| (घ)   | वेतन                         | ₹                      | 11025                                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹                      | 12149                                    |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹                      | 2150                                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹                      | 9999/- दि० 29.01.2016 तक तदुपरान्त 12149 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |                        | लागू नहीं                                |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹                      | 3225                                     |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |                        | 66 छमाहियां                              |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 10 तालिका नं०                               |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 67000                                       |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   | लागू नहीं                                   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 33500                                       |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं                                   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं                                   |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं                                   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 33500                                       |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 2150  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संझान न लिया जायें       | ₹ | 31350/- दि० 29.09.2016 तक तदुपरान्त 33500/- |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | लागू नहीं                                   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 20100                                       |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8414

8374

1999-2000

उ०प्र०/

दिनांक-07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम मध्यमचल विद्युत वितरण निगम लि०, बदायूँ।
- श्री अबरार हुसैन, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता- जामा मस्जिद के पास, नागपल, बदायूँ-243601 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बदायूँ।

को प्रेषित पत्रांक 9832 दिनांक-08.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी प्रभारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

बदायूँ, उत्तर प्रदेश

3

अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8415

12806

2012-2013

उपरो/

दिनांक-07.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र कुमार

सेवानिवृत्त

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|      |                              |             |                      |
|------|------------------------------|-------------|----------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार              |             | अधिवर्षता            |
| (ख)  | पीपीओओ संख्या                | 5854        | दिनांक 09.10.2012    |
| (ग)  | जन्मतिथि                     |             | 27.07.1952           |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |             | श्रीमती दीपा रिझवानी |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |             | 19.09.1951           |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |             | 31.07.2012           |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान          |             | छटा वेतनमान          |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 37400-67000 | ग्रेड-पे-10000       |
| (घ)  | वेतन                         | ₹           | 77000                |
| (ङ)  | मूल पेंशन                    | ₹           | 38500                |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹           | 15400                |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹           | 23100                |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |             | लागू नहीं            |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹           | 23100                |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |             | 40 छमाहियां          |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                           |
|--------|---|---|---------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 14 तालिका नं०             |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 199600                    |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   | लागू नहीं                 |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 99800                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं                 |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं                 |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं                 |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹ | 99800                     |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 15400                     |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ | 84400                     |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 99800/- दि० 26.07.2019 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 59880/- तदपुरान्त         |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8415

12806

2012-2013

उपरो/

दिनांक-07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2 श्री नरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त/अधिशाली अभियन्ता, पता-म० नं०-264/1, गली नं०-6, धापर नगर, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मेरठ।

को प्रेषित पत्रांक 9833 दिनांक-08.03.2019 के सम्बन्ध में मुगतान प्राप्त कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकोटि, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8421

13045

2012-2013

उ०म०प्र०/

दिनांक-08.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ कार्मिक  
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता                  | दिनांक                    |
|---------|---|----------------------------|---------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |                            |                           |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 6049                       | दिनांक 15.04.2013         |
| (ग)     | जन्मतिथि  |                            | 12.01.1953                |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                            | श्रीमती आशा चतुर्वेदी     |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                            | 28.08.1955                |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                            | 31.01.2013                |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |                            | छठा वेतनमान               |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 ग्रेड-पे-10000 |                           |
| (घ)     | वेतन  | ₹                          | 65360                     |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹                          | 32680                     |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹                          | 13072                     |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹                          | 19608                     |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                            | 32680/- दि० 11.01.2018 तक |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹                          | 19608                     |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 50 छमाहियां                |                           |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                            |                           |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 14 तालिका नं०              |                           |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹                          | 172200                    |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                            | लागू नहीं                 |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹                          | 86100                     |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹                          | 65228                     |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹                          | 72100                     |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹                          | लागू नहीं                 |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹                          | 72100                     |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹                          | 13072                     |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹                          | 59028                     |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹                          | 72100/- दि० 11.01.2020 तक |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹                          | 51660                     |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹                          | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8421

13045

2012-2013

उ०म०प्र०/

दिनांक-08.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- 2 श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पता-म०नं०-19, द्वितीय तल, विक्टोरिया गार्डन, जेल चुंगी, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मेरठ।

को प्रेषित पत्रांक 9839 दिनांक-11.03.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8440

6952

92-93

उ०प्र०/

दिनांक- 08.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पद्मा माथुर पत्नी स्व० गोपेश्वर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |                              |                                       |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार              | पारिवारिक पेंशन                       |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या              | 9097 दिनांक 16.12.1992                |
| (ग)    | जन्मतिथि                     | 05.07.1940                            |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती पद्मा माथुर                   |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 26.06.1947                            |
| 2. (क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 30.04.1991                            |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान          | चतुर्थ वेतनमान                        |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 3400-4750 / 15600-39100 ग्रेड पे 6600 |
| (घ)    | वेतन                         | ₹ 4375                                |
| (ङ)    | मूल पेंशन                    | ₹ लागू नहीं                           |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ लागू नहीं                           |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ लागू नहीं                           |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | ₹ लागू नहीं                           |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 7221                                |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |                                       |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 11 तालिका नं० |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 80,900      |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |               |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ लागू नहीं   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ लागू नहीं   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ लागू नहीं   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 24270       |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8440

6952

92-93

उ०प्र०/

दिनांक-08.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती पद्मा माथुर पत्नी स्व० गोपेश्वर मोहन माथुर (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता प्लॉट नं० 162, पेकेट 4, सेक्टर-11, द्वारिका साउथ वेस्ट दिल्ली 110075

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9658 दिनांक 09.03.2018 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

08/03/19  
श्रीमती पद्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8447

7020

92-93

उ०म०प्र०/

दिनांक-08.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार हाथरस

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व० एस०आर० गुरुवार सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

| श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व० एस०आर० गुरुवार   | सेवानिवृत्त | लेखाकार                            | का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। |
|---|-------------|------------------------------------|--|
| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   |             |                                    |  |
| (क) पेंशन का प्रकार   |             |                                    | पारिवारिक पेंशन  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   | 9737        | दिनांक 04.10.1994                  |  |
| (ग) जन्मतिथि  |             |                                    | 01.09.1934   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |                                    | श्रीमती रामप्यारी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |                                    | 01.12.1939   |
| 2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |             |                                    | 31.08.1992 / 14.11.2008  |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |             |                                    | चतुर्थ वेतनमान   |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             | 1650-2690/9300-34800 ग्रेड पे 4200 |  |
| (घ) वेतन  | ₹           |                                    | 2315   |
| (ङ) मूल पेंशन   | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |                                    | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹           |                                    | 3579   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             |                                    |  |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |             |                                    |  |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |             | 6 तालिका नं०                       |  |
| (ख) निर्धारित वेतन  | ₹           |                                    | 49,400   |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |             |                                    |  |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹           |                                    | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹           |                                    | 14820  |
| (ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹           |                                    | लागू नहीं  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8447

7020

92-93

उ०म०प्र०/

दिनांक-08.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, हाथरस

2 श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व० एस०आर० गुरुवार, (सेवानिवृत्त/दिवंगत) लेखाकार, बसन्त न्यू अलीगढ़ रोड, राजेन्द्र लोलिया विद्या मन्दिर के पास, हाथरस

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हाथरस को प्रेषित पत्रांक 9865 दिनांक 11.03.2019 के सप्लेस सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, राकित मकान, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)




उमप्रौ पावर कारपोरेशन लि०

(Umpo Power Corporation Limited)

Umpo Power Corporation Limited

Umpo Power Corporation Limited



पत्र सं० 8492 9224 2002-2003 उमप्रौ/लेखा/पेंशन दिनांक-11.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तबार कुल्लाह अंसारी

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)   | पेंशन का प्रकार  | अधिवर्षता                            |
|-------|--|--------------------------------------|
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या  | 1966 दिनांक 31.08.2002               |
| (ग)   | जन्मतिथि   | 31.07.1944                           |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम                                | श्रीमती बहिरत उन निशों               |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                           | अंकित नहीं                           |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                                | 31.07.2002                           |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान                                    | पंचम वेतनमान                         |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                           | 18400-22400/37400-67000 (10000)      |
| (घ)   | वेतन   | ₹ 22400                              |
| (ङ)   | मूल पेंशन  | ₹ 25697/-दि० 20.07.2010 से           |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग                                   | ₹ 3914 (पुनर्स्थापित दि० 30.11.2017) |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                           | ₹ 21783                              |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                             | लागू नहीं                            |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                           | ₹ 15900                              |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                              | 64 छमाहियाँ                          |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |                                      |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| (क)    | पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                       | 14 तालिका सं०  |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,62,300   |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |  |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 81150  |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ 78691  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ 72100  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ 78691  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹ 78691  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 3914 (पुनर्स्थापित दि० 30.11.2017)                     |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ 74777 दि० 01.01.16 से दि० 29.11.17 तदुपरान्त ₹ 78691/- |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 48690  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8492 9224 2002-2003 उमप्रौ/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उमप्रौ पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री तबार कुल्लाह अंसारी सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता-ई-5, अबरार नगर, कल्याणपुर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रौ पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9964 दिनांक 12.03.2019 के सापेक्ष सम्बन्ध

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8501 7015 92-93 उ०प्र०/ दिनांक- 11.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कान्ती जोशी पत्नी स्व० मोहन चन्द्र सेवानिवृत्त अधि०अधि० का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |  |                                       |
|-------|--|---------------------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार  | पारिवारिक पेंशन                       |
| (ख)   | पीपीओओ संख्या  | 9304 दिनांक 05.06.1993                |
| (ग)   | जन्मतिथि   | 17.07.1934                            |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम                                | श्रीमती कान्ती जोशी                   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                           | 10.02.1939                            |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                                | 31.07.1992 / 13.12.2014               |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान                                    | चतुर्थ वेतनमान                        |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                           | 5000-6300 / 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन   | ₹ 6500                                |
| (ङ)   | मूल पेंशन  | ₹ लागू नहीं                           |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग                                   | ₹ लागू नहीं                           |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                           | ₹ लागू नहीं                           |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                             | ₹ लागू नहीं                           |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                           | ₹ 14577                               |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                              |                                       |
| 3     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |                                       |

|        |   |                                 |
|--------|---|---------------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं०                   |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,35,000                      |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                                 |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ लागू नहीं                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                     |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                     |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                     |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹ लागू नहीं                     |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं                     |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ लागू नहीं                     |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं                     |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 40500                         |
| (ञ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ दि० 10.02.19 से 20प्रति० 8100 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त दि०-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8501 7015 92-93 उ०प्र०/ दिनांक-11.03.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद
- श्रीमती कान्ती जोशी पत्नी स्व० मोहन चन्द्र जोशी, (सेवानिवृत्त/दिवंगत) अधिसासी अभियन्ता, पता 21 बाबा सहानन्द गार्ग, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक 9973 दिनांक 12.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, राफिस भवन, लखनऊ।

विभक्त कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
गणित भवन, लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8502 6974 92-93 उ०ग०प०/ दिनांक-11.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार बाराबंकी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शाहिना परवीन पत्नी स्व० शकील सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

|   |      |        |            |                                    |                      |
|---|------|--------|------------|------------------------------------|----------------------|
| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण                       |      |        |            | पारिवारिक पेंशन                    |                      |
| (क) पेंशन का प्रकार                                       |      |        |            |                                    |                      |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या                                       | 9124 | दिनांक | 12.01.1993 |                                    |                      |
| (ग) जन्मतिथि  |      |        |            | 25.06.1946                         |                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम                               |      |        |            |                                    | श्रीमती शाहिना परवीन |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                          |      |        |            |                                    | अंकित नहीं           |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                            |      |        |            |                                    | 21.02.1992           |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान                                   |      |        |            |                                    | चतुर्थ वेतनमान       |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                          |      |        |            | 1650-2690/9300-34800 ग्रेड पे 4200 |                      |
| (घ) वेतन  |      | ₹      |            |                                    | 2180                 |
| (ङ) मूल पेंशन   |      | ₹      |            |                                    | लागू नहीं            |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग                                  |      | ₹      |            |                                    | लागू नहीं            |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                          |      | ₹      |            |                                    | लागू नहीं            |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                            |      |        |            |                                    | लागू नहीं            |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                          |      | ₹      |            |                                    | 3500                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                             |      |        |            |                                    |                      |
| 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |      |        |            |                                    |                      |

|   |  |   |  |              |           |
|---|--|---|--|--------------|-----------|
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |  |   |  | 6 तालिका नं० |           |
| (ख) निर्धारित वेतन  |  | ₹ |  |              | 46,600    |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                       |  |   |  |              |           |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |
| (घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |  | ₹ |  |              | 13980     |
| (ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |  | ₹ |  |              | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8502 6974 92-93 उ०ग०प०/ दिनांक-11.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर

2 श्रीमती शाहिना परवीन पत्नी स्व० शकील अहमद सिद्दीकी, (दिवंगत) लेखाकार, पता बी/275, बेगम गज, बाराबंकी

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बाराबंकी को प्रेषित पत्रांक 9974 दिनांक 12.03.2019 के संपेस सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०ग०प०का०लि०, राफिा भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
बिनलज कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार बाराबंकी  
श्रीमती शकील अहमद सिद्दीकी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर को-ऑपरेटिव)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Co-operative Limited

पेंशन PENSION No. 0322010/P/1999SGC/74928



पत्र सं०

8567

10972

06-07

उ०प्र०/

दिनांक- 11.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, फैजाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज राज मिश्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                 |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 3649 दिनांक 13.07.2006    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 15.04.1948                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती ज्ञानवती मिश्रा   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | अंकित नहीं                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 30-04-06                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 55,210                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 27605                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 7186                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 20419                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                 |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 16563                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 40 छमहियाँ                |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं० |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹ 143,300     |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ लागू नहीं   |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 71650       |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)।। | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं   |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 71650       |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹ 7186        |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ 64464       |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 42990       |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8567

10972

06-07

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद

2. श्री बृज राज मिश्रा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ज्ञान भवन, निराला नगर नई गल्ला मन्डी रोड, खोजनपुर, फैजाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषित पत्रांक 10040 दिनांक- 12.03.19 के साथ सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उपरोक्त कार्यालय लि०

(उपरोक्त कार्यालय लि०)

Bihar State Pension Commission

Bihar State Pension Commission



पत्र सं०

8595

7832

98-99

उपरोक्त/

दिनांक-12.03.2019

कोषाधिकारी,  
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लक्ष्मी नारायण त्यागी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|      |                              |     |                                       |
|------|------------------------------|-----|---------------------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार              |     | अधिवर्षता                             |
| (ख)  | पीपीओओ संख्या                | 670 | दिनांक 22.04.1999                     |
| (ग)  | जन्मतिथि                     |     | 14.02.37                              |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |     | श्रीमती हेमलता त्यागी                 |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |     | 01.01.44                              |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |     | 28.02.95                              |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान          |     | पाचवां वेतनमान                        |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  |     | 16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)  | वेतन                         | ₹   | 23,927                                |
| (ङ)  | मूल पेंशन                    | ₹   | लागू नहीं                             |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹   | लागू नहीं                             |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹   | लागू नहीं                             |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |     | लागू नहीं                             |

|     |                              |   |       |
|-----|------------------------------|---|-------|
| (झ) | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ | 14577 |
|-----|------------------------------|---|-------|

|     |                           |  |             |
|-----|---------------------------|--|-------------|
| (ण) | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा |  | 65 छमाहियाँ |
|-----|---------------------------|--|-------------|

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 13 तालिका नं०                                   |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 131100  |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ | लागू नहीं                                       |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 65550   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | 64557   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | 65550   |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं                                       |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 65550   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | लागू नहीं                                       |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय         | ₹ | 65550   |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | लागू नहीं                                       |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 39330   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | 20 प्रतिशत रू० 13110/- प्र०म० दि० 14.02.2017 से |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8595

7832

98-99

उपरोक्त/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ

2. श्री लक्ष्मी नारायण त्यागी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- मकान नं०-24, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 10063 दिनांक 13.03.2019 के साक्ष्य सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्तकार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

8599

13171

13-14

उ०प्र०/

दिनांक- 12.03.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रकाश चन्द्र शुक्ला

सेवानिवृत्त

स्टेनोग्राफर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता | दिनांक | मूल्य                     |
|-------|------------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |           |        |                           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              |           | 6079   | 22.05.2013                |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |           |        | 26.01.1953                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |           |        | श्रीमती कंचन लता शुक्ला   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |           |        | अंकित नहीं                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |           |        | 31-01-13                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |           |        | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |           |        | 15600-39100 ग्रेड पे 8600 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹         |        | 39,960                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹         |        | 19980                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹         |        | 7992                      |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹         |        | 11988                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |           |        | 19980 दि० 25.01.20 तक     |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹         |        | 11988                     |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |           |        | 40 छमहियाँ                |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |  |                       |
|--------|---|---|--|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   |  | 11 तालिका नं०         |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ |  | 105,600               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ |  | लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |  | 52800                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |  | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |  | लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |  | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ |  | 52800                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ |  | 7992                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ |  | 44808                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |  | 52800 दि० 25.01.20 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |  | 31680                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |  | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि में उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8599

13171

13-14

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री प्रकाश चन्द्र शुक्ला, स्टेनोग्राफर सेवानिवृत्त पता 8वीं गली, पवनपुरी, मुजानपुरा, आलमबाग, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10067

दिनांक- 13.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

8609

13913

2015-2016

सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-12.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

| श्री करन सिंह   | सेवानिवृत्त | सहायक अभियन्ता, | का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। |
|---|-------------|-----------------|--|
| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   |             |                 |  |
| (क) पेंशन का प्रकार   |             |                 | अधिवर्षता  |
| (ख) पीपीओओ संख्या   |             | 7028            | दिनांक 13.05.2016  |
| (ग) जन्मतिथि  |             |                 | 22.12.1955   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |                 | श्रीमती निर्मला देवी   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |                 | 10.11.1958   |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  |             |                 | 31.12.2015   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |             |                 | छठा वेतनमान  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड (रोड में)  |             |                 | 37400-67000 (8900)   |
| (घ) वेतन  |             | ₹               | 74230  |
| (ङ) मूल पेंशन   |             | ₹               | 37115  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  |             | ₹               | 14846  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |             | ₹               | 22269  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |                 | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |             | ₹               | 22269  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             |                 | 40 छमाहियाँ  |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |             |                 |  |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                         |             |                 | 13 तालिका सं०  |
| (ख) निर्धारित वेतन  |             | ₹               | 1,92,500   |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |             |                 |  |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |             | ₹               | 96250  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ग)(II) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                              |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |             | ₹               | 96250  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   |             | ₹               | 14846  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |             | ₹               | 81404  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |             | ₹               | 57750  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |             | ₹               | लागू नहीं  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8609

13913

2015-2016

सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-मूल विद्युत वितरण नियम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
2. श्री करन सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-15डी/3 स्ट्रेची रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 10073 दिनांक 13.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, सं०म०प्र०/का०लि०, शिक्षा भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





उत्तर प्रदेश सरकार  
आयुक्त सचिव, पेंशन  
अम्बेडकर नगर



पत्र सं० 8616 10981 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-13.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अम्बेडकर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व० मारकण्डेय मिश्रा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| क्र.सं. | विवरण  | दिनांक | पारिवारिक पेंशन         |
|---------|--|--------|-------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार  |        | पारिवारिक पेंशन         |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या  | 3678   | 31.07.2006              |
| (ग)     | जन्मतिथि   |        | 01.07.1948              |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम                                |        | श्रीमती मालती देवी      |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                           |        | 01.07.1950              |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                                |        | 30.06.2006 / 18.09.2008 |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान                                    |        | छटा वेतनमान             |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                           |        | 10650-15200 /           |
| (घ)     | वेतन   | ₹      | 15200                   |
| (ङ)     | मूल पेंशन  | ₹      | लागू नहीं               |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग                                   | ₹      | लागू नहीं               |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                           | ₹      | लागू नहीं               |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                             |        | लागू नहीं               |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                           | ₹      | 10306                   |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                              |        | 0                       |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |        |                         |

| क्र.सं. | विवरण   | दिनांक | पारिवारिक पेंशन |
|---------|---|--------|-----------------|
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |        | 11 तालिका सं०   |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹      | 91,100          |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |        |                 |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      | लागू नहीं       |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      | लागू नहीं       |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      | लागू नहीं       |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹      | लागू नहीं       |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹      | लागू नहीं       |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹      | लागू नहीं       |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें       | ₹      | लागू नहीं       |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      | लागू नहीं       |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      | 27330           |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      | लागू नहीं       |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में सूचक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8616 10981 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, अम्बेडकर नगर।
- श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व० मारकण्डेय मिश्रा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता:-सरिया बलरामपुर, जमुनीपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224176.  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अम्बेडकर नगर को प्रेषित पत्रांक 10089 दिनांक 14.03.2019 के सम्बन्ध में स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०या०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०

(30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०)

पं० सं० 12941/12-13 उ०म०प्र०/



पत्र सं०

8627

12941

12-13

उ०म०प्र०/

दिनांक-13.03.2019

कोषाधिकारी,

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पृथ्वी पाल

सेवानिवृत्त

धायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |                          |
|-------|------------------------------|--------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 5800 दिनांक 31-08-2012   |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 10.07.1952               |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती दया देवी पाल     |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | अंकित नहीं               |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31.07.12                 |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठा वेतनमान              |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  | 9300-34800 ग्रेड पे 4200 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 20,420                 |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 10210                  |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 4084                   |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 6126                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 6126                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 40 छमहियाँ               |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 6 सी तालिका नं०         |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 59000                 |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | लागू नहीं               |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 29500                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 29500                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 4084                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹ 25416                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 29500 दि० 09.07.19 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 17700                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8627

12941

12-13

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री पृथ्वी पाल, धायक सेवानिवृत्त पता एल०-1003ए, सेक्टर-आई० एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10100 दिनांक 14/03/2019 के साथ संपर्क

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
लखनऊ



उपरोक्त कार्य को प्रमाणित करने के लिए

(उपरोक्त कार्य को प्रमाणित करने के लिए)

(उपरोक्त कार्य को प्रमाणित करने के लिए)

(उपरोक्त कार्य को प्रमाणित करने के लिए)

(उपरोक्त कार्य को प्रमाणित करने के लिए)



पत्र सं० 8628 12964 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक- 13.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार गर्ग सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |      |                            |
|-------|------------------------------|------|----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |      | अधिवर्षता                  |
| (ख)   | पीपीओओ संख्या                | 5884 | दिनांक 09.11.12            |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |      | 07.07.52                   |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |      | श्रीमती शशी गर्ग           |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |      | 22-08-1957                 |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      | 31.07.12                   |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |      | छठा वेतनमान                |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |      | 37400-67000 ग्रेड पे 10000 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹    | 76,100                     |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹    | 38050                      |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹    | 15220                      |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹    | 22830                      |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |      | लागू नहीं                  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹    | 22830                      |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |      | 40 छमाहियाँ                |

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                       |
|--------|---|---|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 14 तालिका नं०         |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 199800                |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ | लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 99800                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹ | 99800                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 15220                 |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹ | 84580                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 99800 दि० 08.07.19 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 59880                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8628 12964 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

2. श्री विनोद कुमार गर्ग, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता सी-218 टेलीकाम सिटी, सेक्टर-82 नोएडा, गौतमबुद्धनगर

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 10101 दिनांक 14.03.2019 के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषागार, गौतमबुद्धनगर

दिनांक 14.03.2019



कोषाधिकारी,

कोषागार, गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिदिव्यता | दिनांक     | मूल्य                      |
|-------|------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |            |            |                            |
| (ख)   | पीपीओओ संख्या                | 6598       | 29.09.14   |                            |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |            |            | 18.08.1953                 |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |            |            | श्रीमती सजीता अरोड़ा       |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |            |            | 01-04-1960                 |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |            |            | 31-08-13                   |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |            |            | छठा वेतनमान                |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |            |            | 37400-67000 ग्रेड पे 10000 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹          |            | 77,000                     |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹          |            | 38500                      |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹          |            | लागू नहीं                  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹          |            | लागू नहीं                  |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |            |            | 38500 दि० 17.08.18 तक      |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹          |            | 23100                      |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |            | 40 छमहियाँ |                            |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

| क्र.   | विवरण   | दिनांक        | मूल्य                 |
|--------|---|---------------|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 14 तालिका नं० |                       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹             | 199,600               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹             | लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹             | 99800                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹             | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹             | लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹             | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹             | 99800                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹             | लागू नहीं             |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹             | लागू नहीं             |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹             | 99800 दि० 17.08.20 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹             | 59880                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹             | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

2. श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ए-82, रामप्रस्थ कालोनी, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 10106 दिनांक- 14.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्तकार्यालय, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Enterprises

FORM PENSION/CH/PO/2201UP/1999/56402/928



पत्र सं०

8670

8515

2000-01

उ०प्र०/ दिनांक 14.03.2019

कोषागार

मुजफ्फरनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गीता गुप्ता पत्नी स्व० राधेश्याम गुप्ता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | पारिवारिक                                |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 1596 दिनांक 27-10-2001                   |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 19.07.1945                               |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती गीता गुप्ता                      |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 10.10.1952                               |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 11.03.1999                               |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | पाचवाँ वेतनमान                           |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000) |
| (घ)   | वेतन                         | 19,400                                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | लागू नहीं                                |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | लागू नहीं                                |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | लागू नहीं                                |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                                |

|     |                              |             |
|-----|------------------------------|-------------|
| (झ) | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 16410       |
| (ण) | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 64 छमाहियाँ |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) | तालिका संख्या 14 |
| (ख) | निर्धारित वेतन   | 1,44,200         |

### 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 72,100    |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं |

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                              | लागू नहीं |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                   | लागू नहीं |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | लागू नहीं |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें | लागू नहीं |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 43260     |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8670 8515 2000-01 उ०प्र०/ दिनांक 14.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिचमौचल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर  
श्रीमती गीता गुप्ता पत्नी स्व० राधेश्याम गुप्ता सहायक अभियन्ता पता 163/35 आलमकुंज स्टेट बैंक कालोनी के सामने जानसठ रोड मुजफ्फरनगर
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक 10157 दिनांक 15.03.2019 के सम्बन्ध में स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

*(Handwritten Signature)*  
14/3/19

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
मुजफ्फरनगर



कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

**विषय-** कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं-277 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री शील चन्द्र सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

| (क)    | पेंशन का प्रकार  | अधिवर्षता             |            |
|--------|--|-----------------------|------------|
| (ख)    | पीपीओ संख्या एवं दिनांक  | 2690                  | 11-06-2015 |
| (ग)    | जन्मतिथि   | 12-03-1955            |            |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम  | श्रीमती शर्मावती      |            |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | 12-01-1962            |            |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवगत तिथि   | 31-03-2015            |            |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान  | छठा वेतनमान           |            |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)   | 37400-67000 GP 8900   |            |
| (घ)    | वेतन   | Rs. 72,060.00         |            |
| (ङ)    | पूर्व प्राधिकृत पेंशन  | Rs. 36,030.00         |            |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग   | Rs. 14,412.00         |            |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | Rs. 12,618.00         |            |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | 36030 upto 11-03-2020 |            |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | Rs. 21,618.00         |            |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा  | 40                    |            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |                       |            |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13                    |            |
| (ख)    | निर्धारित वेतन   | Rs. 1,86,900.00       |            |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                     |                       |            |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार   | Rs. 93,450.00         |            |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                   | लागू नहीं             |            |
| (ग)    | शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं             |            |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                 | लागू नहीं             |            |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                      | Rs. 93,450.00         |            |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन  | Rs. 14,412.00         |            |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय      | Rs. 79,038.00         |            |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 18.12.18                                      | 93450 upto 11-03-2022 |            |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | Rs. 56,070.00         |            |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | लागू नहीं             |            |

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं-8675/उम0प्र0/लेखा/पेंशन/13711/14-15

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
- श्री शील चन्द्र सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-कं० एम० 187, कठिनगर, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्र0का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
मनोज कुमार  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं 8682 8513 2000-2001 उम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक-14.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण चंद शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र  | विवरण   | अधिवर्षता                                   |
|------|---|---|
| (क)  | पेंशन का प्रकार   |   |
| (ख)  | पी0पी0ओ0 संख्या   | 1395 दिनांक 16.04.2001                      |
| (ग)  | जन्मतिथि  | 04.06.1942                                  |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती शशि प्रभा                           |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 07.07.1950                                  |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 30.06.2000                                  |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान   | पांचवां वेतनमान                             |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 18400-22400/37400-87000 ग्रेड पे-10000      |
| (घ)  | वेतन  | ₹ 19,900                                    |
| (ङ)  | मूल पेंशन   | ₹ 27350                                     |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ 3640                                      |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ 23710 दि0 16.07.2016 तक तदुपरान्त ₹ 27350 |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं                                   |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 16410                                     |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | छमाहियाँ 66                                 |
| 3.   | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |   |
| (क)  | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं0 14                               |
| (ख)  | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,48,500                                  |
| 4.   | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |
| (क)  | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 74250                                     |
| (ख)  | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं                                   |
| (ग)  | शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं                                   |
| (घ)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं                                   |
| (ङ)  | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 74250                                     |
| (च)  | राशिकृत पेंशन   | ₹ 3640                                      |
| (छ)  | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे        | ₹ 70610 दि0 16.07.2016 तक तदुपरान्त ₹ 74250 |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं                                   |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 44550                                     |
| (ण)  | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 8682 8513 2000-2001 उम0प्र0/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।
- श्री कृष्ण चंद शर्मा, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-डी-591, गोविन्दपुरम्, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक 10175 दिनांक 15.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उम0प्र0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

14/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8697-A

8682

2000-2001 उ०म०प्र०/

दिनांक-14.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम शंकर

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक      | मूल्य                              |
|---------|---|-----------|-------------|------------------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |             |                                    |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   |           | 1328        | दिनांक 26.02.2001                  |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |             | 05.01.1943                         |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |             | श्रीमती सरोज देवी                  |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |             | 01.01.1952                         |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |             | 31.01.2001                         |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |             | पांचवा वेतनमान                     |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           | 14300-18300 |                                    |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |             | 15500                              |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |             | 23050                              |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |             | 1773 (पुनर्स्थापित दि० 26.05.2018) |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |             | 21277                              |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |             | लागू नहीं                          |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |             | 13830                              |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | 55          | छमाहियां                           |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |             |                                    |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           | 12          | तालिका सं०                         |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |             | 123100                             |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |             | लागू नहीं                          |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |             | 61550                              |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |             | 51292                              |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |             | 61550                              |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |             | लागू नहीं                          |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹         |             | 61550                              |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |             | 1773                               |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |             | 59777                              |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |             | लागू नहीं                          |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |             | 36930                              |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |             | लागू नहीं                          |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8697-A

8682

2000-2001 उ०म०प्र०/

दिनांक-14.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री प्रेम शंकर, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-451 कृष्णा नगर, विजय नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह भुगतान प्राप्त करें।

कोषागार गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक 10254 दिनांक-15.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन विहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा०क० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8697 13079 12-13 उम090/ दिनांक- 14.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरुण कुमार शर्मा सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

| क्र.सं. | विवरण   | प्रमाण | दिनांक            | अधिकृतता                  |
|---------|---|--------|-------------------|---------------------------|
| 1.      | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण  |        |                   |                           |
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |        |                   | अधिवर्षता                 |
| (ख)     | पीपीओ संख्या  | 6023   | दिनांक 18.03.2013 |                           |
| (ग)     | जन्मतिथि  |        |                   | 01.01.1953                |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |        |                   | डा० रेखा शर्मा            |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |        |                   | 12.01.1956                |
| 2.      | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |        |                   | 31.12.2012                |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |        |                   | छठों वेतनमान              |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |        |                   | 15600-39100 ग्रेड पे 6600 |
| (घ)     | वेतन  | ₹      |                   | 35040                     |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹      |                   | 17520                     |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹      |                   | 7008                      |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹      |                   | 10512                     |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |        |                   | 17520 दि० 31.12.2017 तक   |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹      |                   | 10512                     |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |        |                   | 40 छमहियाँ                |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |        |                   |                           |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |        |                   | 11 तालिका नं०             |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹      |                   | 91,100                    |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |        |                   |                           |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      |                   | 45550                     |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      |                   | लागू नहीं                 |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      |                   | लागू नहीं                 |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹      |                   | लागू नहीं                 |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹      |                   | 45550                     |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹      |                   | 7008                      |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹      |                   | 38542                     |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      |                   | 45550 दि० 31.12.2019 तक   |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      |                   | 27330                     |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      |                   | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8697 13079 12-13 उम090/ दिनांक-14.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसाक्षी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली
- श्री अरुण कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता ई-1075, राजेन्द्र नगर, बरेली

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक 10188 दिनांक 15.03.2019 के सम्पेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसाक्षी अभियन्ता, वेबसाइट, उमग्रोपावरकॉर्पोरेशन लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 14.03.2019

कोषाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 14.03.2019



पत्र सं०

8704

13137

13-14

उ०प्र०/

दिनांक- 14.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरुण कान्त श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

|       |                              |      |                           |
|-------|------------------------------|------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |      | अधिवर्षता                 |
| (ख)   | पीपीओओ संख्या                | 6109 | दिनांक 17.06.2013         |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |      | 15.04.1953                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |      | श्रीमती कचन श्रीवास्तव    |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |      | 01-01-1957                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      | 30-04-13                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |      | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |      | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹    | 67,940                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹    | 33970                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹    | 13588                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹    | 20382                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |      | 33970 दि० 14.04.18 तक     |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹    | 20382                     |

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                       |
|--------|---|---|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 13 तालिका नं०         |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 176,200               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ | लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 88100                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹ | 88100                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 13588                 |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ | 74512                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 88100 दि० 14.04.20 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 52860                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8704

13137

13-14

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर-208019

2. श्री अरुण कान्त श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता प०नं०-115/191, सर्वोदय विद्या मन्दिर, मसवानपुर, पो०-रावतपुर, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक 10195 दिनांक- 15.03.19 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०प०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8723

13232

13-14

उ०प्र० /

दिनांक- 15.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री हेमन्त कुमार सिंह

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र. | विवरण                        | दिनांक | अधिवर्षता         | विवरण                     |
|------|------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार              |        |                   | श्रीमती प्रतिमा सिंह      |
| (ख)  | पी०पी०ओ० संख्या              | 6225   | दिनांक 20.09.2013 | 19.06.1949                |
| (ग)  | जन्मतिथि                     |        |                   | 31.05.2013                |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |        |                   | छठों वेतनमान              |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |        |                   | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |        |                   | 31.05.2018 तक             |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान          |        |                   | 18837                     |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |        |                   | 31395 दि० 19.05.2018 तक   |
| (घ)  | वेतन                         | ₹      |                   | 62790                     |
| (ङ)  | मूल पेंशन                    | ₹      |                   | 31395                     |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹      |                   | 12558                     |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹      |                   | 18837                     |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |        |                   | 31395 दि० 19.05.2018 तक   |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹      |                   | 18837                     |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |        |                   | 40 छमहियाँ                |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |               |                         |
|--------|---|---|---------------|-------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 13 तालिका नं० |                         |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ |               | 1,66,100                |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |               |                         |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |               | 83050                   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |               | लागू नहीं               |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |               | लागू नहीं               |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |               | लागू नहीं               |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ |               | 83050                   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ |               | 12558                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ |               | 70492                   |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |               | 83050 दि० 19.05.2020 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |               | 49830                   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |               |                         |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8723

13232

13-14

उ०प्र० /

दिनांक-15.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री हेमन्त कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता फ्लैट सं० 504, निर्माण प्रेसिडेंसी अपार्टमेंट, बी-305 सेक्टर-बी, महानगर, लखनऊ 226006

को इस आधारसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10305 दिनांक 16.03.2019 के साक्षात् सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



कोषाधिकारी,  
कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सवाहत अहमद पत्नी स्व० मो० सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अहमद

| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   | पारि० पेंशन |                           |
|---|-------------|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार   |             |                           |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   | 6288        | दिनांक 12.11.13           |
| (ग) जन्मतिथि  |             | 18.07.1955                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             | श्रीमती सवाहत अहमद        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             | 29-05-1967                |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  |             | 20-12-12                  |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |             | छठा वेतनमान               |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन  | ₹           | 65,940                    |
| (ङ) मूल पेंशन   | ₹           | लागू नहीं                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹           | लागू नहीं                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹           | लागू नहीं                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             | 32970 दि० 19.12.22 तक     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹           | 19782                     |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             | 40 छमाहियां               |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |             |                           |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |             | 13 तालिका नं०             |
| (ख) निर्धारित वेतन  | ₹           | 171,100                   |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       | ₹           | लागू नहीं                 |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹           | लागू नहीं                 |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹           | लागू नहीं                 |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹           | लागू नहीं                 |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, क अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                | ₹           | लागू नहीं                 |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹           | लागू नहीं                 |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   | ₹           | लागू नहीं                 |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹           | लागू नहीं                 |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹           | 85550 दि० 19.12.22 तक     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹           | 51330                     |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹           | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़

2. श्रीमती सवाहत अहमद पत्नी स्व० मो० अहमद, सहायक अभियन्ता पता बिजनौर हाउस, यूनाइटेड कालोनी, अमीर निगा, अलीगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 10368 दिनांक- 18.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



श्री १००० नं० कायदा सं० १९४७

श्री १००० नं० कायदा सं० १९४७

श्री १००० नं० कायदा सं० १९४७

श्री १००० नं० कायदा सं० १९४७



पत्र सं०

8762

13301

13-14

उ०म०प्र०/

दिनांक- 16.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुकुट लाल गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र. | विवरण                        | दिनांक | अधिवर्षता                 |
|------|------------------------------|--------|---------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार              |        |                           |
| (ख)  | पी०पी०ओ० संख्या              | 6604   | 09.10.14                  |
| (ग)  | जन्मतिथि                     |        | 01.07.1952                |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |        | श्रीमती कमलेश गुप्ता      |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |        | 01-01-1956                |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |        | 30-06-12                  |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान          |        | छठा वेतनमान               |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |        | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)  | वेतन                         | ₹      | 65,940                    |
| (ङ)  | मूल पेंशन                    | ₹      | 32970                     |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹      | 13188                     |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹      | 19782                     |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |        | 32970 दि० 30.06.17 तक     |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹      | 19782                     |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |        | 40 छमाहियाँ               |

2. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                       |
|--------|---|---|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 13 तालिका नं०         |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 171,100               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ | लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 85550                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 85550                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 13188                 |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ | 72362                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 85550 दि० 30.06.19 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 51330                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू होना का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8762

13301

13-14

उ०म०प्र०/

दिनांक-

व्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवरोधक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर
- श्री मुकुट लाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म०न० 389, मो० बुर्ज उस्मान खां खुर्जा, जिला बुलन्दशहर  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक 10369 दिनांक- 18.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

आधिकारिक मुद्रा



बिहार सरकार  
कारपोरेशन विभाग  
पटना



पत्र सं० 8764 13012 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक- 16.03.19

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रकाश चन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | दिनांक | अधिवर्षता                 |
|-------|------------------------------|--------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |        |                           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 5916   | 14.12.12                  |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |        | 26.05.52                  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |        | श्रीमती पूनम श्रीवास्तव   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |        | 03-08-1957                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |        | 31-05-12                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |        | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  |        | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹      | 60,960                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹      | 30480                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹      | 12192                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹      | 18288                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |        | 30480 दि० 25.05.17 तक     |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹      | 18288                     |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |        | 40 छमहियाँ                |

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                       |
|--------|---|---|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (अ.देश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 13 तालिका न०          |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 161,300               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ | लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 80650                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 80650                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 12192                 |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकृत भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ | 68458                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 80650 दि० 25.05.19 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 48390                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8764 13012 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसाक्षी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री प्रकाश चन्द्र, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 12-ए सरस्वती विहार, सेक्टर-17, इन्दिरा नगर, लखनऊ  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10371 दिनांक- 18.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसाक्षी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

8765

13318

13-14

उ०प्र०प्र०/

दिनांक- 16.03.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वकार हुसैन अंसारी

सेवानिवृत्त

अनुभाग अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |      |                           |
|-------|------------------------------|------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |      | अधिवर्षता                 |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6259 | दिनांक 11.10.2013         |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |      | 04.09.1953                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |      | श्रीमती शमीम बेगम अंसारी  |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |      | 20-07-1963                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      | 30-09-13                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |      | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |      | 37400-67000 ग्रेड पे 8700 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹    | 68,000                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹    | 34000                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹    | 13600                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹    | 20400                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |      | 34000 दि० 03.09.18 तक     |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹    | 20400                     |

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                       |
|--------|---|---|-----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                         |   | 12 तालिका न०          |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 175,500               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                     | ₹ | लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 87750                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं             |
| (ग)(i) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 87750                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 13600                 |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ | 74150                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 74150 दि० 03.09.22 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 52650                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

8765

13318

13-14

उ०प्र०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री वकार हुसैन अंसारी, अनुभाग अधिकारी सेवानिवृत्त पता मकान नं० 537च/89 शेरवानी नगर, लखनऊ वि०वि० द्वितीय कैम्पस के सामने, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10372 दिनांक- 18.03.19 के सापेक्ष प्रत्येक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8784

13528

14-15

उ०प्र०/

दिनांक- 16.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रामरति पत्नी स्व० रामेश्वर

सेवानिवृत्त

अनुसेवक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | दिनांक | पारिवारिक पेंशन          |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |        | पारिवारिक पेंशन          |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6645   | दिनांक 26.11.2014        |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |        | 09.08.1954               |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |        | श्रीमती रामरति           |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |        | अंकित नहीं               |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |        | 30.09.2014 / 18.01.2016  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |        | छठों वेतनमान             |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  |        | 9300-34800 ग्रेड पे 4200 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹      | 22030                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹      | लागू नहीं                |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹      | लागू नहीं                |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹      | लागू नहीं                |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |        | 11015 दि० 07.09.2019 तक  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹      | 6609                     |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |        | लागू नहीं                |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                         |
|--------|---|---|-------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 6 तालिका नं०            |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 57,300                  |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |                         |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | लागू नहीं               |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं               |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं               |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं               |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | लागू नहीं               |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | लागू नहीं               |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ | लागू नहीं               |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | 28850 दि० 07.09.2021 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 17190                   |
| (ञ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8784

13528

14-15

उ०प्र०/

दिनांक-16.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती रामरति पत्नी स्व० रामेश्वर, (सेवानिवृत्त/दिवंगत) चपरवासी, पता दुर्गागंज, काकोरी, लखनऊ को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 10361 दिनांक 18.03.2019 के साथ सम्पर्क

लेखाधिकारी (पेंशन)

विद्युत एवं यांत्रिक इकाई


शक्ति भवन, लखनऊ

दिनांक 16.03.2019

पत्र सं० 10361

दिनांक 18.03.2019





पत्र सं० 8808 11021 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-14.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम किशन वर्मा सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   | सेवानिवृत्त | अधिशासी अभियन्ता, | का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। |
|---|-------------|-------------------|--|
| (क) पेंशन का प्रकार   |             |                   | अधिवर्षता  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   |             | 3818/3918         | दिनांक 07.11.2006  |
| (ग) जन्मतिथि  |             |                   | 01.08.1948   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |                   | श्रीमती लक्ष्मी वर्मा  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |                   | 10.01.1955   |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  |             |                   | 31.07.2006   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |             |                   | छठा वेतनमान  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             |                   | 37400-67000 (10000)  |
| (घ) वेतन  |             | ₹                 | 65630  |
| (ङ) मूल पेंशन   |             | ₹                 | 32815  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  |             | ₹                 | 11374  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |             | ₹                 | 21441  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |                   | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |             | ₹                 | 19689  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             |                   | 40 छमाहियाँ  |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |             |                   |  |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |             |                   | 14 तालिका सं०  |
| (ख) निर्धारित वेतन  |             | ₹                 | 1,72,200   |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |             |                   |  |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |             | ₹                 | 86100  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |             | ₹                 | लागू नहीं  |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |             | ₹                 | लागू नहीं  |
| (ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               |             | ₹                 | लागू नहीं  |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |             | ₹                 | 86100  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   |             | ₹                 | 11374  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |             | ₹                 | 74726  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |             | ₹                 | लागू नहीं  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |             | ₹                 | 51660  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |             | ₹                 | लागू नहीं  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8808 11021 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्माचल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।
2. श्री राम किशन वर्मा सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-40 नं०-4, इन्दिरा नगर, भूण, परिहार नर्सिंग होम वाली गली, बुलन्दशहर।  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक 10416 दिनांक 15.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०प०क०सि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं० 8809 10990 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-14.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शिव कुमारी पत्नी स्व० बृजनथ राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण                          | पारिवारिक पेंशन        |
|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                                       | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या                                       | 3749 दिनांक 18.09.2006 |
| (ग) जन्मतिथि  | 01.03.1947             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम                               | श्रीमती शिव कुमारी     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                          | 17.02.1952             |
| 2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                             | 31.07.2005/18.09.2012  |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान                                   | पंचम वेतनमान           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                          | 16400-20000            |
| (घ) वेतन  | ₹ 20000                |
| (ङ) मूल पेंशन   | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग                                  | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                          | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                            | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                          | ₹ 14577                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                             | 0                      |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |                        |

|   |               |
|---|---------------|
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका सं० |
| (ख) निर्धारित वेतन  | ₹ 1,39,100    |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |               |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ लागू नहीं   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं   |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               | ₹ लागू नहीं   |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ लागू नहीं   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ लागू नहीं   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 41730       |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8809 10990 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री बृजनथ राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-42 प्रगति विहार कल्याणपुर (परिषद), नियर एवन पब्लिक स्कूल, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10417 दिनांक 18.03.2019 के सम्बन्ध में कार्य कर स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
U.P. Government Undertaking  
REGISTRATION NO. 1220TU/19/95SG02/22



पत्र सं० 8827

13382

13-14

उ०म०प्र०/

दिनांक- 18.03.19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द पाल सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता                  |
|-------|------------------------------|----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |                            |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6369 दिनांक 19.02.14       |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 01.01.1954                 |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती रीता सिंह          |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 17-09-1957                 |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31-12-13                   |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठा वेतनमान                |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 37400-67000 ग्रेड पे 10000 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 77,000                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 38500                    |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 15400                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 23100                    |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | ₹ 38500 दि० 31.12.18 तक    |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 23100                    |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 40 छमाहियाँ                |

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 14 तालिका नं०           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 199,600               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ लागू नहीं             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 99800                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 99800                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 15400                 |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ 84400                 |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 99800 दि० 31.12.20 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 59880                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8827

13382

13-14

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण। जम्हा-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)
- श्री अरविन्द पाल सिंह, मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त पता डिजाइनर्स पार्क सोसाइटी, बी-601 प्लॉट सं० बी-9/1ए सेक्टर-62, नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 10434 दिनांक- 19.03.19 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारो लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० मानव कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकारी कारपोरेशन)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं० 8828 11332 07-08 उ०प्र०/ दिनांक- 18.03.19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पवन कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |                           |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | स्वैच्छिक से०नि०          |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6203 दिनांक 10.09.2013    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 02.10.1949                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती रीता कुमार        |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 01-02-1952                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 29-02-08                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 58,580                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 29290                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 9446                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 19844                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                 |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 17574                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 40 छमाहियाँ               |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं० |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 152,000     |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ लागू नहीं   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 76000       |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं   |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 76000       |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 9446        |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ 66554       |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 45600       |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8828 11332 07-08 उ०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री पवन कुमार, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 159 शक्ति खण्ड-2, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रक 10435 दिनांक- 19.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

8834

13181

13-14

उ०प्र०/

दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी,  
पीलीभीत

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती इशरत अतहर पत्नी स्व० अतहर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
हुसैन खॉं

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |                           |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | पारि० पेंशन               |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6127 दिनांक 08-07-2013    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 28.03.1953                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती इशरत अतहर         |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 01-04-1957                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31.03.13/02.10.14         |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 62,790                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 31395                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 12558                   |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 18837                   |

|     |                              |                         |
|-----|------------------------------|-------------------------|
| (ज) | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | ₹ 31395 दि० 27.03.18 तक |
| (झ) | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 12558                 |

|     |                           |             |
|-----|---------------------------|-------------|
| (ग) | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | 40 छमाहियां |
|-----|---------------------------|-------------|

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं० |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 166100      |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | लागू नहीं     |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 83050       |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं     |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं     |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ लागू नहीं   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें       | ₹ लागू नहीं   |

|     |                                  |                         |
|-----|----------------------------------|-------------------------|
| (छ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | ₹ 83050 दि० 27.03.20 तक |
|-----|----------------------------------|-------------------------|

|     |                                |             |
|-----|--------------------------------|-------------|
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | ₹ 49830     |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | ₹ लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8834

13181

13-14

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, पीलीभीत
- श्रीमती इशरत अतहर पत्नी स्व० अतहर हुसैन खॉं, सहायक अभियन्ता पता 12/26 सिविल लाइन नार्थ, निकट सेन्ट एलार्डसेस कालिज, पीलीभीत को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार पीलीभीत को प्रेषित पत्रांक 1044/1958 दिनांक 26/03/2019 के साथै सम्यक स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० कालि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

J.P. Power Corporation Limited

(Public Sector Undertaking)

भारत PENSION CODE: U37201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8851 13337 13-14 उ०प्र०/ दि० दिनांक 25.03.2019

कोषामार  
गौतमबुद्धनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजकुमार रस्तोगी

अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |  |                              |                            |
|--------|--|------------------------------|----------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार  | अधिवर्षिता                   |                            |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या  | 6379                         | दिनांक 25-02-2014          |
| (ग)    | जन्मतिथि   | 25.11.1953                   |                            |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम  |                              | श्रीमती मनोरमा रस्तोगी     |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   |                              | 12.10.1959                 |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  |                              | 30.11.2013                 |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान  |                              | छठवाँ वेतनमान              |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)   | (37400-67000 ग्रेड पे 10000) |                            |
| (घ)    | वेतन   |                              | 77,000                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन  |                              | 38,500                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग   |                              | 15400                      |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | 23100                        |                            |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |                              | लागू नहीं                  |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   |                              | 23100                      |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा  | 40 छमाहियाँ                  |                            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-<br>पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) | तालिका संख्या                | 14                         |
| (क)    | निर्धारित वेतन   |                              | 1,99,600                   |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन   |                              |                            |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार   |                              | 99,800                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन   |                              | लागू नहीं                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन                                    |                              | लागू नहीं                  |
| (ग)(i) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन   |                              | लागू नहीं                  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)  |                              | 99800                      |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन  |                              | 15400                      |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें  |                              | 84400                      |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)   |                              | 99800 दिनांक 24.11.2020 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   |                              | 59880                      |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   |                              | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषामार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8851 13337 13-14 उ०प्र०/ दि० दिनांक 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशारी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा गौतमबुद्धनगर

2 श्री राजकुमार रस्तोगी से०नि० अधीक्षण अभियन्ता, पता ए-56 सेक्टर 52, नोएडा,

3 को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषामार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पं० 10458 दि० 26.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

4 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)

सं० प्र०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN: 1822010/1999SGC024928



पत्र सं०

8852

13295

13-14

उ०प्र०/

दि० दिनांक 25.03.2019

कोषागार

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हर प्रसाद सिंह

सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार  | अधिवर्षिता                  |
|--------|--|-----------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या  | 6259 दिनांक 10-10-2013      |
| (ग)    | जन्मतिथि   | 26.08.1953                  |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम  | श्रीमती वीना यादव           |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | 14.04.1961                  |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिदंगत तिथि  | 31.08.2013                  |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान  | छठवाँ वेतनमान               |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)   | (37400-67000 ग्रेड पे 8900) |
| (घ)    | वेतन   | 69,960                      |
| (ङ)    | मूल पेंशन  | 34,980                      |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग   | 13992                       |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | 20988                       |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                   |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | 20988                       |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा  | 40 छमाहियाँ                 |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-<br>पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) | तालिका संख्या 13            |
| (ख)    | निर्धारित वेतन   | 1,81,500                    |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन   |                             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार   | 90,750                      |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन   | लागू नहीं                   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन                                    | लागू नहीं                   |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन   | लागू नहीं                   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)  | 90750                       |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन  | 13992                       |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें  | 76758                       |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)   | 90750 दिनांक 25.08.2020 तक  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | 54450                       |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | लागू नहीं                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8852

13295

13-14

उ०प्र०/

दि० दिनांक 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा आगरा

2. श्री हरप्रसाद सिंह से०नि० सहायक अभियन्ता, पता बी-08, ट्रांस यमुना कालोनी फेज-1, आगरा

3. को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा को प्रेषित पं० 10459 दि० 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

सिकन्दरा आगरा



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

10, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg,

LAKHNER, U.P. PIN-226002



पत्र सं०

8853

13264

13-14

उ०प्र०/

दि-दिनांक 25.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव

आशुलिपिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

|        |  |                             |                         |
|--------|--|-----------------------------|-------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार  | अधिवर्षता                   |                         |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या  | 6168                        | दिनांक 06-08-2013       |
| (ग)    | जन्मतिथि   | 26.07.1953                  |                         |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशन का नाम   |                             | श्रीमती मंजू श्रीवास्तव |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि  |                             | 28.02.1954              |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  |                             | 31.07.2013              |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान  |                             | छठवाँ वेतनमान           |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)   | (15600-39100 ग्रेड पे 6600) |                         |
| (घ)    | वेतन   |                             | 41,160                  |
| (ङ)    | मूल पेंशन  |                             | 20,580                  |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग   |                             | 8232                    |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | 12348                       |                         |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |                             | लागू नहीं               |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   |                             | 12348                   |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा  | 40 छमाहियाँ                 |                         |
| 3      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-<br>पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) | तालिका संख्या 11            |                         |
| (क)    | निर्धारित वेतन   |                             | 1,08,800                |
| 4      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन   |                             |                         |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार   |                             | 54,400                  |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन   |                             | लागू नहीं               |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन                                    |                             | लागू नहीं               |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन   |                             | लागू नहीं               |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)  |                             | 54400                   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन  |                             | 8232                    |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें  |                             | 46168                   |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)   | 54400                       | दिनांक 25.07.2020 तक    |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   |                             | 32640                   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   |                             | लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8853

13264

13-14

उ०प्र०/

दि-दिनांक 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ  
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सो०नि० आशुलिपिक पता 66/70, छितवापुर खास छितवापुर पुलिस चौकी के पीछे लखनऊ
2. को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित प० 10460 दि० 26.03.2019 के सापेक्ष सम्भव स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

सं० प्र०





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

REGD. PENSION ETD. 13220/11/1999/SBC/2472A



पत्र सं०

8854

13254

13-14

उ०प्र०/

दि० दिनांक 25.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सन्तोष कुमार गुप्ता

सहायक समीक्षा अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |                             |                    |
|--------|---|-----------------------------|--------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षता                   |                    |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6170                        | दिनांक 07-08-2013  |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 05.03.1953                  |                    |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                             | श्रीमती आशा गुप्ता |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                             | 05.06.1955         |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                             | 31.03.2013         |
| (ख)    | वर्तमान लागू वेतनमान  |                             | छटवाँ वेतनमान      |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | (15600-39100 ग्रेड पे 5400) |                    |
| (घ)    | वेतन  |                             | 32,530             |
| (ङ)    | मूल पेंशन   |                             | 16,265             |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  |                             | 6506               |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 9759                        |                    |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढी दर पर   |                             | लागू नहीं          |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |                             | 9759               |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ                 |                    |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                             |                    |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 10            |                    |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  |                             | 84,900             |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                             |                    |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |                             | 42,450             |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |                             | लागू नहीं          |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |                             | लागू नहीं          |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  |                             | लागू नहीं          |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |                             | 42450              |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   |                             | 6506               |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |                             | 35944              |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)   | 42450 दिनांक 04.03.2020 तक  |                    |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |                             | 25470              |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |                             | लागू नहीं          |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8854

13254

13-14

उ०प्र०/

दि० दिनांक 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री सन्तोष कुमार गुप्ता, से०नि० सहायक समीक्षा अधिकारी पता 439/119, द्वारा गुप्ता बेकरी ठाकुरगंज लखनऊ को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 10461 दि० 26.03.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

REGISTRATION NUMBER: 2011IP1959SG0024928



पत्र सं०

8855

13258

13-14

उ०प्र०/

दि० दिनांक 25.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माया देवी पत्नी स्व० राम चरन

चपरसी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.   | विवरण   | पारिवारिक                  | दिनांक               | विवरण             |
|--------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   | पारिवारिक                  |                      |                   |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6223                       | 19-09-2013           |                   |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 15.07.1953                 |                      |                   |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                            |                      | श्रीमती माया देवी |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                            |                      | 05.03.1960        |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                            |                      | 29.11.2012        |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |                            |                      | छठवाँ वेतनमान     |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | (9300-34800 ग्रेड पे 4200) |                      |                   |
| (घ)    | वेतन  |                            |                      | 20,760            |
| (ङ)    | मूल पेंशन   |                            |                      | लागू नहीं         |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  |                            |                      | लागू नहीं         |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | लागू नहीं                  |                      |                   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                            |                      | लागू नहीं         |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |                            |                      | 6228              |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ                |                      |                   |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                            |                      |                   |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या              | 06                   |                   |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  |                            |                      | 54,000            |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                            |                      |                   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |                            |                      | लागू नहीं         |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |                            |                      | लागू नहीं         |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |                            |                      | लागू नहीं         |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  |                            |                      | लागू नहीं         |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |                            |                      | लागू नहीं         |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   |                            |                      | लागू नहीं         |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |                            |                      | लागू नहीं         |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | 27000                      | दिनांक 28.11.2022 तक |                   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 16200                      |                      |                   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |                            |                      | लागू नहीं         |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8855

13258

13-14

उ०प्र०/

दि० दिनांक 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ  
श्रीमती माया देवी पत्नी स्व० राम चरन चपरसी पता 783, आजाद मोहाल सदर बाजार कैंन्ट लखनऊ
2. को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 10462 दि० 26.03.2019 के साक्ष्य समर्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विभलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन) लि०



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8883

8622 2000-2001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता                             |
|-------|------------------------------|---------------------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |                                       |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6289 दिनांक 13.11.2013                |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 04.01.1943                            |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती सुधा गुप्ता                   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 30.09.1949                            |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31.01.2001                            |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | पांचवा वेतनमान                        |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 20,000                              |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 26500                               |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ राशिकरण नहीं कराया है।              |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 26500                               |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                             |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 15900                               |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | छमाहियाँ 66                           |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | ₹ तालिका नं० 13 |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,39,100      |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                 |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 69550         |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं     |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं     |
| (घ) | उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                   | ₹ लागू नहीं     |
| (घ) | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 69550         |
| (ख) | राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं     |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये        | ₹ लागू नहीं     |
| (ङ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं     |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 41730         |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं     |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8883 8622 2000-2001 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
2. श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्ति अधिशासी अभियन्ता, पता-म०नं० 103ए, पानी की टंकी के पास नटराजपुरम, कमला नगर, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक 10486 दिनांक 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928.



पत्र सं०

8884

8618

2000-2001 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश चड्ढा

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक                              | मूल पेंशन | राशि                                  |
|-------|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |           |                                     |           |                                       |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   |           | 1639                                |           |                                       |
| (ग)   | जन्मतिथि  |           |                                     |           | 13.08.1941                            |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |                                     |           | श्रीमती वेद चड्ढा                     |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |                                     |           | 16.12.1945                            |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                                     |           | 31.08.1999                            |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                                     |           | पांचवा वेतनमान                        |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |                                     |           | 16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन  | ₹         |                                     |           | 19,100                                |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹         |                                     |           | 24295                                 |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                                     |           | 3007                                  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         | ₹ 21288 दि० 15.03.2017 तक तदुपरान्त | ₹ 24295   |                                       |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                                     |           | लागू नहीं                             |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                                     |           | 14577                                 |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |                                     |           | छमाहियाँ 66                           |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |                                     |           |                                       |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |                                     |           | तालिका नं० 13                         |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹         |                                     |           | 1,35,000                              |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                                     |           |                                       |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                                     |           | 67500                                 |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                                     |           | लागू नहीं                             |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                                     |           | लागू नहीं                             |
| (ग)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |                                     |           | लागू नहीं                             |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |                                     |           | 67500                                 |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                                     |           | 3007                                  |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चय न लिया जाय          | ₹         |                                     |           | ₹ 64493 दि० 15.03.2017 तक तदुपरान्त   |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                                     |           | लागू नहीं                             |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                                     |           | 40500                                 |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                                     |           | लागू नहीं                             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8884

8618

2000-2001

उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री ओम प्रकाश चड्ढा, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-15/335, वसुन्धरा गाजियाबाद उ०प्र० 201012।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद।

को प्रेषित पत्रांक 10487 दिनांक 28.03.2019 के सापेक्ष समक स्थिति का मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8885 8630 2000-2001 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2018

कोषाधिकारी,  
कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम कृष्ण त्रिपाठी सेवानिवृत्त महा प्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता | दिनांक | मूल्य                                       |
|-------|------------------------------|-----------|--------|---|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |           |        |   |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              |           | 1274   | 06.01.2001                                  |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |           |        | 10.11.1942                                  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |           |        | श्रीमती इन्द्रा प्रमा त्रिपाठी              |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |           |        | 01.07.1949                                  |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |           |        | 30.11.2000                                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |           |        | पांचवा वेतनमान                              |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |           |        | 18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000      |
| (घ)   | वेतन                         | ₹         |        | 22,400                                      |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹         |        | 27350                                       |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹         |        | 4298  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹         |        | ₹ 23052 दि० 16.02.2016 तक तदुपरान्त ₹ 27350 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |           |        | लागू नहीं                                   |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹         |        | 16410                                       |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |           |        | छमाहियाँ 66                                 |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |   |  |   |
|-----|---|---|--|---|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   |  | तालिका नं० 14                             |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ |  | 1,62,300                                  |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |  |   |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |  | 81150                                     |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |  | लागू नहीं                                 |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |  | लागू नहीं                                 |
| (ग) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |  | लागू नहीं                                 |
| (घ) | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹ |  | 81150                                     |
| (ङ) | राशिकृत पेंशन   | ₹ |  | 4298                                      |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ |  | ₹ 76852 दि० 16.02.2016 तक तदुपरान्त 81150 |
| (छ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |  | लागू नहीं                                 |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |  | 48690                                     |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |  | लागू नहीं                                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त निम्न-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इच सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8885 8630 2000-2001 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपमुख्य लेखाधिकारी केरको, 14/71 सिविल लाइन्स कानपुर।
2. श्री राम कृष्ण त्रिपाठी, सेवानिवृत्ति महा प्रबन्धक, पता-प्लॉट नं०-5, अकधपुरी रोड, लखनपुर, कानपुर-208024।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक 10488 दिनांक: 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पन्न कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
संकेतित दिनांक 26.03.2019



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8886 8633 2000-2001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती किरन खरे पत्नी स्व० प्रकाश चन्द्र सेवानिवृत्त निजी सचिव श्रेणी-द्वितीय का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | पारिवारिक पेंशनर                      |
|---------|---|---------------------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |                                       |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 1244 दिनांक 11.12.2000                |
| (ग)     | जन्मतिथि  | 30.09.1942                            |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती किरन खरे                      |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 15.01.1952                            |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 30.09.2000/09.10.2010                 |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   | पांचवा वेतनमान                        |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)     | वेतन  | ₹ 18,200                              |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹ लागू नहीं                           |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ लागू नहीं                           |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ लागू नहीं                           |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | ₹ लागू नहीं                           |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 14577                               |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | छमाहियाँ 66                           |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                                       |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं० 13                         |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,35,000                            |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                                       |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 67500                               |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                           |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                           |
| (ग)     | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                           |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹ लागू नहीं                           |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं                           |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय         | ₹ लागू नहीं                           |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं                           |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 40500                               |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                           |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8886 8633 2000-2001 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती किरन खरे पत्नी स्व० श्री प्रकाश, सेवानिवृत्त निजी सचिव श्रेणी-2, पता-सी-84, अरावली मार्ग, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10489 दिनांक 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8887 13263 13-14 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आजमगढ़।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शत्रुघन प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्धता                 |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |                           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6260 दिनांक 11.10.2013    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 01.07.1953                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती गुलाबी देवी       |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 12.10.1955                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 30.06.2013                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छटा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 15600-39100 ग्रेड पे-8600 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 33,770                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 16885                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 6754                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 10131                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | 16885                     |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 10131                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | छमाहियाँ 66               |

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं० 11             |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ 88,400                  |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                           |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 44200                   |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं                 |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं                 |
| (ग) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं                 |
| (घ) | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 44200                   |
| (ङ) | राशिकृत पेंशन   | ₹ 6754                    |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय        | ₹ 37746                   |
| (छ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)  | ₹ 44200 दि० 30.06.2020 तक |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 26520                   |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8887 13263 13-14 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़।
2. श्री शत्रुघन प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-कोईराना गली सिधारी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश-276001।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़। को प्रेषित पत्रांक 10490 दिनांक 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

श्री शत्रुघन प्रसाद  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8888 13252 13-14 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र प्रताप सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिवर्षता                   |
|-------|---|-----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |                             |
| (ख)   | पीपीओ संख्या  | 6293 दिनांक 14.11.2013      |
| (ग)   | जन्मतिथि  | 20.08.1953                  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती शारदा देवी          |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 21.11.1959                  |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.08.2013                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   | छठा वेतनमान                 |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 ग्रेड पे-8900   |
| (घ)   | वेतन  | ₹ 69,960                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹ 34980                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ 13992                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ 20988                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढी दर पर   | 08.10.1995                  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 20988                     |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | छमाहियाँ 66                 |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                             |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं० 13               |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,81,500                  |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                             |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 90750                     |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                 |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                 |
| (ग)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                 |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 90750                     |
| (च)   | राशिकृत पेंशन   | ₹ 13992                     |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ        | ₹ 76758                     |
| (क)   | पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)   | ₹ ₹ 90750 दि० 19.08.2020 तक |
| (ख)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 54810                     |
| (ङ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8888 13252 13-14 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्दनगर, कानपुर।
2. श्री नरेन्द्र प्रताप, सेवानिवृत्ति अधिशासी अभियन्ता, पता-पैलेट नं०-447, क्रोमा मार्कोट महागुण क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद-201018।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर। को प्रेषित पत्रांक 10491 दिनांक 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पाठकालिका, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8889 8616 2000-2001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मथुरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री त्रिलोकी चन्द्र शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | दिनांक | अधिवर्षता                                   |
|-------|---|--------|---|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |        |   |
| (ख)   | पेंशन संख्या  | 1999   | दिनांक 30.09.2002                           |
| (ग)   | जन्मतिथि  |        | 07.01.1943                                  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |        | श्रीमती शशी रानी                            |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |        | 02.02.1948                                  |
| 2 (क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |        | 31.01.2001                                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |        | पांचवा वेतनमान                              |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |        | 18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे- 10000     |
| (घ)   | वेतन  | ₹      | 20,900                                      |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹      | 27076                                       |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹      | 3396  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹      | ₹ 23680 दि० 30.12.2017 तक तदुपरान्त 27076   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |        | लागू नहीं                                   |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹      | 16410                                       |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |        | छमाहियाँ 66                                 |
| 3.    | दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |        |   |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |        | तालिका नं० 14                               |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹      | 1,53,000                                    |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |        |   |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      | 76500                                       |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      | लागू नहीं                                   |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.08.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      | लागू नहीं                                   |
| (ग)   | उपरोक्त ख एवं ग में जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                     | ₹      | लागू नहीं                                   |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹      | 75735                                       |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹      | 3396  |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹      | ₹ 72339 दि० 30.12.2017 तक तदुपरान्त ₹ 75735 |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      | लागू नहीं                                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      | 45900                                       |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8889 8616 2000-2001 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।
- श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-74 गौरालानगर, वृन्दावन, जिला मथुरा-281121।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा। को प्रेषित पत्रांक 10492 दिनांक 28.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार मथुरा



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8890 8530 03-04 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, हापुड़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश चन्द्र गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक | मूल्य                                 |
|-------|---|-----------|--------|---------------------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |           |        |                                       |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   |           | 3119   | 08.08.2005                            |
| (ग)   | जन्मतिथि  |           |        | 12.04.1945                            |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |        | श्रीमती अखिलेश गुप्ता                 |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |        | अकित नहीं                             |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |        | 30.04.2003                            |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |           |        | पांचवा वेतनमान                        |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |        | 18400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन  | ₹         |        | 20,000                                |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹         |        | 24295                                 |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |        | 3040                                  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |        | 21255                                 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |        | लागू नहीं                             |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |        | 13890                                 |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |        | छमाहियाँ 66                           |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |        |                                       |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |        | तालिका नं० 13                         |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹         |        | 1,39,100                              |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |        |                                       |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |        | 69550                                 |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |        | लागू नहीं                             |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |        | लागू नहीं                             |
| (ग)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |        | लागू नहीं                             |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |        | 69550                                 |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹         |        | 3040                                  |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |        | 66510                                 |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |        | लागू नहीं                             |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |        | 41730                                 |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |        | लागू नहीं                             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8890 8530 03-04 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचयांचल विद्युत वितरण निगम लि०, हापुड़।

2 श्री महेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1161 न्यू शिवपुरी हापुड़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़। को प्रेषित पत्रांक 10493 दिनांक: 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०म०प्र० लि०  
हापुड़



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8891 7326 95-96 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती हीरा सिंह पत्नी स्व० उदयबीर सिंह सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | पारिवारिक पेंशनर                    |
|---------|---|-------------------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   | पारिवारिक पेंशनर                    |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 9976 दिनांक 05.10.1995              |
| (ग)     | जन्मतिथि  | 04.01.1939                          |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती हीरा सिंह                   |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 10.01.1946                          |
| 2. (क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 10.05.1995/07.02.2008               |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   | चतुर्थ वेतनमान                      |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 5000-8300/37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)     | वेतन  | ₹ 6,900                             |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | लागू नहीं                           |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | लागू नहीं                           |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | लागू नहीं                           |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं                           |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 7686                              |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | लागू नहीं                           |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                                     |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं० 13                       |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,35,000                          |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                                     |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | लागू नहीं                           |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं                           |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं                           |
| (ग)     | उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                | लागू नहीं                           |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | लागू नहीं                           |
| (च)     | राशिकृत पेंशन   | लागू नहीं                           |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | लागू नहीं                           |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं                           |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 40500                             |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं                           |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8891 7326 95-96 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज।

2. श्रीमती हीरा सिंह पत्नी स्व० उदयबीर सिंह, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-एच० आई० जी० 12 प्रीतम नगर, प्रयागराज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज। को प्रेषित पत्रांक 10494 दिनांक: 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

8893

13432

13-14

उ०म०प्र०/

दिनांक-19.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव बदन

सेवानिवृत्त

सहायक  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                 |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6419 दिनांक 22.04.14      |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 30-12-1953                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशन का नाम       | श्रीमती धनराजी देवी       |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि  | अंकित नहीं                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31.12.13                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छटा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  | 15600-39100 ग्रेड पे 6600 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 34,140                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 17070                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 6380                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 10690                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | 17070 दि० 29.12.19 तक     |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 10242                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 40 छमाहियाँ               |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |                         |
|--------|---|-------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 11 तालिका नं०           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 88400                 |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | लागू नहीं               |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 44200                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 44200                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 6380                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ 37820                 |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 44200 दि० 29.12.20 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 26520                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8893

13432

13-14

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

2. श्री शिव बदन, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त पता 3ए/1 मुलई का पूरा पोस्ट-तेलियरगंज, इलाहाबाद

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कोषागार कोषागार को प्रेषित पत्रांक 10502 दिनांक 22.03.2019 के सम्पर्क में स्थिति कर भुगतान प्राप्त करें। प्रयागराज

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, तख्तनक।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8906 13048 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक- 16.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इन्द्रपाल सिंह डांगुर (स्वैच्छिक) सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
सेवानिवृत्त

|   |      |        |                           |                     |
|---|------|--------|---------------------------|---------------------|
| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   |      |        |                           |                     |
| (क) पेंशन का प्रकार   |      |        | अधिवर्षता                 |                     |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   | 6086 | दिनांक | 03.06.2013                |                     |
| (ग) जन्मतिथि  |      |        | 01.07.1948                |                     |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |      |        |                           | श्रीमती सुशीला देवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |      |        |                           | 07.05.1951          |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  |      |        |                           | 30.06.2006          |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |      |        |                           | छठों वेतनमान        |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |      |        | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |                     |
| (घ) वेतन  |      | ₹      |                           | 55210               |
| (ङ) मूल पेंशन   |      | ₹      |                           | 27605               |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  |      | ₹      |                           | 6976                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |      | ₹      |                           | 20629               |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |      |        |                           | लागू नहीं           |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |      | ₹      |                           | 18563               |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |      |        | 40 छमाहियाँ               |                     |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |      |        |                           |                     |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |      |        | 13 तालिका नं०             |                     |
| (ख) निर्धारित वेतन  |      | ₹      |                           | 1,43,300            |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |      |        |                           |                     |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |      | ₹      |                           | 71650               |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |      | ₹      |                           | लागू नहीं           |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |      | ₹      |                           | लागू नहीं           |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               |      | ₹      |                           | लागू नहीं           |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      |      | ₹      |                           | 71650               |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   |      | ₹      |                           | 6976                |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय        |      | ₹      |                           | 64674               |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |      | ₹      |                           | लागू नहीं           |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |      | ₹      |                           | 42990               |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |      | ₹      |                           | लागू नहीं           |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आयोजित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8906 13048 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक- 16.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा  
2. श्री इन्द्र पाल सिंह डांगुर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 30 कृष्णा गोल्ड कालोनी, कालिंदी बिहार, आगरा

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 10424 दिनांक 22.03.2019 के सम्पर्क सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्ता करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/क०/लि०, शांति गवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषागार आगरा



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8906-A

13292

2013-2014 उ०म०प्र०/

दिनांक-19.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जसपाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.   | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक            | विवरण                     |
|--------|---|-----------|-------------------|---------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |           |                   |                           |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6292      | दिनांक 13.11.2013 |                           |
| (ग)    | जन्मतिथि  |           |                   | 01.04.1953                |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |                   | श्रीमती दलजिन्दर कौर      |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |                   | 01.03.1959                |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                   | 31.03.2013                |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                   | छठा वेतनमान               |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   |           |                   | 37400-67000 ग्रेड-पे-8900 |
| (घ)    | वेतन  | ₹         |                   | 67920                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | ₹         |                   | 33960                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                   | 13584                     |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |                   | 20376                     |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                   | लागू नहीं                 |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                   | 20376                     |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |                   | 40 छमाहियां               |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |                   |                           |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |                   | 13 तालिका नं०             |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹         |                   | 176200                    |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन                                       |           |                   | लागू नहीं                 |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                   | 88100                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                   | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |                   | 88100                     |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                   | 13584                     |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें       | ₹         |                   | 74516                     |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                   | 88100/- दि० 31.03.2020 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                   | 52860 तदुपरान्त           |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                   | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त दि०-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8906-A

13292

2013-2014 उ०म०प्र०/

दिनांक-19.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दर, आगरा।
- श्री जसपाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पत्ता-2-गुलमोहर वाटिका, केंद्रीय हिन्दी संस्थान मार्ग, खन्दारी बाई पास, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 10507 दिनांक-22.03.2019 के सापेक्ष सशुद्ध स्थापित का भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राफिस भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8943 6610 90-91 उपरो/ दिनांक- 23.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मदन लाल गोयल सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक                               | विवरण   |
|---------|---|-----------|--------------------------------------|---|
| 1.      | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण  |           |                                      |   |
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |                                      |   |
| (ख)     | पीपीओओ संख्या   | 9680      | दिनांक 12.07.1994                    |   |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |                                      | 15.03.1933  |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |                                      | लागू नहीं   |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |                                      | लागू नहीं   |
| 2.      | सेवानिवृत्त/दिदेशत तिथि   |           |                                      | 31.03.1991  |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                                      | चतुर्थ वेतनमान  |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           | 5900-7100/37400-67000 ग्रेड पे 10000 |   |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |                                      | 7100  |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |                                      | 27350   |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                                      | पुनर्स्थापित  |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |                                      | 27350   |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                                      | लागू नहीं   |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                                      | लागू नहीं   |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | 66 छमाहियाँ                          |   |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |                                      |   |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           | 14 तालिका नं०                        |   |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |                                      | 1,44,200  |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                                      |   |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                                      | 72100   |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                                      | लागू नहीं   |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                                      | लागू नहीं   |
| (ग)(i)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |                                      | लागू नहीं   |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹         |                                      | 72100   |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                                      | पुनर्स्थापित  |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ      | ₹         |                                      | 72100   |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                                      | लागू नहीं   |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                                      | लागू नहीं   |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                                      | दि० 01.01.16 से 14.03.18 तक 20प्रति० अतिरिक्त 14420 तद्दुपरान्त 30प्रति० अतिरिक्त 21630 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8943 6610 90-91 उपरो/ दिनांक- 23.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०,नोएडा (गौतमबुद्धनगर)
- श्री मदन लाल गोयल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता 734 सेक्टर-29, गौतमबुद्धनगर, नोएडा (उपरो)

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 10518 दिनांक 25.03.2019 के सापेक्ष समक स्थानित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबमाइस्ट, उपरोपाका०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उपरो पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8944

6601

90-91

उ०म०प्र० /

दिनांक- 23.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री करुणा शंकर शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिदिव्यता | दिनांक                              | अधिदिव्यता  |
|---------|---|------------|-------------------------------------|---|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |            |                                     |   |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 9321       | 21.06.1998                          |   |
| (ग)     | जन्मतिथि  |            |                                     | 01.11.1932  |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशन का नाम  |            |                                     | श्रीमती भगवती शर्मा                               |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि   |            |                                     | लागू नहीं   |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |            |                                     | 31.10.1990  |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |            |                                     | चतुर्थ वेतनमान                                    |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |            | 3400-4750/15600-39100 ग्रेड पे 6600 |   |
| (घ)     | वेतन  | ₹          |                                     | 4750  |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹          |                                     | 15612   |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹          |                                     | पुनर्स्थापित                                      |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹          |                                     | 15612   |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |            |                                     | लागू नहीं   |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹          |                                     | 9368  |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |            | 66 छमाहियाँ                         |   |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |            |                                     |   |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |            | 11 तालिका नं०                       |   |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹          |                                     | 85,800  |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |            |                                     |   |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹          |                                     | 42900   |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹          |                                     | लागू नहीं   |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹          |                                     | लागू नहीं   |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹          |                                     | लागू नहीं   |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹          |                                     | 42900   |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹          |                                     | पुनर्स्थापित                                      |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹          |                                     | 42900   |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹          |                                     | लागू नहीं   |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹          |                                     | 25740   |
| (ञ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹          |                                     | दि० 01.01.16 से 30.10.17 तक 8560, तदुपरान्त 12870 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8944

6601

90-91

उ०म०प्र० /

दिनांक- 23.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री करुणा शंकर शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता डी-67, सरोजनी नगर, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10519 दिनांक 25.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8945

6612

90-91

उपग्रो/

दिनांक- 23.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार बदायूं

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मनोरमा जौहरी पत्नी स्व० लक्ष्मी सेवानिवृत्त लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र. | विवरण                        | पारिवारिक पेंशन                     | श्रीमती मनोरमा जौहरी  |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार              |                                     |                       |
| (ख)  | पी०पी०ओ० संख्या              | 9284 दिनांक 22.05.1993              |                       |
| (ग)  | जन्मतिथि                     | 05.01.1933                          |                       |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |                                     | श्रीमती मनोरमा जौहरी  |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |                                     | 15.09.1937            |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |                                     | 31.01.1991/22.04.2004 |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान          |                                     | चतुर्थ वेतनमान        |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 15600-39100/3400-4750 ग्रेड पे 6600 |                       |
| (घ)  | वेतन                         | ₹                                   | 4125                  |
| (ङ)  | मूल पेंशन                    | ₹                                   | लागू नहीं             |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत माग         | ₹                                   | लागू नहीं             |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹                                   | लागू नहीं             |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |                                     | लागू नहीं             |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹                                   | 5798                  |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | लागू नहीं                           |                       |

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |               |  |
|--------|---|---------------|--|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 11 तालिका नं० |  |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹             | 76,200                                 |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |               |  |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹             | लागू नहीं                              |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹             | लागू नहीं                              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹             | लागू नहीं                              |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹             | लागू नहीं                              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹             | लागू नहीं                              |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹             | लागू नहीं                              |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹             | लागू नहीं                              |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹             | लागू नहीं                              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹             | 22860                                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹             | दि० 15.09.17 से 20प्रति० अतिरिक्त 4572 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8945

6612

90-91

उपग्रो/

दिनांक- 23.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिषद्मंचल विद्युत वितरण निगम लि०, बदायूं

2 श्रीमती मनोरमा जौहरी पत्नी स्व० लक्ष्मी नारायण जौहरी (सेवानिवृत्त/दिवंगत) लेखाधिकारी, पता 227 पटियाली सराय, बदायूं 243601

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बदायूं को प्रेषित पत्रांक 10520 दिनांक 25.03.2019 के सापेक्ष सम्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, देवसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8946

6638

91-92

उपग्रो/

दिनांक- 23.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार अलीगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव लाल शर्मा

सेवानिवृत्त

व्यक्ति सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

|      |                              |      |        |                                    |                |
|------|------------------------------|------|--------|------------------------------------|----------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार              |      |        | अधिवर्षता                          |                |
| (ख)  | पी०पी०ओ० संख्या              | 8598 | दिनांक | 24.09.1991                         |                |
| (ग)  | जन्मतिथि                     |      |        | 06.06.1932                         |                |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशन का नाम       |      |        |                                    | लागू नहीं      |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि  |      |        |                                    | लागू नहीं      |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      |        |                                    | 30.06.1990     |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान          |      |        |                                    | चतुर्थ वेतनमान |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |      |        | 2600-4000/5600-39100 ग्रेड पे 5400 |                |
| (घ)  | वेतन                         | ₹    |        |                                    | 2825           |
| (ङ)  | मूल पेंशन                    | ₹    |        |                                    | 12812          |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹    |        |                                    | पुनर्स्थापित   |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹    |        |                                    | 12812          |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर   |      |        |                                    | लागू नहीं      |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹    |        |                                    | लागू नहीं      |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |      |        | 66 छमाहियाँ                        |                |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |  |               |   |
|--------|---|---|--|---------------|---|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   |  | 10 तालिका नं० |   |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ |  |               | 61,300  |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |  |               |   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |  |               | 30650   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |  |               | लागू नहीं                                       |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |  |               | लागू नहीं                                       |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |  |               | लागू नहीं                                       |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹ |  |               | 30650   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ |  |               | पुनर्स्थापित                                    |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ |  |               | 30650   |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)  | ₹ |  |               | लागू नहीं                                       |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |  |               | लागू नहीं                                       |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |  |               | दि० 01.01.16 से 05.06.17 तक 6130 तदुपरान्त 9195 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8946

6638

91-92

उपग्रो/

दिनांक- 23.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2 श्री शिव लाल शर्मा, सेवानिवृत्त व्यक्ति सहायक, पता पी०सी०ओ० वर्मा, निकट इलाहाबाद बैंक, ऊंचाहार, रायबरेली

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 10521 दिनांक 25.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



भारत सरकार  
शक्ति भवन, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश



पत्र सं 8952 7063 1993-1994 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

| श्रीमती निर्मला सक्सेना पत्नी स्व० ए० पी० सक्सेना   | सेवानिवृत्त | प्रमुख निजी सचिव | का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। |
|---|-------------|------------------|--|
| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   |             |                  |  |
| (क) पेंशन का प्रकार   |             |                  | अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   |             | 9452             | दिनांक 25.10.1993  |
| (ग) जन्मतिथि  |             |                  | 11.07.1935   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |                  | श्रीमती निर्मला सक्सेना  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |                  | 04.03.1940   |
| 2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |             |                  | 31.07.1993   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |             |                  | चतुर्थ वेतनमान   |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             |                  | 5000-6300/37400-67000 (8900)   |
| (घ) वेतन  |             | ₹                | 5450   |
| (ङ) मूल पेंशन   |             | ₹                | 23150  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  |             | ₹                | पुनर्स्थापित   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |             | ₹                | 23150  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |                  | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |             | ₹                | 13890  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             |                  | 66 छमाहियों  |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |             |                  |  |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |             |                  | 13 तालिका सं०  |
| (ख) निर्धारित वेतन  |             | ₹                | 1,31,100   |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |             |                  |  |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |             | ₹                | 65550  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |             | ₹                | लागू नहीं  |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |             | ₹                | लागू नहीं  |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               |             | ₹                | लागू नहीं  |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |             | ₹                | ₹ 65550/-दि० 15.08.2016 तक   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   |             | ₹                | पुनर्स्थापित   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |             | ₹                | ₹ 65550/-दि० 15.08.2016 तक   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)  |             | ₹                | लागू नहीं  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |             | ₹                | 39330  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (अयु के अनुसार)  |             | ₹                | दि० 01.01.16 से 15.08.2016 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 13110/-                |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्समय हो कर भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 8952 7063 1993-1994 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती निर्मला सक्सेना पत्नी स्व० ए० पी० सक्सेना सेवानिवृत्त प्रमुख निजी सचिव, पता-21/1023 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि यह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10527 दिनांक 26.3.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कोरपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पं० नं० PER/DIR/REG/032261UP/1999/SGC/02/428



पत्र सं० 8953 8799 2000-2001 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

| श्री रमेश लाल बहल   | सेवानिवृत्त | सहायक अभियन्ता, | का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। |
|---|-------------|-----------------|--|
| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   |             |                 |  |
| (क) पेंशन का प्रकार   |             |                 | अधिवर्षता  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   | 1587        | दिनांक          | 18.10.2001   |
| (ग) जन्मतिथि  |             |                 | 10.06.1943   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |                 | श्रीमती संतोष बहल  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |                 | 07.05.1947   |
| 2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |             |                 |  |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |             |                 | पंचम वेतनमान   |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             |                 | 37400-67000 (8900)   |
| (घ) वेतन  |             | ₹               | 19550  |
| (ङ) मूल पेंशन   |             | ₹               | 24295  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  |             | ₹               | 3040   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |             | ₹               | 21255  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |                 | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |             | ₹               | 14577  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             |                 | 66 छमाहियाँ  |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |             |                 |  |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                         |             |                 | 13 तालिका सं०  |
| (ख) निर्धारित वेतन  |             | ₹               | 1,39,100   |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |             |                 |  |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |             | ₹               | 69550  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ग)(ड) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |             | ₹               | 69550  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   |             | ₹               | 3040   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |             | ₹               | 66510  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |             | ₹               | 41730  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |             | ₹               | लागू नहीं  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8953 8799 2000-2001 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परियोजना खण्ड-प्रथम, परिचर्माचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2 श्री रमेश लाल बहल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता:- म०न०-डी-902 राजहंस अपार्टमेंट (सामने बिग बाजार), सामने आदित्य सिटी सेन्टर, इन्दिरापुरम, (गाजियाबाद) को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक 10528 दिनांक 26.3.2019 के सापेक्ष सम्पर्क कर स्थापित कर मुगतान प्राप्ताकरें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पारिवारिक पेंशन लि०

(उ०प्र० पारिवारिक का उपक्रम)

U.P. Government Pension Limited

(U.P. Government Pension)

पता: (PENSION) नं० 113/71 सिविल लाइन्स, कानपुर



पत्र सं० 8958 11317 2007-2008 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राम दत्त भारती

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |  |      |                     |
|-------|--|------|---------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार  |      | अधिवर्षता           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या  | 4155 | दिनांक 27.03.2008   |
| (ग)   | जन्मतिथि   |      | 16.08.1948          |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम                                |      | श्रीमती फूल पत्नी   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                           |      | 20.10.1950          |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                                |      | 31.08.2006          |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान                                    |      | छठा वेतनमान         |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                           |      | 37400-67000 (10000) |
| (घ)   | वेतन   | ₹    | 56870               |
| (ङ)   | मूल पेंशन  | ₹    | 28435               |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग                                   | ₹    | 7402                |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                           | ₹    | 21033               |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                             |      | लागू नहीं           |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                           | ₹    | 17061               |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                              |      | 66 छमाहियाँ         |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |      |                     |

|        |   |   |              |
|--------|---|---|--------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 14 तालिक सं० |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 1,48,500     |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |              |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 74250        |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं    |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं    |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं    |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 74250        |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 7402         |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ | 66848        |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | लागू नहीं    |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 44550        |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं    |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8958 11317 2007-2008 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपमुख्य लेखाधिकारी, केस्को, 14/71 सिविल लाइन्स, कानपुर।
- श्री रामदत्त भारती सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-196 सी ब्लॉक, पनकी, पोस्ट-पनकी, कानपुर।  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक 10533 दिनांक 26.3.2019 के सम्बन्ध में स्थिति कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशायसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/प०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० प० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION C/P-032201UP1995GC024975



पत्र सं०

8963

13435

13-14

उ०प्र०/

दि० दिनांक 25.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

फूल चन्द्र सोनी

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |                            |
|--------|---|----------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता                 |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6417 दिनांक 21-04-2014     |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 01.05.1953                 |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती कमला सोनी          |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | अकित नही                   |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 30.04.2013                 |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठवाँ वेतनमान              |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | (9300-34800 ग्रेड पे 4200) |
| (घ)    | वेतन  | 20,760                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 10,380                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 4152                       |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 6228                       |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | 10380 दिनांक 30.04.2016 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 6228                       |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ                |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                            |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 06           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 54,000                     |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                            |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 27,000                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नही                   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नही                   |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नही                   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | लागू नही                   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 4152                       |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें    | 22848                      |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | 27000 दिनांक 30.04.2020 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 16200                      |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नही                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8963

13435

13-14

उ०प्र०/

दि० दिनांक 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री फूल चन्द्र सोनी, से०नि० चपरासी पता द्वारा श्री हवलदार दुबे प्लाट नं०-60, मनेश नगर, न्यू इन्द्र लोक कृष्णा नगर लखनऊ

3. को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित प० 10561 दि० 26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

PENSION CIN-032201UP1998SG024928



पत्र सं० 8964 13371 13-14 उ०प०प०/ दि० दिनांक 25.03.2019

कोषागार  
गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुकेश कुमार सक्सेना

सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |                             |                            |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता                  |                            |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6323                        | दिनांक 26-12-2013          |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 04.08.1953                  |                            |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                             | श्रीमती अर्चना सक्सेना     |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                             | 05.01.1958                 |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                             | 31.08.2013                 |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |                             | छठवाँ वेतनमान              |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | (37400-67000 ग्रेड पे 8900) |                            |
| (घ)    | वेतन  |                             | 67,920                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन   |                             | 33,960                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  |                             | लागू नहीं                  |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | लागू नहीं                   |                            |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                             | 33960 दिनांक 03.08.2018 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |                             | 20376                      |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ                 |                            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                             |                            |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या               | 13                         |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  |                             | 1,76,200                   |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                             |                            |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |                             | 88,100                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |                             | लागू नहीं                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |                             | लागू नहीं                  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  |                             | लागू नहीं                  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |                             | लागू नहीं                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   |                             | लागू नहीं                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |                             | 88100                      |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |                             | 88100 दिनांक 03.08.2020 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |                             | 52860                      |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |                             | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8964 13371 13-14 उ०प०प०/ दि० दिनांक 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचामांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
- 2 श्री मुकेश कुमार सक्सेना से०नि० सहायक अभियन्ता, पता प०न० 181, सी ब्लॉक (डबल पानी की टंकी के पास) शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
- 3 को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित प० 10562 दि० 26.03.2019 के समक्ष संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प०प०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र



उपरोक्त कारपोरेशन लि०

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पत्र सं० 8965 9016 01-02 30/03/2019/ दिनांक दिनांक 26.03.2019



पत्र सं०

8965

9016

01-02

30/03/2019/ दिनांक

दिनांक 26.03.2019

कोषागार

सहारनपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार

अधीक्षण  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |                        |
|--------|---|------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता             |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 1802 दिनांक 29-04-2002 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती ऊषा शर्मा      |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 27.01.1950             |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.12.2001             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | पाचवाँ वेतनमान         |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 18400-22400            |
| (घ)    | वेतन  | 21,900                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 27,350                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 3878                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 23472                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 16410                  |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 64 छमाहियाँ            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 14       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,57,600               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 78,800                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | 76413                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | 72100                  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | 76,413                 |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 76413                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 3878                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै      | 72535                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 47280                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8965

9016

01-02

30/03/2019/ दिनांक

दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर

2. श्री विनोद कुमार से०नि० अधीक्षण अभियन्ता, पता 30 कुलतार सिंह नगर, सहारनपुर

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार सहारनपुर को प्रेषित प० 10563 दि० 27.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्तकोषागारलि०, शक्ति, भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पं० प्र०/पा०/दि०/०३/२०१९/२०२५२६



पत्र सं०

8966

9334

02-03

उ०प्र०/ दिनांक

दिनांक 26.03.2019

कोषागार

बुलन्दशहर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव कुमार शर्मा

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता             |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 2107 दिनांक 31-12-2002 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती संतोष शर्मा    |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 15.10.1946             |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 30.09.2002             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | पाचवौं वेतनमान         |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 18400-22400            |
| (घ)    | वेतन  | 21,900                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 27,350                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 4370                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 22980                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 16410                  |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 66 छमाहियाँ            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 14       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,57,600               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 78,800                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | 78,800                 |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 78800                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 4370                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै      | 74430                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 47280                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8966

9334

02-03

उ०प्र०/ दिनांक

दिनांक 26.03.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर
2. श्री शिव कुमार शर्मा, से०नि० महाप्रबन्धक पता 26 एम०आई०जी०, डी०एम० कालोनी रोड आवास विकास-1, बुलन्दशहर को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पं० 10564 दि० 27.03.2019 के सम्प्रेषण सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपकरण)  
UPPCL, Power Corporation Limited  
Uttar Pradesh, India

PENSION CONTROL UNIT 1995/SGC/21/20



पत्र सं० 8967 10139 04-05 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीधर राव

मानचित्रकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता             |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 2964 दिनांक 07-01-2005 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती गीता राव       |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 19.08.1956             |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.08.2004             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | पाचवाँ वेतनमान         |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 8550-13500             |
| (घ)    | वेतन  | 11,575                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 12,990                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत माग  | 2150                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 10840                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 7851                   |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 66 छमाहियाँ            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 10       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 71,100                 |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 35,550                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 35550                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 2150                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ        | 33400                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 21330                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8967 10139 04-05 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री श्रीधर राव से०नि० मानचित्रकार पता 5/35 सेक्टर 05, विकास नगर लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पं० 10585 दि० 27.03.2019 के सम्बन्ध सम्पक

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार (व्यवसायिक))

012 Power Corporation Limited

U.P. Government (Industrial)

REGISTRATION NO. 132201UP1893/SC/01/28



पत्र सं० 8968 11103 06-07 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शोभन लाल उकिल

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिदर्शिता             |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 3928 दिनांक 15-11-2006 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती गायत्री उकिल   |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 11.08.1957             |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 30.06.2006             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठवाँ वेतनमान          |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | 37400-67000 (10000)    |
| (घ)    | वेतन  | 63,710                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 31,855                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 7528                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 24327                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 19113                  |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 14       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,67,200               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 83,600                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(i) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 83600                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 7528                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | 76072                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 50160                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8968 11103 06-07 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री शोभन लाल उकिल, से०नि० अधिशाली अभियन्ता, पता बी-1140 इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित प० 10566 दि० 27.03.2019 के साथ सम्पर्क

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का स्वतंत्र)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

REGISTRATION NO. 1920/1999SG/02492B



पत्र सं०

8969

9852

03-04

उ०प्र०/ दिनांक

दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मो० शमीम खॉं

कार्यालय  
सहायक-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता             |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 2516 दिनांक 10-02-2004 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती नुजहम परवीन    |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 22.03.1957             |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.12.2003             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | पाचवाँ वेतनमान         |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | 8550-13500             |
| (घ)    | वेतन  | 10,750                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 11,568                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 1733                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 9839                   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 7290                   |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 63 छमाहियाँ            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 10       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 67,000                 |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 33,500                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | 31978                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | 28050                  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 31978                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 1733                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | 30245                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 20100                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8969

9852

03-04

उ०प्र०/ दिनांक

दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री मो० शमीम खॉं, से०नि० कार्यालय सहायक-द्वितीय, पता सी०-268/21 कंडहा टिकैतगंज ऐशबाग बर्ड मस्जिद डाकखाना राजेन्द्र नगर लखनऊ को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित सं० 10567 दि० 27.03.2019 के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्प्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उत्प्रो सरकार का उपक्रम)

उत्प्रो पावर कारपोरेशन लि०

उत्प्रो पावर कारपोरेशन लि०

उत्प्रो पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

8970

10976

06-07

उ०प्र०/ दिनांक

26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय गोपाल

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता             |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 3840 दिनांक 23-11-2006 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती कृष्णा         |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 20.07.1952             |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.10.2006             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठवाँ वेतनमान          |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 (10000)    |
| (घ)    | वेतन  | 65,630                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 32,815                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 10340                  |
| (क)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 22475                  |
| (ख)    | पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 19689                  |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 14       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,72,200               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 86,100                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 86100                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 10340                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | 75760                  |
| (क)    | पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ख)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 51660                  |
| (ङ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8970

10976

06-07

उ०प्र०/ दिनांक

26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री जय गोपाल से०नि० अधिशाली अभियन्ता पता 1/711, सेक्टर एच, जानकी पुरम् लखनऊ को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 10568 दि० 27.03.2019 के सापेक्ष समक स्थिति कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



3090 पावे कार्यालय लि०

(3090 सरकारी अफिस)

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंकन्दरा आगरा

पता: श्री ध्रुव प्रसाद सिंघल, कोषागार, आगरा

पत्र सं० 8971 11100 06-07 3090/ दिनांक 26.03.2019



पत्र सं०

8971

11100

06-07

3090/ दिनांक

26.03.2019

कोषागार

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ध्रुव प्रसाद सिंघल

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता             |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पीपीओओ संख्या   | 3842 दिनांक 25-11-2006 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | लागू नहीं              |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | लागू नहीं              |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 30.09.2006             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठवाँ वेतनमान          |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 (10000)    |
| (घ)    | वेतन  | 59,170                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 29,585                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 10772                  |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 18813                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | लागू नहीं              |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ            |
| 3      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 14       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,53,000               |
| 4      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 76,500                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 76500                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 10772                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | 65728                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | लागू नहीं              |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8971

11100

06-07

3090/ दिनांक

26.03.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंकन्दरा आगरा

2. श्री ध्रुव प्रसाद सिंघल से०नि० अधिशाली अभियन्ता पता 35, प्रतीक्षा एन्कलेव दयाल बाग, आगरा को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा को प्रेषित पं० 10589 दि० 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, 3090पावेकारालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



संघीय कार्यपालिका लि०

(संघीय कार्यपालिका)

संघीय कार्यपालिका, आगरा

संघीय कार्यपालिका, आगरा



पत्र सं० 8972 9925 04-05 सं००१०/ दिनांक 26.03.2019

कोषागार

आगरा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता

मुख्य  
महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता             |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 2820 दिनांक 11-10-2004 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती आशा गुप्ता     |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 01.07.1950             |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 30.06.2004             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | पाचवीं वेतनमान         |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 21350-23975            |
| (घ)    | वेतन  | 22,925                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 31,500                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 6470                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 25030                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 18900                  |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 66 छमाहियाँ            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 15       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,81,800               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 90,900                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(i) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 90900                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 6470                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | 84430                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 54540                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8972 9925 04-05 सं००१०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंकन्दरा आगरा

2. श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता से०नि० मुख्य महाप्रबन्धक पता ए-17, डिफेन्स कालोनी आगरा कैंन्ट, आगरा

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा को प्रेषित पं० 10570 दि० 27.03.2019 के साथै सम्पक

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, सं०१०१०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8974

7380

1995-1996 उ०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नीरजा सिंह पत्नी धीरेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | परिणाम          | दिनांक                              |
|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   | पारिवारिक पेंशन |                                     |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   |                 | 39 दिनांक 05.02.1996                |
| (ग)     | जन्मतिथि  |                 | 01.12.1948                          |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                 | श्रीमती नीरजा सिंह                  |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                 | 16.02.1949                          |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                 | 23.08.1994                          |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |                 | चौथा वेतनमान                        |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |                 | 5000-6300/37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)     | वेतन  | ₹               | 5900                                |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹               | लागू नहीं                           |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹               | लागू नहीं                           |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹               | लागू नहीं                           |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                 | लागू नहीं                           |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹               | 13890                               |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |                 | -                                   |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |                 |                                     |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |                 | 13 तालिका नं०                       |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹               | 131100                              |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                 | लागू नहीं                           |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹               | लागू नहीं                           |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹               | लागू नहीं                           |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹               | लागू नहीं                           |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹               | लागू नहीं                           |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹               | लागू नहीं                           |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹               | लागू नहीं                           |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹               | लागू नहीं                           |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹               | लागू नहीं                           |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹               | 39330                               |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹               | लागू नहीं                           |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुक्रम दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8974

7380

1995-1996 उ०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसाक्षी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती नीरजा सिंह पत्नी धीरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्ता वरिष्ठ सहायक अभियन्ता, पता-एम आई जी-7, ए०डी०ए०, कालोनी-2ए, रामघाट रोड, अलीगढ़।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10578 दिनांक- 25.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। लखनऊ।
- अधिसाक्षी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ





# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8975

13569

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद जकी सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.   | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक            | विवरण                     |
|--------|---|-----------|-------------------|---------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |           |                   |                           |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6583      | दिनांक 19.09.2014 |                           |
| (ग)    | जन्मतिथि  |           |                   | 15.01.1952                |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |                   | लागू नहीं                 |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |                   | लागू नहीं                 |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                   | 31.01.2012                |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                   | छठा वेतनमान               |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |                   | 37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)    | वेतन  | ₹         |                   | 65940                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | ₹         |                   | 32970                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                   | 13188                     |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |                   | 19782                     |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                   | लागू नहीं                 |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                   | 19782                     |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |                   | 40 छमाहियां               |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |                   |                           |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |                   | 13 तालिका नं०             |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹         |                   | 171100                    |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                   | लागू नहीं                 |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                   | 85550                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेदा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹         |                   | 85550                     |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                   | 13188                     |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |                   | 72362                     |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                   | 51330                     |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                   | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8975

13569

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2. श्री मोहम्मद जकी, सेवानिवृत्त/सहायक अभियन्ता, पता-एल-14, मेडिकल कालेज परिसर, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 10577 दिनांक-28.03.2018 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। (इलाहाबाद)

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पापुकरालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8976

13567

2014-2015 उपरो/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षता                   |
|--------|---|-----------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6569 दिनांक 05.09.2014      |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 17.07.1954                  |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती रेखा शर्मा          |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 06.11.1954                  |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.07.2014                  |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठा वेतनमान                 |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 ग्रेड पे-8900   |
| (घ)    | वेतन  | ₹ 68260                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | ₹ 34130                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ 13652                     |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ 20478                     |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | ₹ 34130/- दि० 16.07.2019 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 20478                     |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियां                 |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |                             |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं०               |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 176200                    |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | लागू नहीं                   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 88100                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                 |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                 |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                 |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹ 88100                     |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 13652                     |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ 74448                     |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 88100/- दि० 16.07.2021 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 52860                     |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्या उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8976

13567

2014-2015 उपरो/

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।
- श्री विनोद कुमार शर्मा, सेवानिवृत्ता सहायक अभियन्ता, पता-एम-31, महावीर पार्क, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

अलीगढ़

को प्रेषित पत्रांक 10578 दिनांक-26.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशायी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकाडलिय, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8977

13570

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ज्योती कुमार जायसवाल सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | दिनांक | अधिवर्षता                 |
|---------|---|--------|---------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |        | अधिवर्षता                 |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 6581   | दिनांक 18.09.2014         |
| (ग)     | जन्मतिथि  |        | 15.08.1952                |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |        | श्रीमती आशा जायसवाल       |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |        | 01.05.1952                |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |        | 31.08.2012                |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |        | छठा वेतनमान               |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |        | 37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)     | वेतन  | ₹      | 67920                     |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹      | 33960                     |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹      | 13584                     |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹      | 20376                     |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |        | 33960/- दि० 14.08.2017 तक |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹      | 20376                     |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |        | 40 छमाहियां               |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |        |                           |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |        | 13 तालिका नं०             |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹      | 176200                    |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |        | लागू नहीं                 |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      | 88100                     |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      | लागू नहीं                 |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      | लागू नहीं                 |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹      | लागू नहीं                 |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹      | 88100                     |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹      | 13584                     |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹      | 74516                     |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      | 88100/- दि० 14.08.2019 तक |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      | 52860                     |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8977

13570

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2 श्री ज्योती कुमार जायसवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-20/2, मालवीय नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10579 दिनांक-26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। लखनऊ।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8977 दिनांक 25.03.2019



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8978

13563

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
प्रसाद मिश्रा अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |   |
|--------|---|---|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   | पारिवारिक पेंशन                           |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6587 दिनांक 19.09.2014                    |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 08.10.1951                                |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती निर्मला देवी                      |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 18.07.1954                                |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.10.2011/08.08.2014                     |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठा वेतनमान                               |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | 37400-67000 ग्रेड पे-8900                 |
| (घ)    | वेतन  | ₹ 65940                                   |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | ₹ लागू नहीं                               |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ लागू नहीं                               |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ लागू नहीं                               |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | ₹ 32970/- दि० 09.08.2014 से 08.10.2016 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 19782                                   |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | -   |
| 3.     | दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |   |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं०                             |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 171100                                  |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ लागू नहीं                               |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ लागू नहीं                               |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                               |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                               |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                               |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ लागू नहीं                               |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं                               |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ लागू नहीं                               |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 85550/- दि० 01.01.2016 से 08.10.2016 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 51330                                   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                               |

6. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8978

13563

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, 57-जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्ता सहायक अभियन्ता, पता-318/41, सी० तिलक नगर, अल्लापुर, प्रयागराज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार, प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 10580 दिनांक-26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें। (इलाहाबाद)

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8979

13565

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राशि माल सिंह सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अभियन्ता

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.   | विवरण                        | अधिवर्षता                 | दिनांक                    |
|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार              |                           |                           |
| (ख)    | पीपीओओ संख्या                | 6561                      | 30.08.2014                |
| (ग)    | जन्मतिथि                     |                           | 11.07.1954                |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |                           | श्रीमती कान्ती देवी       |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |                           | 20.10.1956                |
| 2. (क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |                           | 31.07.2014                |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान          |                           | छठा वेतनमान               |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 15600-39100 ग्रेड पे-6600 |                           |
| (घ)    | वेतन                         | ₹                         | 33830                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन                    | ₹                         | 16915                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹                         | 6766                      |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹                         | 10149                     |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |                           | 33830/- दि० 10.07.2019 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹                         | 10149                     |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 40 छमाहियां               |                           |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

|        |   |                             |
|--------|---|-----------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 11 तालिका नं०               |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 88400                     |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | लागू नहीं                   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 44200                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                 |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                 |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                 |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 44200                     |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 6766                      |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ 37434                     |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 44200/- दि० 10.07.2021 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 26520                     |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8979

13565

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2. श्री राशि माल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/35ए, गली नं०-3, उमा नगर, अम्बेडकर कालोनी, नौरंगाबाद, कोत, अलीगढ़-202001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 10581 दिनांक-26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8980

9745

2003-2004 उ०म०प्र० /

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मन मोहन गर्ग

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक     | मूल्य                                 |
|---------|---|-----------|------------|---------------------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |            |                                       |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 4110      | 05.12.2007 |                                       |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |            | 21.11.1945                            |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |            | श्रीमती संतोष गर्ग                    |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |            | 21.07.1950                            |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |            | 30.11.2003                            |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |            | पांचवा वेतनमान                        |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |            | 16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |            | 20000                                 |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |            | 24295                                 |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |            | 3040                                  |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |            | 21255                                 |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |            | लागू नहीं                             |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |            | 14730                                 |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | 66         | छमाहियां                              |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |            |                                       |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           | 13         | तालिका नं०                            |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |            | 139100                                |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |            | लागू नहीं                             |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |            | 69550                                 |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |            | 69550                                 |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |            | 41730                                 |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |            | लागू नहीं                             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8980

9745

2003-2004 उ०म०प्र० /

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री मन मोहन गर्ग, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, यता-कै०के०-86, कविनगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 10582 दिनांक-26.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र०पा०क०लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र०पा०क०लि०



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8981

13602

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामबचन राम

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक | मूल्य                     |
|---------|---|-----------|--------|---------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |        |                           |
| (ख)     | पीपीओओ संख्या   |           | 6612   | दिनांक 18.10.2014         |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |        | 01.09.1954                |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |        | श्रीमती शारदा देवी        |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |        | 01.01.1960                |
| 2. (क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |        | 31.08.2014                |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |        | छठा वेतनमान               |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |        | 37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |        | 72060                     |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |        | 36030                     |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |        | 14412                     |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |        | 21618                     |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |        | 36030/- दि० 31.08.2019 तक |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |        | 21618                     |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |        | 40 छमाहियां               |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |        |                           |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |        | 13 तालिका नं०             |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |        | 186900                    |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |        | लागू नहीं                 |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |        | 93450                     |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |        | लागू नहीं                 |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |        | लागू नहीं                 |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |        | लागू नहीं                 |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |        | 93450                     |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |        | 14412                     |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹         |        | 79038                     |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |        | 93450/- दि० 31.08.2021 तक |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |        | 56070/- दि० 01.09.2021 से |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |        | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुभतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुभतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8981

13602

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़।
2. श्री रामबचन राम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला खण्ड, मकान नं०-353 न्यू रैदोपुर कालोनी, आजमगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह मुभतान प्राप्त करें।

कोषागार

आजमगढ़

को प्रेषित पत्रांक 10583 दिनांक-25.03.2019 के सापेक्ष सम्बन्ध में स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालो, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8982

13680

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मदन लाल

सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक            | विवरण                      |
|---------|---|-----------|-------------------|----------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |                   |                            |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 7036      | दिनांक 01.06.2016 |                            |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |                   | 06.05.1955                 |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |                   | श्रीमती नीलम गौतम          |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |                   | 31.10.1970                 |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                   | 31.05.2015                 |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                   | छठा वेतनमान                |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |                   | 37400-67000 ग्रेड पे-10000 |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |                   | 65070                      |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |                   | 32535                      |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                   | 13014                      |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |                   | 19521                      |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                   | 32535 दि० 05.05.2020       |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                   | 19521                      |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |                   | 40 छमाहियां                |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |                   |                            |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |                   | 14 तालिका नं०              |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |                   | 172200                     |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                   | लागू नहीं                  |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                   | 86100                      |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                   | लागू नहीं                  |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                   | लागू नहीं                  |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |                   | लागू नहीं                  |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |                   | 86100                      |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                   | 13014                      |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ      | ₹         |                   | 73086                      |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                   | 86100/- दि० 05.05.2022 तक  |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                   | 51860                      |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                   | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8982

13680

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1/ अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2/ श्री मदन लाल, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-5/214 बी, विपुल खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10584 दिनांक-28.03.2019 के साप्स सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3/ अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

किन्नेज कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत आयोग, लखनऊ  
U.P. Power Corporation Limited  
Electricity Regulatory Commission, Lucknow

पत्र सं०

8983

9561

03-04

उ०प्र०/

दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी,

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जितेन्द्र कुमार जैन

सेवानिवृत्त

अधिराशी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  | अधिवर्षता              |
|----------------------------------|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              |                        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या              | 2294 दिनांक 19.07.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | 02.02.1945             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती धनवती जैन      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 26.12.49               |
| 2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि    | 28.02.03               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | पाँचवा वेतनमान         |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 18400-22400            |
| (घ) वेतन                         | ₹ 22,400               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | ₹ 27350                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 3660                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 23690                |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 16410   |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | 66 छमहियाँ |
|-------------------------------|------------|

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|  |               |
|--|---------------|
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) | 14 तालिका नं० |
|--|---------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| (ख) निर्धारित वेतन | ₹ 162300 |
|--------------------|----------|

|  |           |
|--|-----------|
| 4. प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन | लागू नहीं |
|--|-----------|

|  |         |
|--|---------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार | ₹ 81150 |
|--|---------|

|  |             |
|--|-------------|
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन | ₹ लागू नहीं |
|--|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं |
|---|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| (ग)। उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन | ₹ लागू नहीं |
|---|-------------|

|   |         |
|---|---------|
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) | ₹ 81150 |
|---|---------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| (ङ) राशिकृत पेंशन | ₹ 3660 |
|-------------------|--------|

|   |         |
|---|---------|
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय | ₹ 77490 |
|---|---------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | ₹ लागू नहीं |
|--------------------------------------|-------------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) | ₹ 48690 |
|------------------------------------|---------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) | ₹ लागू नहीं |
|------------------------------------|-------------|

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8983

9561

03-04

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिराशी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

2. श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अधिराशी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता 930/12ए, पटेल नगर विस्तार-प्रथम सेक्टर-8 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10585 दिनांक 26/03/2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिराशी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्रोत्साहन अधिकारी (पेंशन) लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 6983 - A 13118 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक- 25.03.2019  
कोषाधिकारी,  
कोषागार आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधे मोहन सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |  |      |                     |                        |
|-------|--|------|---------------------|------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार  |      | अधिवर्षता           |                        |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या  | 6235 | दिनांक              | 23.09.2013             |
| (ग)   | जन्मतिथि   |      |                     | 25.07.1953             |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम                                |      |                     | श्रीमती राजबाला        |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                           |      |                     | 01.04.1960             |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                                |      |                     | 31.07.2013             |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान                                    |      |                     | छठा वेतनमान            |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                           |      | 37400-67000(10,000) |                        |
| (घ)   | वेतन   | ₹    |                     | 77000                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन  | ₹    |                     | 38500                  |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग                                   | ₹    |                     | 15400                  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                           | ₹    |                     | 23,100                 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                             |      |                     | 38,5000 दि० 24.07.2018 |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                           | ₹    |                     | 23,100                 |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                              |      | 40 छमाहियां         |                        |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |      |                     |                        |

|        |   |   |               |                      |
|--------|---|---|---------------|----------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 14 तालिका नं० |                      |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ |               | 1,99,600             |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |               |                      |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |               | 99800                |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |               | लागू नहीं            |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |               | लागू नहीं            |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |               | लागू नहीं            |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ |               | 99800                |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ |               | 15400                |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ |               | 84400                |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |               | 99800 दि० 24.07.2020 |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |               | 59880                |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |               | लागू नहीं            |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6983 - A 13118 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक- 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री राधे मोहन, अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त), पता सं०-60, पश्चिम शिवाजी नगर, शाहनंज, आगरा।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 10585-दिनांक 28.03.2019 के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राफिा भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं० 8985 7317 95-96 उ०प्र०/ दिनांक- 25.03.2019

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कैलाश वर्मा पत्नी स्व० ज्ञान चन्द्र सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण |   | पारिवारिक पेंशन |                                       |
|-------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| (क)                                 | पेंशन का प्रकार   |                 |                                       |
| (ख)                                 | पी०पी०ओ० संख्या   | 9961            | दिनांक 01-09-95                       |
| (ग)                                 | जन्मतिथि  |                 | 09/06/1937                            |
| (घ)                                 | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                 | श्रीमती कैलाश वर्मा                   |
| (ङ)                                 | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                 | 29/05/1939                            |
| 2.(क)                               | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                 | 30-06-1995/13-10-1999                 |
| (ख)                                 | तत्समय लागू वेतनमान   |                 | चतुर्थ वेतनमान                        |
| (ग)                                 | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |                 | (5900-7100) (37,400-67,000)10,000     |
| (घ)                                 | वेतन  | ₹               | 7,500                                 |
| (ङ)                                 | मूल पेंशन   | ₹               | लागू नहीं                             |
| (च)                                 | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹               | लागू नहीं                             |
| (छ)                                 | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹               | लागू नहीं                             |
| (ज)                                 | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                 | लागू नहीं                             |
| (झ)                                 | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹               | 12,475                                |
| (ण)                                 | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |                 | लागू नहीं                             |
| 3.                                  | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                 |                                       |
| (क)                                 | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |                 | 14 तालिका नं०                         |
| (ख)                                 | निर्धारित वेतन  | ₹               | 148500                                |
| 4.                                  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹               | लागू नहीं                             |
| (क)                                 | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹               | लागू नहीं                             |
| (ख)                                 | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹               | लागू नहीं                             |
| (ग)                                 | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹               | लागू नहीं                             |
| (ग)(1)                              | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹               | 0                                     |
| (घ)                                 | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹               | 0                                     |
| (ङ)                                 | राशिकृत पेंशन   | ₹               | लागू नहीं                             |
| (च)                                 | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹               | लागू नहीं                             |
| (छ)                                 | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹               | लागू नहीं                             |
| (ज)                                 | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹               | 44550                                 |
| (झ)                                 | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹               | दि० 29.05.2019 से 20 प्रतिशत रू० 8910 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो तत्समप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8985 7317 95-96 उ०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ।

2 श्रीमती कैलाश वर्मा पत्नी स्व० श्री ज्ञान चन्द्र वर्मा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता- 28, लक्ष्मणपुरी फैजाबाद रोड लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक 10587 दिनांक 26/03/2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कारा०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरोक्त पाठ्यक्रम परीक्षा लि०

(उपरोक्त पाठ्यक्रम)

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले को

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले को

(PENSION AN-13-2018) 99/99/2018



पत्र सं०

8986

7321

95-96

उपरोक्त /

दिनांक- 25.03.2019

कोषाधिकारी,  
मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश सहाय भटनागर

सेवानिवृत्त

सहायक  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   | अधिवर्षता                               |
|---|---|
| (क) पेंशन का प्रकार   |   |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   | 9906 दिनांक 03.07.95                    |
| (ग) जन्मतिथि  | 27/01/1937                              |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती मन्नी भटनागर                    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | अंकित नहीं                              |
| 2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31/01/1995                              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   | चतुर्थ वेतनमान                          |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | (2600-4000) (15600-39,100)5400          |
| (घ) वेतन  | ₹ 4,000                                 |
| (ङ) मूल पेंशन   | ₹ 13357                                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ पुनस्थापित                            |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ 13,357                                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं                               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 8,015                                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 66                                      |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |   |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 10 तालिका नं०                           |
| (ख) निर्धारित वेतन  | ₹ 73200                                 |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       | ₹ लागू नहीं                             |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 36600                                 |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                             |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                             |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               | ₹ 0                                     |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 36600                                 |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं                             |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें       | ₹ 36,600                                |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं                             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 21,960                                |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ दि० 27.01.2017 से 20 प्रतिशत ₹ 7320/- |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8986

7321

95-96

उपरोक्त /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा

2. श्री जगदीश सहाय भटनागर सहा० लेखाधिकारी, पता:- नियर गार्डन, एन०एन०-7 महाविद्यालय कालोनी फेस-1 मथुरा।

को इस आशयसे प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा को प्रेषित पत्रांक 10588 दिनांक 26/03/2019 के सपिड समुद्र

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्त कोषागार लि०, राक्षित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8991 9497 02-03 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, वाराणसी।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राम दास सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिबर्षता | दिनांक     | मूल्य                                 |
|-------|---|-----------|------------|---------------------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |           |            |                                       |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   | 2251      | 10.06.2003 |                                       |
| (ग)   | जन्मतिथि  |           |            | 04.01.1944                            |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |            | श्रीमती दुलारी देवी                   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |            | अंकित नहीं                            |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |            | 31.01.2002                            |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |           |            | पांचवा वेतनमान                        |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |            | 10650-15200/15600-39100 ग्रेड पे-8600 |
| (घ)   | वेतन  | ₹         |            | 15,200                                |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹         |            | 7600                                  |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |            | 3040                                  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |            | 4560                                  |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |            | 7600                                  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |            | 4560                                  |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |            | छमाहियाँ 86                           |
| 3.    | दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |            |                                       |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |            | तालिका नं० 11                         |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹         |            | 91,100                                |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |           |            |                                       |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |            | 45550                                 |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (घ)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (ङ)   | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (च)   | राशिकृत पेंशन   | ₹         |            | 3040 पुनर्स्थापित दि० 03.01.2017      |
| (छ)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |            | 45550                                 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |            | लागू नहीं                             |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |            | 27330                                 |
| (ण)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |            | लागू नहीं                             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8991 9497 02-03 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
2. श्री राम दास सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मकान नं० 7, सुतहटी गली, ग्राम व पोस्ट दाउद नगर, जिला औरंगाबाद बिहार, पिन-824113।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक 10608 दिनांक 26.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32261UP1999SGC024928



पत्र सं० 8992 13429 13-14 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गौतमबुद्धनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अजय कुमार गर्ग सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिवर्षता   | दिनांक | मूल्य                      |
|-------|---|-------------|--------|----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |             |        |                            |
| (ख)   | पीपीओओ संख्या   |             | 6520   |                            |
| (ग)   | जन्मतिथि  |             |        | 28.04.1954                 |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |        | श्रीमती आमा गर्ग           |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |        | 27.07.1957                 |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |             |        | 30.04.2014                 |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |             |        | छठा वेतनमान                |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   |             |        | 37400-67000 ग्रेड पे-10000 |
| (घ)   | वेतन  | ₹           |        | 77,000                     |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹           |        | 38500                      |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹           |        | 15400                      |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹           |        | 23100                      |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |        | ₹ 38500 दि० 25.04.2019 तक  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹           |        | 23100                      |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | छमाहियाँ 40 |        |                            |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |             |        |                            |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |             |        | तालिका नं० 14              |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹           |        | 1,99,600                   |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |             |        |                            |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹           |        | 99800                      |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹           |        | लागू नहीं                  |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹           |        | लागू नहीं                  |
| (घ)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹           |        | लागू नहीं                  |
| (ङ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹           |        | 99800                      |
| (च)   | राशिकृत पेंशन   | ₹           |        | 15400                      |
| (छ)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹           |        | 84400                      |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹           |        | ₹ 99800 दि० 25.04.2021 तक  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹           |        | 59880                      |
| (ण)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹           |        | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8992 13429 13-14 उपग्रो/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।
2. श्री अजय कुमार गर्ग, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-4277, बी०-पॉकेट, 5-6 गेट-2, बसन्त कुंज, नई दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 10610 दिनांक 25.03.2019 के सापेक्ष समर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8993 9657 03-04 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक | मूल्य                                       |
|-------|---|-----------|--------|---|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |           |        |   |
| (ख)   | पीपीओओ संख्या   |           | 2413   | दिनांक 21.11.2003                           |
| (ग)   | जन्मतिथि  |           |        | 15.01.1945                                  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |        | श्रीमती विद्या पाण्डेय                      |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |        | 18.05.1951                                  |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |        | 31.01.2003                                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |           |        | पांचवा वेतनमान                              |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |        | 18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000      |
| (घ)   | वेतन  | ₹         |        | 21,900                                      |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹         |        | 27350                                       |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |        | 3468  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |        | ₹ 23882 दि० 08.01.2019 तक तदुपरान्त ₹ 27350 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |        | लागू नहीं                                   |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |        | 16410                                       |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |        | छमाहियाँ 86                                 |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |        |   |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |        | तालिका नं० 14                               |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹         |        | 1,57,600                                    |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |        |   |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |        | 78800                                       |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |        | लागू नहीं                                   |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |        | लागू नहीं                                   |
| (घ)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |        | लागू नहीं                                   |
| (च)   | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |        | 78800                                       |
| (च)   | राशिकृत पेंशन   | ₹         |        | 3468  |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹         |        | ₹ 75332 दि० 08.01.2019 तक तदुपरान्त ₹ 78800 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |        | लागू नहीं                                   |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |        | 47280                                       |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |        | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8993 9657 03-04 उपग्रो/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-3/236 विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 10611 दिनांक 26.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित/भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8994 13427 13-14 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक:-25.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजीपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुरलीधर सेवानिवृत्त लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक | मूल्य                     |
|---------|---|-----------|--------|---------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |        |                           |
| (ख)     | पीपीओओ संख्या   |           | 6553   |                           |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |        | 26.08.2014                |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशन का नाम  |           |        | 02.01.1954                |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि   |           |        | श्रीमती सीता देवी         |
| 2(क)    | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |        | अंकित नहीं                |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |        | 31.01.2014                |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |        | छठा वेतनमान               |
| (घ)     | वेतन  |           |        | 15800-39100 ग्रेड पे-5400 |
| (ङ)     | मूल पेंशन   |           |        | ₹ 31,560                  |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  |           |        | ₹ 15780                   |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |           |        | ₹ 6312                    |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |        | ₹ 94681                   |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |           |        | ₹ 15780 दि० 01.01.2019 तक |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |        | ₹ 9468                    |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |        | छमाहियाँ 40               |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |        | तालिका नं० 10             |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  |           |        | ₹ 82,400                  |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |        |                           |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |           |        | ₹ 41200                   |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |           |        | ₹ लागू नहीं               |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |           |        | ₹ लागू नहीं               |
| (ग)     | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  |           |        | ₹ लागू नहीं               |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |           |        | ₹ लागू नहीं               |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   |           |        | ₹ 6312                    |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण नाम पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       |           |        | ₹ 34888                   |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |           |        | ₹ 41200 दि० 01.01.2021 तक |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |           |        | ₹ 24720                   |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |           |        | ₹ लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8994 13427 13-14 उपरो/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजीपुर।
- 2 श्री मुरलीधर, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-ग्राम चकजाफर, पोस्ट कटैया, जिला गाजीपुर, उपरो।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजीपुर। को प्रेषित पत्रांक 10612 दिनांक 26.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाका/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

भुगतान प्राप्त  
विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)  
अद्वितीय, लखनऊ





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8995 13423 13-14 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-25.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ब्रह्म शंकर अस्थाना

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिवर्षता  | दिनांक     | मूल्य                     |
|-------|---|------------|------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |            |            |                           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   | 6457       | 22.05.2014 |                           |
| (ग)   | जन्मतिथि  |            |            | 09.02.1954                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |            |            | श्रीमती सुमाषिनी अस्थाना  |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |            |            | 02.02.1958                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |            |            | 28.02.2014                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |            |            | छटा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   |            |            | 37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन  | ₹          |            | 66,270                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹          |            | 33135                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹          |            | 13254                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹          |            | 19881                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढी दर पर   |            |            | ₹ 33135 दि० 08.02.2019 तक |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹          |            | 19881                     |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | छमाहिये 40 |            |                           |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |            |            |                           |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |            |            | तालिका नं० 13             |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹          |            | 1,71,100                  |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |            |            |                           |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹          |            | 85550                     |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹          |            | लागू नहीं                 |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹          |            | लागू नहीं                 |
| (घ)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹          |            | लागू नहीं                 |
| (ङ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹          |            | 85550                     |
| (च)   | राशिकृत पेंशन   | ₹          |            | 13254                     |
| (छ)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये       | ₹          |            | 72296                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)   | ₹          |            | ₹ 85550 दि० 08.02.2021 तक |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹          |            | 51330                     |
| (ञ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹          |            | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8995 13423 13-14 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री ब्रह्म शंकर अस्थाना, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-मकान नं०-406, इन्साफ नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 10613 दिनांक 28.03.2019 के सापेक्ष सम्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० दि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



2070 पारिवारिक पेंशन/पेंशन  
 (निर्गत) का प्रारम्भ (सं. 2013-2014)  
 मेरठ



पत्र सं० 8996 13134 2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
 मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश कुमार शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण |   | अधिवर्षता |                            |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------------------|
| (क)                                 | पेंशन का प्रकार   |           |                            |
| (ख)                                 | पी०पी०ओ० संख्या   | 6099      | दिनांक 11.06.2013          |
| (ग)                                 | जन्मतिथि  |           | 15.01.1953                 |
| (घ)                                 | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           | श्रीमती मीना शर्मा         |
| (ङ)                                 | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           | 15.01.1953                 |
| 2.(क)                               | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           | 31.01.2013                 |
| (ख)                                 | तत्समय लागू वेतनमान   |           | छठा वेतनमान                |
| (ग)                                 | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           | 37400-67000 (8900)         |
| (घ)                                 | वेतन  | ₹         | 67940                      |
| (ङ)                                 | मूल पेंशन   | ₹         | 33970                      |
| (च)                                 | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         | 13588                      |
| (छ)                                 | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         | 20382                      |
| (ज)                                 | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           | ₹ 33970/-दि० 14.01.2018 तक |
| (झ)                                 | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         | 20382                      |
| (ण)                                 | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | 40 छमाहियाँ                |
| 3.                                  | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |                            |
| (क)                                 | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           | 13 तालिका सं०              |
| (ख)                                 | निर्धारित वेतन  | ₹         | 1,76,200                   |
| 4.                                  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                            |
| (क)                                 | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         | 88100                      |
| (ख)                                 | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         | लागू नहीं                  |
| (ग)                                 | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         | लागू नहीं                  |
| (ग)(1)                              | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         | लागू नहीं                  |
| (घ)                                 | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         | 88100                      |
| (ङ)                                 | राशिकृत पेंशन   | ₹         | 13588                      |
| (च)                                 | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹         | 74512                      |
| (छ)                                 | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         | ₹ 88100/-दि० 14.01.2020 तक |
| (ज)                                 | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         | 52860                      |
| (झ)                                 | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8996 13134 2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2 श्री राकेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-205/1, सोमदत्त विहार (निकट जागृति विहार), मेरठ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 10624 दिनांक 27.3.2019 के सापेक्ष सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेवसाइट, उ०म०प्र०/क०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



श्रीमती रेखा निगम लि०  
 ३०००१०/लेखा/पेंशन  
 दिनांक-26.03.2019



पत्र सं० 8998 8833 2001-2002 ३०००१०/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

| श्री महेश चन्द्र निगम   | सेवानिवृत्त | उपमहाप्रबन्धक | का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। |
|---|-------------|---------------|--|
| 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण   |             |               |  |
| (क) पेंशन का प्रकार   |             |               | अधिवर्षता  |
| (ख) पी०पी०ओ संख्या  |             | 1660          | दिनांक 09.01.2002  |
| (ग) जन्मतिथि  |             |               | 02.07.1943   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |               | श्रीमती रेखा निगम  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |               | 29.06.1950   |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  |             |               | 31.07.2001   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |             |               | पंचम वेतनमान   |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             |               | 18400-22400  |
| (घ) वेतन  |             | ₹             | 22400  |
| (ङ) मूल पेंशन   |             | ₹             | 27350  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  |             | ₹             | 4000   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |             | ₹             | 23350  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |               | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |             | ₹             | 16410  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             |               | 65 छमाहियाँ  |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |             |               |  |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |             |               | 14 तालिका सं०  |
| (ख) निर्धारित वेतन  |             | ₹             | 1,62,300   |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |             |               |  |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |             | ₹             | 81150  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |             | ₹             | 79921  |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |             | ₹             | 72100  |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                               |             | ₹             | 79921  |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |             | ₹             | 79921  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   |             | ₹             | 4000   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       |             | ₹             | 75921  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |             | ₹             | लागू नहीं  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |             | ₹             | 48690  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |             | ₹             | लागू नहीं  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8998 8833 2001-2002 ३०००१०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा आगरा।
- श्री महेश चन्द्र निगम सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-1/2 कृष्णा इन्डलेव, हीराबाग, दयाल बाग, आगरा-5।  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 10626 दिनांक 27.3.2019 के तारीख सम्पुर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, ३०००१०/३००१०/३००१०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)




उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

संस्थापित दिनांक 01.01.1971



पत्र सं० 8999 13355 2013-2014 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर,

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देशराज दुबे

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | दिनांक | अधिवर्षता                  |
|-------|------------------------------|--------|----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |        |                            |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6374   | दिनांक 24.02.2014          |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |        | 15.10.1953                 |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |        | श्रीमती रंजना दुबे         |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |        | 07.07.1954                 |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |        | 31.10.2013                 |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |        | छठा वेतनमान                |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |        | 37400-67000 (10000)        |
| (घ)   | वेतन                         | ₹      | 77000                      |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹      | 38500                      |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹      | 15400                      |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹      | 23100                      |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |        | ₹ 38500/-दि० 14.10.2018 तक |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹      | 23100                      |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |        | 40 छमाहियाँ                |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |   |                             |
|--------|---|---|-----------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                         |   | 14 तालिका सं०               |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 1,99,600                    |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |                             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 99800                       |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं                   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं                   |
| (ग)(i) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं                   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹ | 99800                       |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 15400                       |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ | 84400                       |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | ₹ 99800 / दि० 14.10.2020 से |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 59880                       |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8999 13355 2013-2014 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचमोचल विद्युत वितरण नियम लि०,नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2. श्री देशराज दुबे सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता:-फ्लैट सं०-44सी, घवल गिरी एपार्टमेंट, 12ए सेक्टर-34, नोएडा।  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर, को प्रेषित पत्रांक 10627 दिनांक 27.3.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पाठ्य कार्यालय लि०

विद्युत वितरण विभाग

विद्युत वितरण विभाग (पुनर्गठित)

पुनर्गठित विभाग

पंजीकरण नं० 37/2010-पुनर्गठित विभाग



पत्र सं० 9000 13359 2013-2014 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बलिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विष्णु मालवीय सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र. | विवरण  | अधिबर्षता | दिनांक      | मूल्य                      |
|------|--|-----------|-------------|----------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार  |           |             |                            |
| (ख)  | पी०पी०ओ० संख्या  | 6448      | 16.05.2014  |                            |
| (ग)  | जन्मतिथि   |           |             | 12.11.1953                 |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम                                |           |             | श्रीमती बिमा मालवीय        |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                           |           |             | 04.02.1956                 |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                                |           |             | 30.11.2013                 |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान                                    |           |             | छठा वेतनमान                |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                           |           |             | 37400-67000 (10000)        |
| (घ)  | वेतन   | ₹         |             | 76480                      |
| (ङ)  | मूल पेंशन  | ₹         |             | 38240                      |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग                                   | ₹         |             | लागू नहीं                  |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                           | ₹         |             | 38240                      |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                             |           |             | ₹ 38240/-दि० 11.11.2018 तक |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                           | ₹         |             | 22944                      |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                              |           | 40 छमाहियाँ |                            |
| 3    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |           |             |                            |

| क्र.   | विवरण   | दिनांक        | मूल्य                      |
|--------|---|---------------|----------------------------|
| (क)    | ई-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                          | 14 तालिका सं० |                            |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹             | 1,99,600                   |
| 4      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |               |                            |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹             | 99800                      |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹             | लागू नहीं                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹             | लागू नहीं                  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹             | लागू नहीं                  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹             | 99800                      |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹             | लागू नहीं                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें      | ₹             | 99800                      |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹             | ₹ 99800/-दि० 11.11.2020 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹             | 59880                      |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹             | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9000 13359 2013-2014 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-उत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बलिया।
2. श्री विष्णु मालवीय सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता:-मालवीय भवन (पनामा टाकीज के पीछे) रामपुर, उदयमान, बलिया, (उत्तर प्रदेश) को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बलिया को प्रेषित पत्रांक 10628 दिनांक 27.3.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेवसाइट, उ०प्र० पाठ्य कार्यालय लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश सरकार, कार्यालय, लखनऊ



पत्र सं० 9002 7498 1996-1997 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संतोष प्रसाद श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधीक्षण  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.   | विवरण   | अधिबर्षता | दिनांक     | मूल्य                                    |
|--------|---|-----------|------------|--|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |           |            |  |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   |           | 17.02.1997 |  |
| (ग)    | जन्मतिथि  |           |            | 09.12.1936                               |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |            | श्रीमती सुमनलता श्रीवास्तव               |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |            | 09.03.1944                               |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |            | 31.12.1994                               |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |           |            | चौथा वेतनमान                             |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |            | 5000-6300/16400-20000/37400-67000 (8900) |
| (घ)    | वेतन  | ₹         |            | 6900                                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | ₹         |            | 23559                                    |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |            | पुनर्स्थापित                             |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |            | 23559                                    |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |            | लागू नहीं                                |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |            | 14577                                    |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |            | 82 छमाहियाँ                              |
| 3      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |            |  |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |            | 13 तालिका सं०                            |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹         |            | 1,35,000                                 |
| 4      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |            |  |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |            | 67500                                    |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |            | 63410                                    |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |            | 65550                                    |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |            | लागू नहीं                                |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |            | 65550                                    |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹         |            | पुनर्स्थापित                             |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |            | 65550                                    |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |            | लागू नहीं                                |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |            | 40500                                    |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |            | लागू नहीं                                |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9002 7498 1996-1997 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमींचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री संतोष प्रसाद श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-एस० सी०-3 शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 10630 दिनांक 27.3.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/क०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लि. (UPSE) (विद्युत वितरण निगम लि.)



पत्र सं० 9004 13130 2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-26.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी स्व० दीपक कुमार सेवानिवृत्त चौकीदार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र. | विवरण  | दिनांक | पारिवारिक पेंशन           |
|------|--|--------|---------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार  |        | पारिवारिक पेंशन           |
| (ख)  | पीपीओ संख्या   | 6107   | 15.06.2013                |
| (ग)  | जन्मतिथि   |        | 25.06.1958                |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम                                |        | श्रीमती प्रभावती देवी     |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                           |        | अकित नहीं                 |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                                |        | 11.08.2008                |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान                                    |        | छठा वेतनमान               |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                           |        | 5200-20200 (2200)         |
| (घ)  | वेतन   | ₹      | 11600                     |
| (ङ)  | मूल पेंशन  | ₹      | लागू नहीं                 |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग                                   | ₹      | लागू नहीं                 |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                           | ₹      | लागू नहीं                 |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                             |        | ₹ 5800/-दि० 10.11.2018 तक |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                           | ₹      | 3865                      |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                              |        | 35 छमाहियाँ               |
| 3    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |        |                           |

|        |   |   |                            |
|--------|---|---|----------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 03 तालिका सं०              |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 30,200                     |
| 4      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |                            |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 15100                      |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं                  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं                  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | लागू नहीं                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | लागू नहीं                  |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ | लागू नहीं                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | ₹ 15100/-दि० 10.11.2018 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 9060                       |
| (ञ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9004 13130 2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 30.03.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
- श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी स्व० दीपक कुमार सेवानिवृत्त चौकीदार, पता-176/51, ओल्ड लरकर लाइन, बैरहाना, प्रयागराज।  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषितपत्रांक 10632 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्षसम्बन्ध में स्थगित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेक्साइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



सर्वोच्च न्यायालय



पत्र सं० 9005 13140 2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बाराबंकी

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

| श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव   | सेवानिवृत्त | सहायक अभियन्ता, | का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। |
|---|-------------|-----------------|--|
| <b>1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण</b>  |             |                 |  |
| (क) पेंशन का प्रकार   |             |                 | अधिवर्षता  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   | 6140        | दिनांक          | 17.07.2013   |
| (ग) जन्मतिथि  |             |                 | 20.01.1953   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |                 | श्रीमती रजिता श्रीवास्तव   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |                 | 26.03.1955   |
| <b>2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि</b>   |             |                 |  |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |             |                 | छठा वेतनमान  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             |                 | 37400-67000 (8900)   |
| (घ) वेतन  |             | ₹               | 64340  |
| (ङ) मूल पेंशन   |             | ₹               | 32170  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  |             | ₹               | 12868  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |             | ₹               | 19302  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |                 | ₹ 32170/-दि० 19.01.2018तक  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |             | ₹               | 19302  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             |                 | 40 छमाहियाँ  |
| <b>3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-</b>  |             |                 |  |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)  |             |                 | 13 तालिका सं०  |
| (ख) निर्धारित वेतन  |             | ₹               | 1,66,100   |
| <b>4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन</b>  |             |                 |  |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |             | ₹               | 83050  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन  |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन   |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन   |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)   |             | ₹               | लागू नहीं  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   |             | ₹               | 12868  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें   |             | ₹               | 70182  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |             | ₹               | ₹ 83050/-दि० 19.01.2020तक  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |             | ₹               | 49830  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |             | ₹               | लागू नहीं  |
| <b>5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुफ्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुफ्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।</b> |             |                 |  |

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9005 13140 2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 30.03.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बाराबंकी।
- श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-70नं०-एस-587/79/845, सत्यपेभीनगर, बाराबंकी-225001 को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बाराबंकी को प्रेषितपत्रांक 10633 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुफ्तान प्राप्तकरे।

3 अधिसारी अभियन्ता, वेक्साइड, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9006 8624 2000-01 उपग्रो/ दिनांक- 28.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री जितेन्द्र नारायण भार्गव सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |      |        |  |                    |
|-------|------------------------------|------|--------|--|--------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |      |        | अधिवर्षता                              |                    |
| (ख)   | पीपीओओ संख्या                | 1238 | दिनांक | 08.12.2000                             |                    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |      |        | 26.08.1942                             |                    |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |      |        |  | श्रीमती ऊषा भार्गव |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |      |        |  | 13.05.1950         |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      |        |  | 31.08.2000         |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |      |        |  | पाँचवा वेतनमान     |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |      |        | 18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000 |                    |
| (घ)   | वेतन                         |      |        | ₹                                      | 21900              |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    |      |        | ₹                                      | 27350              |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         |      |        | ₹                                      | पुनर्स्थापित       |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन |      |        | ₹                                      | 27350              |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |      |        |  | लागू नहीं          |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर |      |        | ₹                                      | 16410              |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |      |        | 63 छमहियाँ                             |                    |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |  |   |               |              |
|--------|---|--|---|---------------|--------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |  |   | 14 तालिका नं० |              |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  |  | ₹ |               | 1,57,600     |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |  |   |               |              |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |  | ₹ |               | 78800        |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |  | ₹ |               | 75219        |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |  | ₹ |               | 72100        |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  |  | ₹ |               | लागू नहीं    |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |  | ₹ |               | 75219        |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   |  | ₹ |               | पुनर्स्थापित |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       |  | ₹ |               | 75219        |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |  | ₹ |               | लागू नहीं    |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |  | ₹ |               | 47280        |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |  | ₹ |               | लागू नहीं    |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9006 8624 2000-01 उपग्रो/ दिनांक- 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री जितेन्द्र नारायण भार्गव, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता 110 बलेस्वदायर, लखनऊ

को इस आरायसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10614 दिनांक 27.03.2019 के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9007 11568 09-10 उ०प्र०/ दिनांक- 26.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैय्यद वजाहत हुसैन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

| 1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण  | स्वैच्छिक सेवानिवृत्त |                           |
|---|-----------------------|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार   | 4495                  | दिनांक 15.07.2009         |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या   |                       |                           |
| (ग) जन्मतिथि  |                       | 05.05.1949                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                       | श्रीमती शहिदा बेगम        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                       | 20.10.1953                |
| 2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                       | 31.03.2009                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान   |                       | छठें वेतनमान              |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |                       | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन  | ₹                     | 60340                     |
| (ङ) मूल पेंशन   | ₹                     | 30170                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹                     | 9730                      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹                     | 20440                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                       | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹                     | 18102                     |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |                       | 40 छमाहियाँ               |
| 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-   |                       |                           |
| (क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |                       | 13 तालिका नं०             |
| (ख) निर्धारित वेतन  | ₹                     | 1,56,600                  |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                       |                       |                           |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹                     | 78300                     |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹                     | लागू नहीं                 |
| (ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹                     | लागू नहीं                 |
| (ग)/(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                              | ₹                     | लागू नहीं                 |
| (घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)                                      | ₹                     | 78300                     |
| (ङ) राशिकृत पेंशन   | ₹                     | 9730                      |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ      | ₹                     | 68570                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹                     | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹                     | 46980                     |
| (ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹                     | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9007 11568 09-10 उ०प्र०/ दिनांक- 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यमचल विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली
- 2 श्री सैय्यद वजाहत हुसैन, सेवानिवृत्त (स्वैच्छिक) सहायक अभियन्ता, पता 69 खुशबू इन्क्लेव, पीलीभीत बाईपास, बरेली

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक 10615 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- 3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 27.03.2019



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9009 13716 15-16 उ०म०प्र०/ दिनांक- 26.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार गोण्डा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी स्व० हरिश्चन्द्र सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |  |                                       |        |                         |
|-------|--|---------------------------------------|--------|-------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार  |                                       |        | पारिवारिक पेंशन         |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या  | 7123                                  | दिनांक | 24.09.2016              |
| (ग)   | जन्मतिथि   |                                       |        | 05.10.1957              |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम                                |                                       |        | श्रीमती अर्चना गुप्ता   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि                           |                                       |        | 01.09.1964              |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि                                |                                       |        | 04.11.2013              |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान                                    |                                       |        | छठा वेतनमान             |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)                           | 14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे 8700 |        |                         |
| (घ)   | वेतन   | ₹                                     |        | 64420                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन  | ₹                                     |        | लागू नहीं               |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग                                   | ₹                                     |        | लागू नहीं               |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन                           | ₹                                     |        | लागू नहीं               |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर                             |                                       |        | 32210 दि० 03.11.2023 तक |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर                           | ₹                                     |        | 19325                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा                              |                                       |        |                         |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :- |                                       |        |                         |

|        |   |   |  |                         |
|--------|---|---|--|-------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   |  | 12 तालिका नं०           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ |  | 1,70,400                |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |  |                         |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |  | 85200                   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |  | लागू नहीं               |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |  | लागू नहीं               |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |  | लागू नहीं               |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹ |  | लागू नहीं               |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ |  | लागू नहीं               |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ |  | लागू नहीं               |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |  | 85200 दि० 03.11.2023 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |  | 51120                   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |  | लागू नहीं               |

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9009 13716 15-16 उ०म०प्र०/ दिनांक-26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गोण्डा
- श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी स्व० हरिश्चन्द्र, लेखाकार (दिवंगत), पता मकान नं० 170/120, राम कम्प्यूटर चौक बाजार, गोण्डा

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोण्डा को प्रेषित पत्रांक 10617 दिनांक 27.03.2019 के ज्ञापन सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोलि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

विक्रेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9010 13717 15-16 उ०प्र०/ दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमरेश राय सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता                  | दिनांक                  |
|-------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |                            |                         |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6783                       | 20.05.2015              |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 15.03.1955                 |                         |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |                            | श्रीमती माया राय        |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |                            | 13.01.1962              |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिग्गत तिथि      |                            | 31.03.2015              |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |                            | छठा वेतनमान             |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 37400-67000 ग्रेड पे 10000 |                         |
| (घ)   | वेतन                         | ₹                          | 77000                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹                          | 38500                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹                          | 15400                   |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹                          | 23100                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |                            | 38500 दि० 14.03.2022 तक |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹                          | 23100                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |                            |                         |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमद्वारा तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                     | 14 तालिका नं०             |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,99,600                |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                           |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 99800                   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं               |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं               |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं               |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 99800                   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ 15400                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ 84400                   |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 99800 दि० 14.03.2022 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 59880                   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9010 13717 15-16 उ०प्र०/ दिनांक-26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री अमरेश राय, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता द्वारा रमेश चन्द्र राय, ग्राम मोहनपुर, पी० बासदेवपुर, जिला याजीपुर

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10818 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9011 13710 14-15 उ०प्र०/ दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश कुमार धीमान सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |      |                           |                         |
|-------|------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |      | अधिवर्षता                 |                         |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6750 | दिनांक                    | 09.04.2015              |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |      |                           | 25.01.1955              |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |      |                           | श्रीमती अनीता शर्मा     |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |      |                           | 07.04.1959              |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |      |                           | 31.01.2015              |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |      |                           | छठा वेतनमान             |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |      | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |                         |
| (घ)   | वेतन                         | ₹    |                           | 72060                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹    |                           | 36030                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹    |                           | 14412                   |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹    |                           | 21618                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |      |                           | 36030 दि० 24.01.2022 तक |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹    |                           | 21618                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |      |                           |                         |

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|         |   |   |               |                         |
|---------|---|---|---------------|-------------------------|
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 13 तालिका नं० |                         |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹ |               | 1,86,900                |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |               |                         |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |               | 93450                   |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |               | लागू नहीं               |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |               | लागू नहीं               |
| (गो)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |               | लागू नहीं               |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹ |               | 93450                   |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹ |               | 14412                   |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ |               | 79038                   |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |               | 93450 दि० 24.01.2022 तक |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |               | 56070                   |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |               | लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9011 13710 14-15 उ०प्र०/ दिनांक-26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचालन विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री सतीश कुमार धीमान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मकान नं० 134, प्रथम तल, आशिधाना ग्रीन इन्दिरापुरम, गाजियाबाद

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 10619 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9014 6670 91-92 उ०म०प्र०/ दिनांक- 26.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रुबैदा खातून पत्नी स्व० शफीक सेवानिवृत्त पी०एस० 1 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |                                     |                   |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | पारिवारिक पेंशन                     |                   |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 8915                                | दिनांक 25.02.1992 |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | श्रीमती रुबैदा खातून                |                   |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती रुबैदा खातून                |                   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 01.01.1944                          |                   |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 13.02.1991                          |                   |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | चतुर्थ वेतनमान                      |                   |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 3400-4750/15600-39100 ग्रेड पे 6600 |                   |
| (घ)   | वेतन                         | ₹                                   | 4000              |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹                                   | लागू नहीं         |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹                                   | लागू नहीं         |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹                                   | लागू नहीं         |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | ₹                                   | लागू नहीं         |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹                                   | 4642              |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |                                     |                   |

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|        |   |               |           |
|--------|---|---------------|-----------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 11 तालिका नं० |           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹             | 76,200    |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |               |           |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹             | लागू नहीं |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹             | लागू नहीं |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹             | लागू नहीं |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹             | लागू नहीं |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹             | लागू नहीं |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹             | लागू नहीं |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹             | लागू नहीं |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹             | लागू नहीं |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹             | 22860     |
| (ञ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹             | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 को अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9014 6670 91-92 उ०म०प्र०/ दिनांक-26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्धल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्रीमती रुबैदा खातून पत्नी स्व० शफीक अहमद, दिवंगत पी०एस०-1, पता ग्राम इनाफ्त पट्टी, पी० उतराव, जिला प्रयागराज

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 10622 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०करालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार  
विभागाध्यक्ष  
पेंशन विभाग  
उ०प्र०पा०करालि०  
लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9015

13455

14-15

उ०प्र०/

दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                 |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 8511 दिनांक 21.07.2014    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 01.07.1954                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती कुसुम सिंह        |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 15.07.1961                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 30.06.2014                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठों वेतनमान              |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 66270                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 33135                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 13254                   |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 19881                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | 33135 दि० 30.06.2019 तक   |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 19881                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |                           |

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं०             |
|---|---|---------------------------|
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,71,100                |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन |   |                           |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 85550                   |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं               |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं               |
| (गो)(1)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं               |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 85550                   |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹ 13254                   |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹ 72296                   |
| (क)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 85550 दि० 30.06.2021 तक |
| (ख)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 51330                   |
| (ङ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

9015

13455

14-15

उ०प्र०/

दिनांक-26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 09 हिमशिटी-2, कंचनपुर मटियारी (बाबा अस्पताल के पीछे), पो० चिनहट, जिला लखनऊ 226028

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10623 दिनांक 27.03.2019 के प्रेषित सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

भुगतान नं०/सि०/उ०प्र०/पा०/का०/लि०/शक्ति भवन लखनऊ



पत्र सं० 9017 13135 12-13 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सरमद अहमद फारूकी

अधीक्षण  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

|        |  |                                  |
|--------|--|----------------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार  | स्वैच्छिक सेवानिवृत्त            |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या  | 6055 दिनांक 25-04-2013           |
| (ग)    | जन्मतिथि   | 25.12.1955                       |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशन का नाम   | श्रीमती फातिमा परवीन अहमद फारूकी |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि  | 05.02.1961                       |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  | 28.02.2013                       |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान  | छठवाँ वेतनमान                    |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)  | 37400-67000 (10000)              |
| (घ)    | वेतन   | 77,000                           |
| (ङ)    | मूल पेंशन  | 38,500                           |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग   | 15400                            |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | 23100                            |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | 38500 दिनांक 27.02.2020 तक       |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | 23100                            |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा  | 40 छमाहियाँ                      |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-<br>पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) | तालिका संख्या 14                 |
| (क)    | निर्धारित वेतन   | 1,99,600                         |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन   |                                  |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार   | 99,800                           |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन   | लागू नहीं                        |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन                                    | लागू नहीं                        |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन   | लागू नहीं                        |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)  | लागू नहीं                        |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन  | 15400                            |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये   | 84400                            |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)   | लागू नहीं                        |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | 99800 दिनांक 27.2.2020 तक        |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | 59,880                           |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9017 13135 12-13 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सरमद अहमद फारूकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता सी-940, सेक्टर बी, महानगर, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित प० 10636, दि० 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन लखनऊ





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंजीन नं० BENSIN/11-1837/1/UP/99SP/02492



पत्र सं० 9018 13129 12-13 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शान्ती देवी

अनुसेवक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |                        |
|--------|---|------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिर्वर्षिता           |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6032 दिनांक 30-03-2013 |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 25.10.1952             |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | लागू नहीं              |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | लागू नहीं              |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.10.2012             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठवाँ वेतनमान          |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 9300-34800 (4200)      |
| (घ)    | वेतन  | 19,750                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 9,875                  |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 3950                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 5925                   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | लागू नहीं              |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 06       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 50,900                 |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 25,450                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | लागू नहीं              |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 3950                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | 21500                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | लागू नहीं              |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9018 13129 12-13 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती शान्ती देवी, सं०नि० अनुसेवक पता म०न० 56, शाहनजफ रोड लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 10637 दि० 27.03.2019 के साक्ष्य समर्थक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
 उ० प्र० पा० का० लि०  
 शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 9019 13116 12-13 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लोकेश कुमार

अधीक्षण  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| क्र.   | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक              | अधिकारिता                  |
|--------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |           |                     |                            |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6056      | 25-04-2013          |                            |
| (ग)    | जन्मतिथि  |           | 09.03.1953          |                            |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशन का नाम  |           |                     | श्रीमती पूनम मेहता         |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि   |           |                     | 20.08.1961                 |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                     | 31.03.2013                 |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                     | छठवाँ वेतनमान              |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   |           | 37400-67000 (10000) |                            |
| (घ)    | वेतन  |           |                     | 77,000                     |
| (ङ)    | मूल पेंशन   |           |                     | 38,500                     |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  |           |                     | 15400                      |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |           | 23100               |                            |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                     | 38500 दिनांक 08.03.2018 तक |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |           |                     | 23100                      |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | 40 छमाहियाँ         |                            |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |                     |                            |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           | तालिका संख्या 14    |                            |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  |           |                     | 1,99,600                   |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                     |                            |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |           |                     | 99,800                     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |           |                     | लागू नहीं                  |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |           |                     | लागू नहीं                  |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  |           |                     | लागू नहीं                  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |           |                     | 99800                      |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   |           |                     | 15400                      |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |           |                     | 84400                      |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |           |                     | 99800 दिनांक 08.03.2020 तक |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |           |                     | 59880                      |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |           |                     | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9019 13116 12-13 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री लोकेश कुमार से०नि० अधीक्षण अभियन्ता पता प्लेट नं० ए-304 रोहतारा पशुपति अपार्टमेंट निकट एनवीआरआई मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 10638 दि० 27.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थिति में सुनिश्चित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UPP Power Corporation Limited

Government Undertaking

REGISTRATION NO. UPP/2011/UP/9955G/024978



पत्र सं० 9020 13113 12-13 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश सिंह

सुरक्षा प्रहरी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |               |                              |
|--------|---|---------------|------------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |               | अधिवर्षता                    |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 6021          | दिनांक 16-03-2013            |
| (ग)    | जन्मतिथि  |               | 03.01.1953                   |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |               | श्रीमती विद्या देवी कुशावाहा |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |               | अकित नहीं                    |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |               | 31.01.2013                   |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |               | छठवाँ वेतनमान                |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |               | 9300-34800 (4200)            |
| (घ)    | वेतन  |               | 20,760                       |
| (ङ)    | मूल पेंशन   |               | 10,380                       |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत माग  |               | 4152                         |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |               | 6228                         |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |               | 10380 दिनांक 02.01.2018 तक   |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |               | 6228                         |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |               | 40 छमाहियाँ                  |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |               |                              |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या | 06                           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  |               | 54,000                       |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |               |                              |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |               | 27,000                       |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |               | लागू नहीं                    |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |               | लागू नहीं                    |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  |               | लागू नहीं                    |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |               | 27000                        |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   |               | 4152                         |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |               | 22848                        |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |               | 27000 दिनांक 09.01.2020 तक   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |               | 16200                        |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |               | लागू नहीं                    |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9020 13113 12-13 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री ओम प्रकाश सिंह से०नि० सुरक्षा प्रहरी, पता ग्राम मुडियारा पोस्ट खरसरा थाना मलिहाबाद, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित प० 10639 दि० 27.03.2019 के मापने समर्थ

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पंजीन PENSION/CPN/22201U/199956/CO2/4928



पत्र सं० 9021 11041 06-07 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज कुमार गुप्ता

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.   | विवरण   | अधि-वर्षिता | दिनांक             | अधि-वर्षिता   |
|--------|---|-------------|--------------------|---------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |             |                    |               |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 3760        | 28-09-2006         |               |
| (ग)    | जन्मतिथि  |             |                    |               |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |                    | लागू नहीं     |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |                    | लागू नहीं     |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |             |                    | 30.06.2006    |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |             |                    | छठवाँ वेतनमान |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             | 37400-67000 (8900) |               |
| (घ)    | वेतन  |             |                    | 55,210        |
| (ङ)    | मूल पेंशन   |             |                    | 27,605        |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  |             |                    | 7186          |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |             | 20419              |               |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |                    | लागू नहीं     |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |             |                    | लागू नहीं     |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             | 40 छमाहियाँ        |               |
| 3      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |             |                    |               |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |             | तालिका संख्या      | 13            |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  |             |                    | 1,43,300      |
| 4      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |             |                    |               |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |             |                    | 71,650        |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    |             |                    | लागू नहीं     |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन |             |                    | लागू नहीं     |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  |             |                    | 71,650        |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       |             |                    | 71650         |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   |             |                    | 7186          |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     |             |                    | 64464         |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |             |                    | लागू नहीं     |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |             | लागू नहीं          |               |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |             |                    | लागू नहीं     |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9021 11041 06-07 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री राज कुमार गुप्ता से०नि० सहायक अभियन्ता, पता 3/47 विकास खण्ड, गोमती नगर लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित प० 10640 दि० 27.03.2019 के साथ प्रेषित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र०-सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION PLAN D32201UP1499SGC024928



पत्र सं०

9022

11036

06-07

उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुभाष चन्द्र भार्गव

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |      |                    |
|--------|---|------|--------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |      | अधिवर्षिता         |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 3732 | दिनांक 13-09-2006  |
| (ग)    | जन्मतिथि  |      |                    |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |      | लागू नहीं          |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |      | लागू नहीं          |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |      | 31.03.2006         |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |      | छठवाँ वेतनमान      |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |      | 37400-67000 (8900) |
| (घ)    | वेतन  |      | 55,210             |
| (ङ)    | मूल पेंशन   |      | 27,605             |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  |      | 6976               |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  |      | 20629              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |      | लागू नहीं          |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  |      | लागू नहीं          |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |      | 40 छमाहियाँ        |
| 3      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -<br>पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) |      | तालिका संख्या 13   |
| (क)    | निर्धारित वेतन  |      | 1,43,300           |
| 4      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन  |      |                    |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  |      | 71,650             |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन  |      | लागू नहीं          |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन                                   |      | लागू नहीं          |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन  |      | 71,650             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)   |      | 71650              |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   |      | 6976               |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें                                       |      | 64674              |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  |      | लागू नहीं          |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  |      | लागू नहीं          |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  |      | लागू नहीं          |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

9022

11036

06-07

उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सुभाष चन्द्र भार्गव से०नि० सहायक अभियन्ता, पता 2/225 विकास खण्ड, गोमती नगर लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित प० 10641 दि० 27.03.2019 के माफिक सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

UP Power Corporation Limited  
Uttar Pradesh Power Corporation Limited  
Uttar Pradesh, India

PENSION NUMBER: 072010101010024970



पत्र सं० 9023 11073 06-07 उ०म०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार  
लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार  | अधिवर्षिता              |
|--------|--|-------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या  | 3794 दिनांक 16-10-2006  |
| (ग)    | जन्मतिथि   |                         |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम  | श्रीमती मीरा श्रीवास्तव |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | अकिंत नही               |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि  | 30.06.2006              |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान  | छठवाँ वेतनमान           |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 (8900)      |
| (घ)    | वेतन   | 55,210                  |
| (ङ)    | मूल पेंशन  | 27,605                  |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग   | 7186                    |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | 20419                   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नही                |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | 16563                   |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा  | 40 छमाहियाँ             |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-<br>पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) | तालिका संख्या 13        |
| (क)    | निर्धारित वेतन   | 1,43,300                |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन   |                         |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार   | 71,650                  |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन   | लागू नही                |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन                                    | लागू नही                |
| (ग)(i) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन   | 71,650                  |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)  | 71650                   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन  | 7186                    |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें  | 64464                   |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)   | लागू नही                |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | 42990                   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | लागू नही                |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9023 11073 06-07 उ०म०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री विजय कुमार श्रीवास्तव से०नि० सहायक अभियन्ता, पता 5/20 विकास नगर लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 10642 दि० 27.03.2019 के सम्बन्ध सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
UP Power Corporation Limited  
U.P. Power Corporation Limited

REGISTRATION NO: U32201UP2999999024926



पत्र सं० 9024 11066 06-07 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार  
लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री केशव वीर सक्सेना

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | अधिवर्षिता             |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 3740 दिनांक 16-09-2006 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती मंजू सक्सेना   |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 28.02.1950             |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.07.2006             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठवाँ वेतनमान          |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 (8900)     |
| (घ)    | वेतन  | 55,210                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | 27,605                 |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | 7186                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | 20419                  |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 16563                  |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियाँ            |
| 3      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 13       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 1,43,300               |
| 4      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | 71,650                 |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | 71,650                 |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | 71650                  |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | 7186                   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | 64464                  |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 42990                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9024 11066 06-07 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री केशव वीर सक्सेना से०नि० सहायक अभियन्ता, पता 148 आराधना इन्डिस्ट्रियल कॉलोनी उदयन-1, बैंगला बाजार लखनऊ को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित प० 10643 दि० 27.03.2019 को प्रेषित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पत्र सं० 9025 11058 06-07 उ०प्र०/दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार  
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पार्वती देवी पत्नी विजय सिंह फेरोब्बाय का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| (क)    | पेंशन का प्रकार   | पारिवारिक              |
|--------|---|------------------------|
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 3722 दिनांक 08-09-2006 |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                        |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती पार्वती देवी   |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 08.06.1958             |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.12.2005             |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | पाचवाँ वेतनमान         |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 5300-8600              |
| (घ)    | वेतन  | 6,650                  |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | लागू नहीं              |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | लागू नहीं              |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं              |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | 4218                   |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 0                      |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                        |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका संख्या 06       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | 42,600                 |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                        |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | लागू नहीं              |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | लागू नहीं              |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं              |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | लागू नहीं              |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | लागू नहीं              |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | लागू नहीं              |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | लागू नहीं              |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | लागू नहीं              |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | 12780                  |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | लागू नहीं              |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9025 11058 06-07 उ०प्र०/दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्व० विजय सिंह फेरोब्बाय पात 149, शिवानी बिहार कल्याणपुर विकास नगर लखनऊ को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 10644 दि० 27.03.2018 के सम्बन्ध में प्रेषित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9026 13138 13-14 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती धनपति देवी पत्नी स्व० श्री राम चरण

वरिष्ठ लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |                              |                             |
|--------|------------------------------|-----------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार              | पारिवारिक                   |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या              | 6072 दिनांक 08-05-2013      |
| (ग)    | जन्मतिथि                     | 30.07.1954                  |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती धनपति देवी          |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 12.03.1960                  |
| 2. (क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 28.01.2013                  |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान          | छठवाँ वेतनमान               |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | (15600-39100 ग्रेड पे 6600) |
| (घ)    | वेतन                         | 35,430                      |
| (ङ)    | मूल पेंशन                    | लागू नहीं                   |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग         | लागू नहीं                   |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | लागू नहीं                   |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | 17715 दिनांक 29.07.2019 तक  |

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर 10629

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) तालिका संख्या 11

(ख) निर्धारित वेतन 91,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार 45,550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) 45550 दिनांक 28.01.2023 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) 27330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9026 13138 13-14 उ०प्र०/ दिनांक 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती धनपति देवी पत्नी स्व० राम चरण वरिष्ठ लेखाधिकारी पता 537 घ/ए 18, श्रीनगर, कालोनी सीतापुर रोड लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 10645 दि० 27.03.2019 के संप्लेस सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9027 11834 09-10 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मथुरा।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राम बहादुर अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता | दिनांक      | मूल्य                     |
|-------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |           |             |                           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 4803      | 09.03.2010  |                           |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |           |             | 05.10.1949                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |           |             | श्रीमती शीला अग्रवाल      |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |           |             | 10.01.1953                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |           |             | 31.10.2009                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |           |             | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |           |             | 37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹         |             | 62,160                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹         |             | 31080                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹         |             | 10022                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹         |             | 21058                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |           |             | लागू नहीं                 |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹         |             | 18648                     |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |           | छमाहियाँ 40 |                           |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |   |  |               |
|-----|---|---|--|---------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   |  | तालिका नं० 13 |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ |  | 1,61,300      |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |  |               |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |  | 80650         |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |  | लागू नहीं     |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |  | लागू नहीं     |
| (घ) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |  | लागू नहीं     |
| (ङ) | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ |  | 80650         |
| (च) | राशिकृत पेंशन   | ₹ |  | 10022         |
| (छ) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय         | ₹ |  | 70628         |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |  | लागू नहीं     |
| (झ) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |  | 48390         |
| (ण) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |  | लागू नहीं     |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9027 11834 09-10 उ०म०प्र०/

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।
  2. श्री राम बहादुर अग्रवाल, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-14/8, बसन्त मार्ग, मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा। को प्रेषित पत्रांक 10646 दिनांक: 27.03.2019 के साथै सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9029 13586 14-15 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-26.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राजबीर समाधिया सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता | दिनांक     | मूल्य                      |
|-------|------------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |           |            |                            |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6595      | 28.09.2014 |                            |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |           |            | 02.06.1954                 |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |           |            | श्रीमती कृष्णा समाधिया     |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |           |            | 15.05.1956                 |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |           |            | 30.08.2014                 |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |           |            | छठा वेतनमान                |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |           |            | 37400-67000 ग्रेड पे-10000 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹         |            | 74,600                     |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹         |            | 37300                      |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹         |            | 14920                      |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹         |            | 22380                      |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |           |            | ₹ 37300 दि० 01.06.2019 तक  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹         |            | 22380                      |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |           |            | छमाहियाँ 40                |

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |   |  |                           |
|-----|---|---|--|---------------------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   |  | तालिका नं० 14             |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ |  | 1,93,800                  |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |  |                           |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |  | 96900                     |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |  | लागू नहीं                 |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |  | लागू नहीं                 |
| (ग) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |  | लागू नहीं                 |
| (घ) | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹ |  | 96900                     |
| (ङ) | राशिकृत पेंशन   | ₹ |  | 14920                     |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ |  | 81980                     |
| (क) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |  | ₹ 96900 दि० 01.06.2021 तक |
| (ख) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |  | 58140                     |
| (ङ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |  | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9029 13586 14-15 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- 2 श्री राजबीर समाधिया, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-जी०एच०-41 विन्डसर पार्क, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक 10848 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० लि०  
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9030 9449 02-03 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गौतमबुद्धनगर।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य प्रकाश तृतीय सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक      | मूल्य                                       |
|-------|---|-----------|-------------|---|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |           |             |   |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   | 2229      | 26.05.2003  |   |
| (ग)   | जन्मतिथि  |           |             | 29.09.1944                                  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशन का नाम  |           |             | लागू नहीं                                   |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि   |           |             | लागू नहीं                                   |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |             | 30.09.2002                                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |           |             | पांचवा वेतनमान                              |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |             | 18400-22400 ग्रेड पे-10000                  |
| (घ)   | वेतन  | ₹         |             | 22,400                                      |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹         |             | 26936                                       |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |             | 4019  |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |             | 22917                                       |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |             | लागू नहीं                                   |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |             | लागू नहीं                                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | छमाहियाँ 65 |   |
| 3.    | दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |             |   |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |             | तालिका नं० 14                               |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹         |             | 1,62,300                                    |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |           |             |   |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |             | 81150                                       |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा क्रम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                  | ₹         |             | 79921                                       |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |             | 72100                                       |
| (ग)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                   | ₹         |             | लागू नहीं                                   |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |             | 79921                                       |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹         |             | 4019  |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका सन्धान न लिया जाये         | ₹         |             | ₹ 75902 दि० 25.08.2018 तक तदुपरान्त ₹ 79921 |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |             | लागू नहीं                                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |             | लागू नहीं                                   |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |             | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9030 9449 02-03 उपग्रो/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. श्री सत्य प्रकाश-तृतीय, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-सी-114, बीटा-प्रथम ग्रेटर नोएडा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 10649 दिनांक 27.03.2019 के मापक सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकालि०, रावत मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9031 9024 2001-2002 उपरो/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, शाहजहाँपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता                 |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |                           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 1792 दिनांक 24.04.2002    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 01.07.1943                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती रमा गुप्ता        |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | अंकित नहीं                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 30.06.2001                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | पांचवा वेतनमान            |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  | 16400-20000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 20,000                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 24295                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 3040                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 21255                   |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                 |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 14577                   |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | छमाहियाँ 66               |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |   |
|-----|---|---|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं० 13                                 |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,39,100                                    |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 69550                                       |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                                   |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                                   |
| (ग) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                                   |
| (घ) | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 69550                                       |
| (ङ) | राशिकृत पेंशन   | ₹ 3040  |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय        | ₹ ₹ 66510 दि० 23.07.2017 तक तदुपरान्त ₹ 69550 |
| (छ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)  | ₹ लागू नहीं                                   |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 41730                                       |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9031 9024 2001-2002 उपरो/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाही अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, शाहजहाँपुर।
2. श्री विनोद कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पाता-शिवपुरम् कालोनी, सिजई कनीजिया अस्पताल शाहजहाँपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार शाहजहाँपुर। को प्रेषित पत्रांक 10650 दिनांक 27.03.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाही अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकाओलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9032 13557 14-15 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-26.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गौतमबुद्ध नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संजय कपूर सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति     |
|-------|---|----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |                            |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   | 6622 दिनांक 29.10.2014     |
| (ग)   | जन्मतिथि  | 23.02.1966                 |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती रागिनी कपूर        |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 04.01.1968                 |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिबंगत तिथि   | 30.04.2014 स्वैच्छिक       |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   | छठा वेतनमान                |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 ग्रेड पे-10000 |
| (घ)   | वेतन  | ₹ 64,720                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹ 32360                    |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ 12944                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ 19416                    |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | ₹ 32360 दि० 29.04.2021 तक  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 19416                    |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | छमाहियाँ 40                |
| 3.    | दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                            |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं० 14              |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,67,200                 |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |                            |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 83600                    |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                |
| (घ)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                |
| (ङ)   | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 83600                    |
| (च)   | राशिकृत पेंशन   | ₹ 12944                    |
| (छ)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ 70856                    |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 83600 दि० 29.04.2021 तक  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 50160                    |
| (ण)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9032 13557 14-15 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गौतमबुद्ध नगर।
- 2 श्री संजय कपूर, सेवानिवृत्ति अधिशासी अभियन्ता, पता-ए-13, सेक्टर-52, नोएडा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित पत्रांक 10651 दिनांक: 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9033 13459 14-15 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-26.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिपिन किशोर सिन्हा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिसर्वता                  |
|-------|---|----------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |                            |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   | 6609 दिनांक 17.10.2014     |
| (ग)   | जन्मतिथि  | 01.09.1954                 |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | लागू नहीं                  |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | लागू नहीं                  |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.08.2014                 |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   | छठा वेतनमान                |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)   | 37400-67000 ग्रेड पे-10000 |
| (घ)   | वेतन  | ₹ 77,000                   |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹ 38500                    |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ 15400                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ 23100                    |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | लागू नहीं                  |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ लागू नहीं                |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | छमाहियाँ 40                |
| 3.    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |                            |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं० 14              |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹ 1,99,600                 |
| 4.    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                            |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 99800                    |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2015 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                |
| (ग)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 99800                    |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹ 15400                    |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ 84400                    |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ लागू नहीं                |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ लागू नहीं                |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9033 13459 14-15 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वित विद्युत वितरण नियम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्री बिपिन किशोर सिन्हा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-लेन नं०-8 सी, प्लाट नं०-78, महामनापुरी, वाराणसी-221005।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक 10652 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष कम्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9034 13581 14-15 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-28.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रसाद खरे सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक            | रकम   |
|---------|---|-----------|-------------------|---|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |                   |   |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 6697      | दिनांक 21.01.2015 |   |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |                   | 29.10.1954                                  |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |                   | श्रीमती शीला खरे                            |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |                   | 01.02.1957                                  |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                   | 31.10.2014                                  |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                   | छटा वेतनमान                                 |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |                   | 37400-87000 ग्रेड पे-8900                   |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |                   | 68,260                                      |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |                   | 34130                                       |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                   | 13652                                       |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |                   | 20478                                       |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                   | 34130                                       |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                   | 20478                                       |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | छमाहियाँ 40       |   |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |                   |   |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |                   | तालिका नं० 13                               |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |                   | 1,76,200                                    |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                   |   |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                   | 88100                                       |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                   | लागू नहीं                                   |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                   | लागू नहीं                                   |
| (ग)     | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |                   | लागू नहीं                                   |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹         |                   | 88100                                       |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                   | 13652                                       |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये        | ₹         |                   | 74448                                       |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                   | ₹ 88100 दि० 28.10.2021 तक तदुपरान्त ₹ 52860 |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                   | 52860                                       |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                   | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9034 13581 14-15 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद खरे, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम व पोस्ट-सुमेरपुर, जिला हमीरपुर उ०प्र०।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर। को प्रेषित पत्रांक 10653 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9035 13582 14-15 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-26.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कान्त गुप्ता सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण   | अधिद्वर्षता | दिनांक     | मूल्य                                       |
|-------|---|-------------|------------|---|
| (क)   | पेंशन का प्रकार   |             |            |   |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या   | 6596        | 27.09.2014 |   |
| (ग)   | जन्मतिथि  |             |            | 29.11.1951                                  |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |             |            | श्रीमती रीता गुप्ता                         |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |             |            | 01.01.1958                                  |
| 2 (क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |             |            | 30.11.2011                                  |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान   |             |            | छठा वेतनमान                                 |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |             |            | 37400-67000 ग्रेड पे-10000                  |
| (घ)   | वेतन  | ₹           |            | 76,100                                      |
| (ङ)   | मूल पेंशन   | ₹           |            | 38050                                       |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹           |            | 15220                                       |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹           |            | 22830                                       |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |             |            | 38050                                       |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹           |            | 22830                                       |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |             |            | छमाहियाँ 40                                 |
| 3     | दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |             |            |   |
| (क)   | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |             |            | तालिका नं० 14                               |
| (ख)   | निर्धारित वेतन  | ₹           |            | 1,99,600                                    |
| 4     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |             |            |   |
| (क)   | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹           |            | 99800                                       |
| (ख)   | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹           |            | लागू नहीं                                   |
| (ग)   | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹           |            | लागू नहीं                                   |
| (ग)   | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹           |            | लागू नहीं                                   |
| (घ)   | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹           |            | 99800                                       |
| (ङ)   | राशिकृत पेंशन   | ₹           |            | 15220                                       |
| (च)   | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹           |            | 84580                                       |
| (छ)   | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹           |            | ₹ 99800 दि० 28.11.2018 तक तदुपरान्त ₹ 59880 |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹           |            | 59880                                       |
| (झ)   | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹           |            | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9035 13582 14-15 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वित्त लेखा एवं बजट संगठन, पनकी ताप विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, पनकी कानपुर।

2. श्री विजय कान्त गुप्ता, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-111 ए/29, अशोक नगर, धाना नजीराबाद, कानपुर, अशोक नगर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश-208012।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर। को प्रेषित पत्रांक 10653 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9036 13544 14-15 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-28.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्यामा नन्द मिश्रा सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक | मूल्य                     |
|------|---|-----------|--------|---------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार   |           |        |                           |
| (ख)  | पी०पी०ओ० संख्या   |           | 6600   |                           |
| (ग)  | जन्मतिथि  |           |        | 18.08.1954                |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |        | श्रीमती प्रमिला मिश्रा    |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |        | 22.02.1958                |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |        | 31.08.2014                |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान   |           |        | छठा वेतनमान               |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |        | 37400-67000 ग्रेड पे-8700 |
| (घ)  | वेतन  | ₹         |        | 68,000                    |
| (ङ)  | मूल पेंशन   | ₹         |        | 34000                     |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत माग  | ₹         |        | 13600                     |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |        | 20400                     |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |        | ₹ 34000 दि० 17.08.2021 तक |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |        | 20400                     |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |        | छमाहियाँ 40               |
| 3    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |        |                           |
| (क)  | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |        | तालिका नं० 12             |
| (ख)  | निर्धारित वेतन  | ₹         |        | 1,75,500                  |
| 4    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |        |                           |
| (क)  | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |        | 87750                     |
| (ख)  | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |        | लागू नहीं                 |
| (ग)  | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |        | लागू नहीं                 |
| (ग)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |        | लागू नहीं                 |
| (घ)  | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹         |        | 87750                     |
| (ङ)  | राशिकृत पेंशन   | ₹         |        | 13600                     |
| (च)  | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |        | 74150                     |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |        | ₹ 87750 दि० 17.08.2021    |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |        | 52650                     |
| (ञ)  | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |        | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9036 13544 14-15 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
2. श्री श्यामा नन्द मिश्र सेवानिवृत्ति सहायक लेखाधिकारी, पता-बी० 33/43 बी, बटुआपुरा पो० सुन्दरपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक 10655 दिनांक 27.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9042

13583

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव गोविन्द सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक            | मूल्य                                       |
|---------|---|-----------|-------------------|---|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |                   |   |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 6751      | दिनांक 09.04.2015 |   |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |                   | 03.10.1953                                  |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |                   | श्रीमती कलावती                              |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |                   | अंकित नहीं                                  |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                   | 31.10.2013                                  |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                   | छठा वेतनमान                                 |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |                   | 37400-67000 ग्रेड पे-8700                   |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |                   | 64410                                       |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |                   | 32205                                       |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                   | 12882                                       |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |                   | 19323                                       |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                   | 32205                                       |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                   | 19323                                       |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | 40 छमाहियां       |   |
| 3.      | दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |                   |   |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           | 12 तालिका नं०     |   |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |                   | 170400                                      |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |           |                   | लागू नहीं                                   |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                   | 85200                                       |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                   | लागू नहीं                                   |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                   | लागू नहीं                                   |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |                   | लागू नहीं                                   |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹         |                   | 85200                                       |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                   | 12882                                       |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |                   | 72318                                       |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                   | 85200/- दि० 02.10.2020 तक तदुपरान्त 51120/- |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                   | 51120                                       |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                   | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9042

13583

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- श्री शिव गोविन्द, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-ग्राम-कबीरपुरे मातादीन का पुरवा, पोस्ट-बिसाहिया, तहसील-कुण्डा, जिला-प्रतापगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 10656 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। (इलाहाबाद)

3 अधिसासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9043

8491

2000-2001 उ०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

क० रामा पुत्री स्व० अब्दुल रशीद सेवानिवृत्त साइक्लो मशीन का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
आपरेटर

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | दिनांक | पारिवारिक पेंशन                     |
|-------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |        | पारिवारिक पेंशन                     |
| (ख)   | पीपीओ संख्या                 | 1087   | दिनांक 29.07.2000                   |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |        | 19.06.1940                          |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |        | कुमारी रामा                         |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |        | 25.06.1970                          |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |        | 30.06.2000/11.11.2000               |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |        | पांचवा वेतनमान                      |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |        | 4200-6400/15200-20000 ग्रेड-पे-2600 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹      | 6000                                |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹      | लागू नहीं                           |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹      | लागू नहीं                           |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹      | लागू नहीं                           |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |        | लागू नहीं                           |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹      | 4068                                |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |        | 66 छमाहियां                         |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

|        |   |   |               |
|--------|---|---|---------------|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | 04 तालिका नं० |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ | 35400         |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   | लागू नहीं     |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | लागू नहीं     |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं     |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं     |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं     |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹ | लागू नहीं     |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ | लागू नहीं     |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ | लागू नहीं     |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | लागू नहीं     |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 10620         |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं     |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुकूल दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9043

8491

2000-2001 उ०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 क० रामा पुत्री स्व० अब्दुल रशीद, सेवानिवृत्त साइक्लो मशीन आपरेटर, पता-सी-2095/1, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10657 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

रामेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9044

13262

2013-2014 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अजय कुमार सक्सेना सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | दिनांक | अधिवर्षता                 |
|---------|---|--------|---------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |        |                           |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 6212   | दिनांक 16.09.2013         |
| (ग)     | जन्मतिथि  |        | 10.05.1953                |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |        | श्रीमती रेनु सक्सेना      |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |        | 27.02.1957                |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |        | 31.05.2013                |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |        | पांचदा वेतनमान            |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |        | 37400-67000 ग्रेड-पे-8900 |
| (घ)     | वेतन  | ₹      | 67920                     |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹      | 33960                     |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹      | लागू नहीं                 |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹      | लागू नहीं                 |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |        | 33960                     |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹      | 20376                     |
| (ग)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |        | 66 छमाहियां               |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |        |                           |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |        | 13 तालिका नं०             |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹      | 176200                    |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |        | लागू नहीं                 |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      | 88100                     |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      | लागू नहीं                 |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      | लागू नहीं                 |
| (ग)(i)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹      | लागू नहीं                 |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹      | 88100                     |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹      | लागू नहीं                 |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय         | ₹      | लागू नहीं                 |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      | 88100/- दि० 09.05.2020 तक |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      | 52860                     |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9044

13262

2013-2014 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।
- श्री अजय कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-138/1 सातवीं लेन, गील्डन ग्रीन पार्क, बरेली, आशोक विश्वविद्यालय-243006

को इस आशय से प्रेषित कि वह मुगतान प्राप्त करे।

कोषागार

बरेली

को प्रेषित पत्रांक 10658 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०कार्यालय, शांति नगर, लखनऊ।


लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC02492B

पत्र सं० 9045

13595

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुजीत गॉन

सेवानिवृत्त

कीड़ा अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक            | मूल्य                     |
|---------|---|-----------|-------------------|---------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |                   |                           |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 6619      | दिनांक 28.10.2014 |                           |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |                   | 03.09.1954                |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशन का नाम  |           |                   | श्रीमती साधना गॉन         |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि   |           |                   | 11.08.1959                |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                   | 30.09.2014                |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                   | छठा वेतनमान               |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |                   | 37400-67000 ग्रेड-पे-8900 |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |                   | 63450                     |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |                   | 31725                     |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                   | 12690                     |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |                   | 19035                     |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                   | 31725                     |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                   | 19035                     |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | 40                | छमाहियां                  |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |                   |                           |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           | 13                | तालिका नं०                |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |                   | 166100                    |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                   | लागू नहीं                 |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                   | 83050                     |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |                   | लागू नहीं                 |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |                   | 83050                     |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                   | 12690                     |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |                   | 70360                     |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                   | 83050                     |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                   | 49830                     |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                   | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9045

13595

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री सुजीत गॉन, सेवानिवृत्तकीड़ा अधिकारी, पता-5/1070 विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10659 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें। लखनऊ।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9046

6735

1991-1992 उ०म०प०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी स्व० रघुनन्दन सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
सरन अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|        |   |      |                                     |
|--------|---|------|-------------------------------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |      | पारिवारिक पेंशन                     |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 2551 | दिनांक 09.03.2004                   |
| (ग)    | जन्मतिथि  |      |                                     |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |      | श्रीमती विजय लक्ष्मी                |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |      | 26.01.1950                          |
| 2(क)   | सेवानिवृत्त/दिदगत तिथि  |      | 22.02.1990                          |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |      | चौथा वेतनमान                        |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |      | 3400-4750/15600-39100 ग्रेड-पे-6600 |
| (घ)    | वेतन  | ₹    | 4000                                |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | ₹    | लागू नहीं                           |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹    | लागू नहीं                           |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹    | लागू नहीं                           |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | ₹    | लागू नहीं                           |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹    | 4643                                |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |      | 50 छमाहियां                         |
| 3.     | दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |      |                                     |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |      | 11 तालिका नं०                       |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹    | 76200                               |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |      | लागू नहीं                           |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹    | लागू नहीं                           |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹    | लागू नहीं                           |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹    | लागू नहीं                           |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹    | लागू नहीं                           |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹    | लागू नहीं                           |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹    | लागू नहीं                           |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹    | लागू नहीं                           |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹    | लागू नहीं                           |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹    | 22860                               |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹    | लागू नहीं                           |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9046

6735

1991-1992 उ०म०प०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी स्व० रघुनन्दन सरन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-15 पत्नी पुरम्, फेस-2, मोदीपुरम्, गवाना, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार मेरठ। को प्रेषित पत्रांक 10660 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9047

13593

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव कुमार सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.   | विवरण   | अधिवर्षता                               |
|--------|---|---|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |   |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 7307 दिनांक 11.10.2017                  |
| (ग)    | जन्मतिथि  | 20.10.1950                              |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   | श्रीमती रंजना सिंह                      |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | 10.11.1956                              |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   | 31.10.2010                              |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   | छठा वेतनमान                             |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 57600-10000/37400-67000 ग्रेड-पे-10000  |
| (घ)    | वेतन  | ₹ 67600                                 |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | ₹ 33462 (1 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त) |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹ लागू नहीं                             |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹ लागू नहीं                             |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  | ₹ 33800                                 |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹ 20280                                 |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   | 40 छमाहियां                             |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |   |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 14 तालिका नं०                           |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹ 177400                                |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      | ₹ लागू नहीं                             |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 87813/- (1 प्रतिशत दण्ड के बाद)       |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                             |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                             |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                             |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)                                       | ₹ 87813                                 |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹ लागू नहीं                             |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ लागू नहीं                             |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 88700                                 |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 53220                                 |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9047

13593

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमौंचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-यू०जी० 2/18, शालीमार गार्डन एक्स-1, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह भुगतान प्राप्त करे।

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक 10681 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर





# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9048

13597

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम नगीना सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|       |                              |                           |                  |
|-------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                 |                  |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6655 दिनांक 06.12.2014    |                  |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |                           | 05.09.1954       |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |                           | श्रीमती उषा सिंह |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |                           | 10.12.1960       |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |                           | 30.09.2014       |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |                           | छठा वेतनमान      |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)  | 37400-67000 ग्रेड-पे-8900 |                  |
| (घ)   | वेतन                         | ₹                         | 72060            |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹                         | 36030            |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹                         | 14412            |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹                         | 21618            |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |                           | 36030            |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹                         | 21618            |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 40 छमाहियां               |                  |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

|        |   |               |   |
|--------|---|---------------|---|
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | 13 तालिका नं० |   |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹             | 186900  |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |               | लागू नहीं   |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹             | 93450   |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹             | लागू नहीं   |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹             | लागू नहीं   |
| (ग)(i) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹             | लागू नहीं   |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹             | 93450   |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹             | 14412   |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹             | 79038   |
| (ण)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹             | 93450/- दि० 04.09.2021 तक तदुपरान्त दि० 05.09.2021 से |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹             | 56070   |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹             | लागू नहीं   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (च)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

9048

13597

2014-2015 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, केरसा हाउस-14/71, सिविल लाइन, कानपुर।
  2. श्री राम नगीना सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न० 821 (बी), बी ब्लॉक, पनकी, कानपुर नगर-208020
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक 10662 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेनसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9049

13600

2014-2015 उ०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रघुनाथ लाल श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | दिनांक | अधिवर्षता                                   |
|---------|---|--------|---|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |        |   |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   | 6611   | दिनांक 18.10.2014                           |
| (ग)     | जन्मतिथि  |        | 10.01.1954                                  |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |        | श्रीमती सुधा श्रीवास्तव                     |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |        | 10.08.1965                                  |
| 2(क)    | सेवानिवृत्त/दिबंगत तिथि   |        | 31.01.2014                                  |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |        | छठा वेतनमान                                 |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |        | 57600-10000/37400-67000 ग्रेड-पे-8900       |
| (घ)     | वेतन  | ₹      | 66270                                       |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹      | 33135                                       |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹      | 12868                                       |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹      | 20267                                       |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |        | 33135                                       |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹      | 19881                                       |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |        | 40 छमाहियां                                 |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |        |   |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमद्वारा तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                     |        | 13 तालिका नं०                               |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹      | 171100                                      |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |        | लागू नहीं                                   |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹      | 85550                                       |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹      | लागू नहीं                                   |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹      | लागू नहीं                                   |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹      | लागू नहीं                                   |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹      | 85550                                       |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹      | 12868                                       |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें     | ₹      | 72882                                       |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹      | 85550/- दि० 09.01.2021 तक तदुपरान्त 51330/- |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹      | 51330                                       |
| (ञ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹      | लागू नहीं                                   |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9049

13600

2014-2015 उ०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-पश्चिम विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2. श्री रघुनाथ लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प०ओ०आई०जी०-73, कालिन्दीपुरम्, प्रयागराज (इलाहाबाद)।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 10663 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।  
(इलाहाबाद)

3.

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIM: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9050

9723

2003-2004 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विमल कुमार जैन

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.   | विवरण   | अधिवर्षता               | दिनांक    | विवरण          |
|--------|---|-------------------------|-----------|----------------|
| (क)    | पेंशन का प्रकार   |                         |           |                |
| (ख)    | पी०पी०ओ० संख्या   | 2842                    | दिनांक    | 29.10.2004     |
| (ग)    | जन्मतिथि  |                         |           | 06.06.1945     |
| (घ)    | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |                         |           | लागू नहीं      |
| (ङ)    | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |                         |           | लागू नहीं      |
| 2.(क)  | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |                         |           | 30.06.2003     |
| (ख)    | तत्समय लागू वेतनमान   |                         |           | पांचवा वेतनमान |
| (ग)    | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  | 16400-20000/37400-67000 | ग्रेड-पे- | 8900           |
| (घ)    | वेतन  | ₹                       |           | 20000          |
| (ङ)    | मूल पेंशन   | ₹                       |           | 24295          |
| (च)    | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹                       |           | 2700           |
| (छ)    | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹                       |           | 21595          |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |                         |           | लागू नहीं      |
| (झ)    | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹                       |           | लागू नहीं      |
| (ण)    | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |                         |           | 66 छमाहियां    |
| 3.     | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |                         |           |                |
| (क)    | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमधार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |                         |           | 13 तालिका नं०  |
| (ख)    | निर्धारित वेतन  | ₹                       |           | 139100         |
| 4.     | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |                         |           | लागू नहीं      |
| (क)    | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹                       |           | 69550          |
| (ख)    | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹                       |           | लागू नहीं      |
| (ग)    | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹                       |           | लागू नहीं      |
| (ग)(1) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹                       |           | लागू नहीं      |
| (घ)    | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹                       |           | 69550          |
| (ङ)    | राशिकृत पेंशन   | ₹                       |           | 2700           |
| (च)    | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹                       |           | 66850          |
| (छ)    | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹                       |           | लागू नहीं      |
| (ज)    | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹                       |           | लागू नहीं      |
| (झ)    | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹                       |           | लागू नहीं      |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

9050

9723

2003-2004 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, शिकन्दरा, आगरा।
- श्री विमल कुमार जैन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-9/400, मोती कटरा, आगरा-282003

को इस आशय से प्रेषित कि वह भुगतान प्राप्त करें।

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक 10864 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमल कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषागार, आगरा

शक्ति भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9051

13754

2015-2016 उपम०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री रामायण राम सेवानिवृत्त अधीक्षण का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
अभियन्ता

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक            | मूल्य                      |
|---------|---|-----------|-------------------|----------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |                   |                            |
| (ख)     | पीपीओओ संख्या   | 6862      | दिनांक 09.09.2015 |                            |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |                   | 02.09.1954                 |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |                   | श्रीमती कंचन               |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |                   | 15.10.1958                 |
| 2(क)    | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |                   | 30.09.2014                 |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |                   | छठा वेतनमान                |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |                   | 37400-87000 ग्रेड-पे-10000 |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |                   | 77000                      |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |                   | 38500                      |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |                   | 15400                      |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |                   | 23100                      |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |                   | 38500/- दि० 01.09.2021 तक  |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |                   | 23100                      |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | 40                | छमाहियां                   |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण   |           |                   |                            |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           | 14                | तालिका नं०                 |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |                   | 199600                     |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |                   | लागू नहीं                  |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |                   | 99800                      |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |                   | लागू नहीं                  |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |                   | लागू नहीं                  |
| (ग)(1)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |                   | लागू नहीं                  |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)  | ₹         |                   | 99800                      |
| (ङ)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |                   | 15400                      |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |                   | 84400                      |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |                   | 99800/- दि० 01.09.2021 तक  |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |                   | 59880                      |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |                   | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त रिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9051

13754

2015-2016 उपम०प्र०/

दिनांक-27.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उपरो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
2. श्री रामायण राम, सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियन्ता, पता-22/1, थानहिल रोड, शिविल लाइन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10665 दिनांक-29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेनसाइट, उपरोपायुक्तालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9052 10288 04-05 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-27.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रत्नेश कुमार मिस्तल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता | दिनांक                    |
|-------|------------------------------|-----------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |           |                           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 3319      | 17.11.2005                |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |           | 12.07.1946                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |           | श्रीमती आशा लता मिस्तल    |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |           | 15.09.1953                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |           | 31.07.2004                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |           | पांचवा वेतनमान            |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |           | 37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹         | 20,000                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹         | 24295                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹         | 3040                      |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹         | 21255                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |           | लागू नहीं                 |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹         | 14577                     |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |           | छमाहियाँ 66               |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |   |               |
|-----|---|---|---------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   | तालिका नं० 13 |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ | 1,39,100      |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |               |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ | 69550         |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ | लागू नहीं     |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ | लागू नहीं     |
| (ग) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ | लागू नहीं     |
| (घ) | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ | 69550         |
| (ङ) | राशिकृत पेंशन   | ₹ | 3040          |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय         | ₹ | 66510         |
| (छ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ | लागू नहीं     |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ | 41730         |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ | लागू नहीं     |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9052 10288 04-05 उ०प्र०/

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्री रत्नेश कुमार मिस्तल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-992-रोड नं० 01, ओल्ड पोस्ट ऑफिस लेन, राजकूपपुर, प्रयागराज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज। को प्रेषित पत्रांक 10666 दिनांक 29.03.2019 के सापेक्ष सम्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9053 13612 14-15 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम आधार त्रिपाठी सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक      | मूल्य                      |
|---------|---|-----------|-------------|----------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार   |           |             |                            |
| (ख)     | पी०पी०ओ० संख्या   |           | 09.12.2014  | 6657                       |
| (ग)     | जन्मतिथि  |           |             | 03.02.1950                 |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |             | लागू नहीं                  |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |             | लागू नहीं                  |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |             | 28.02.2010                 |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान   |           |             | छठा वेतनमान                |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |             | 37400-67000 ग्रेड पे-10000 |
| (घ)     | वेतन  | ₹         |             | 64,340                     |
| (ङ)     | मूल पेंशन   | ₹         |             | 32170                      |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |             | 11716                      |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |             | 20454                      |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |             | लागू नहीं                  |
| (झ)     | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |             | लागू नहीं                  |
| (ण)     | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           | छमाहियाँ 40 |                            |
| 3.      | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |             |                            |
| (क)     | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |             | तालिका नं० 14              |
| (ख)     | निर्धारित वेतन  | ₹         |             | 1,67,200                   |
| 4.      | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |             |                            |
| (क)     | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |             | 83600                      |
| (ख)     | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |             | लागू नहीं                  |
| (ग)     | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |             | लागू नहीं                  |
| (ग)     | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |             | लागू नहीं                  |
| (घ)     | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |             | 83600                      |
| (च)     | राशिकृत पेंशन   | ₹         |             | 11716                      |
| (च)     | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹         |             | 71884                      |
| (छ)     | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |             | लागू नहीं                  |
| (ज)     | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |             | लागू नहीं                  |
| (झ)     | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |             | लागू नहीं                  |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9053 13612 14-15 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री राम आधार त्रिपाठी, सेवानिवृत्ति अधिशासी अभियन्ता, पता-538 क/145, त्रिपेणीनगर-द्वितीय, पीली कोठी मौसगबाग, लखनऊ-226020।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रों 10667 दिनांक 29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9054 13623 14-15 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम मजन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.सं. | विवरण                        | अधिदर्षता                 |
|---------|------------------------------|---------------------------|
| (क)     | पेंशन का प्रकार              |                           |
| (ख)     | पीपीओओ संख्या                | 6691 दिनांक 15.01.2015    |
| (ग)     | जन्मतिथि                     | 01.09.1954                |
| (घ)     | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती राजबाला           |
| (ङ)     | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 21.06.1962                |
| 2.(क)   | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 31.08.2014                |
| (ख)     | तत्समय लागू वेतनमान          | छठा वेतनमान               |
| (ग)     | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 15800-39100 ग्रेड पे-8600 |
| (घ)     | वेतन                         | ₹ 35,160                  |
| (ङ)     | मूल पेंशन                    | ₹ 17580                   |
| (च)     | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 7032                    |
| (छ)     | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 10548                   |

|     |                              |                           |
|-----|------------------------------|---------------------------|
| (ज) | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | ₹ 17580 दि० 31.08.2018 तक |
| (झ) | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 10548 तदुपरान्त         |

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा छमाहियाँ 40

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार) | तालिका नं० 11 |
| (ख) | निर्धारित वेतन   | ₹ 91,100      |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन

|     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 45550                     |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ लागू नहीं                 |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं                 |
| (ग) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं                 |
| (घ) | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 45550                     |
| (ङ) | राशिकृत पेंशन   | ₹ 7032                      |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹ 38518                     |
| (छ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ ₹ 45550 दि० 31.08.2021 तक |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ ₹ 27330 तदुपरान्त         |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9054 13623 14-15 उपग्रो/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसाी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विन्टोरिया पार्क, मेरठ।
- श्री राम मजन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-168 बी० गली नं०-3, रामनगर, कंकर खेड़ा मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ। को प्रेषित पत्रांक 10688 दिनांक 29.03.2019 के सौंपक सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसाी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकालि०, राशिक मयन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9055 13614 14-15 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेश कुमार शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र. | विवरण   | अधिवर्षता | दिनांक     | मूल्य                     |
|------|---|-----------|------------|---------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार   |           |            |                           |
| (ख)  | पीपीओ संख्या  | 6682      | 15.12.2014 |                           |
| (ग)  | जन्मतिथि  |           |            | 17.07.1954                |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |            | श्रीमती आदेश शर्मा        |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |            | 14.11.1959                |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |            | 31.07.2014                |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान   |           |            | छठा वेतनमान               |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |            | 37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)  | वेतन  | ₹         |            | 69,960                    |
| (ङ)  | मूल पेंशन   | ₹         |            | 34980                     |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |            | 13992                     |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |            | 20988                     |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |            | ₹ 34980 दि० 16.07.2019 तक |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |            | ₹ 20988 तदुपरान्त         |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |            | छमाहियाँ 40               |
| 3.   | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |            |                           |
| (क)  | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमद्वारा तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                     |           |            | तालिका नं० 13             |
| (ख)  | निर्धारित वेतन  | ₹         |            | 1,81,500                  |
| 4.   | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |            |                           |
| (क)  | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |            | 90750                     |
| (ख)  | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |            | लागू नहीं                 |
| (ग)  | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |            | लागू नहीं                 |
| (ग)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |            | लागू नहीं                 |
| (घ)  | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |            | 90750                     |
| (ङ)  | राशिकृत पेंशन   | ₹         |            | 13992                     |
| (च)  | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये      | ₹         |            | 76758                     |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)  | ₹         |            | ₹ 90750 दि० 16.07.2021    |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |            | ₹ 54450 तदुपरान्त         |
| (ञ)  | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |            | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9055 13614 14-15 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री राजेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-जी-1, 6/89 सेक्टर-2 राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, जिला-गाजियाबाद।

को इस आराय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक 10689 दिनांक 29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०को०लि०, रावत भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9056 13693 14-15 उपग्रो/लेखा/पेंशन दिनांक:-27.03.2019

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री काशी प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिवर्षता                 |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |                           |
| (ख)   | पीपीओओ संख्या                | 6798 दिनांक 19.06.2015    |
| (ग)   | जन्मतिथि                     | 03.02.1955                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती बिस्नुना देवी     |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 01.01.1962                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      | 28.02.2015                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) | 15600-39100 ग्रेड पे-6600 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹ 26,770                  |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹ 13385                   |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹ 5354                    |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹ 8031                    |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | ₹ 13385 दि० 02.02.2020 तक |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹ 8031                    |
| (ण)   | पेंशन योग्य अईकारी सेवा      | छमाहियाँ 40               |

### 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        | तालिका नं० 11             |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ 69,700                  |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन                                      |                           |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ 34850                   |
| (ख) | पेंशन हेतु अईकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                      | ₹ लागू नहीं               |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ लागू नहीं               |
| (ग) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ लागू नहीं               |
| (घ) | दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ 34850                   |
| (ङ) | राशिकृत पेंशन   | ₹ 5354                    |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ 29496                   |
| (छ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ 34850 दि० 02.02.2020 तक |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ 20910                   |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ लागू नहीं               |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9056 13693 14-15 उपग्रो/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसत्री अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री काशी प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-एन-1/136, आशियाना कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 10670 दिनांक 29.03.2019 के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसत्री अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 9057 13608 14-15 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र. | विवरण   | अधिबर्षता | दिनांक     | मूल्य                       |
|------|---|-----------|------------|-----------------------------|
| (क)  | पेंशन का प्रकार   |           |            |                             |
| (ख)  | पी०पी०ओ० संख्या   | 6717      | 20.02.2015 |                             |
| (ग)  | जन्मतिथि  |           |            | 01.01.1955                  |
| (घ)  | पारिवारिक पेंशनर का नाम   |           |            | श्रीमती विमलेश              |
| (ङ)  | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  |           |            | अकित नहीं                   |
| 2(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि   |           |            | 31.12.2014                  |
| (ख)  | तत्समय लागू वेतनमान   |           |            | छठा वेतनमान                 |
| (ग)  | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)  |           |            | 15600-39100 ग्रेड पे-6600   |
| (घ)  | वेतन  | ₹         |            | 35,170                      |
| (ङ)  | मूल पेंशन   | ₹         |            | 17585                       |
| (च)  | पेंशन का राशिकृत भाग  | ₹         |            | 7034                        |
| (छ)  | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | ₹         |            | 10551                       |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर  |           |            | ₹ 17585 दि० 31.12.2019 तक   |
| (झ)  | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | ₹         |            | ₹ 10551 तदुपरान्त           |
| (ण)  | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा   |           |            | छमाहियाँ 40                 |
| 3    | दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-  |           |            |                             |
| (क)  | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |           |            | तालिका नं० 11               |
| (ख)  | निर्धारित वेतन  | ₹         |            | 91,100                      |
| 4    | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |           |            |                             |
| (क)  | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹         |            | 45550                       |
| (ख)  | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹         |            | लागू नहीं                   |
| (ग)  | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹         |            | लागू नहीं                   |
| (ग)  | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹         |            | लागू नहीं                   |
| (घ)  | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹         |            | 45550                       |
| (ङ)  | राशिकृत पेंशन   | ₹         |            | 7034                        |
| (च)  | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹         |            | 38516                       |
| (छ)  | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹         |            | ₹ 45550 दि० 31.12.2021      |
| (ज)  | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹         |            | ₹ 27330 तदुपरान्त लागू नहीं |
| (झ)  | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹         |            |                             |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9057 13608 14-15 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मोदीनगर, गाजियाबाद।
- श्री महेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम पिलखनवाली 510 इस्माईलपुर, जिला-बुलन्दशहर उ०प्र०।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक 10671 दिनांक 29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 9058 13609 14-15 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-27.03.2019

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

| क्र.  | विवरण                        | अधिबर्षता | दिनांक      | मूल्य                     |
|-------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| (क)   | पेंशन का प्रकार              |           |             |                           |
| (ख)   | पी०पी०ओ० संख्या              | 6684      | 09.01.2015  |                           |
| (ग)   | जन्मतिथि                     |           |             | 09.09.1954                |
| (घ)   | पारिवारिक पेंशनर का नाम      |           |             | श्रीमती रुषा गुप्ता       |
| (ङ)   | पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि |           |             | 12.09.1955                |
| 2.(क) | सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि      |           |             | 30.09.2014                |
| (ख)   | तत्समय लागू वेतनमान          |           |             | छठा वेतनमान               |
| (ग)   | वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे) |           |             | 37400-67000 ग्रेड पे-8900 |
| (घ)   | वेतन                         | ₹         |             | 68,260                    |
| (ङ)   | मूल पेंशन                    | ₹         |             | 34130                     |
| (च)   | पेंशन का राशिकृत भाग         | ₹         |             | 13652                     |
| (छ)   | राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | ₹         |             | 20478                     |
| (ज)   | पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   |           |             | ₹ 34130 दि० 08.09.2019 तक |
| (झ)   | पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | ₹         |             | ₹ 20478 तदुपरान्त         |
| (ण)   | पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    |           | छमाहियाँ 40 |                           |

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

|     |   |   |  |                           |
|-----|---|---|--|---------------------------|
| (क) | पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)                        |   |  | तालिका नं० 13             |
| (ख) | निर्धारित वेतन  | ₹ |  | 1,76,200                  |
| 4.  | प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन                                      |   |  |                           |
| (क) | मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार  | ₹ |  | 88100                     |
| (ख) | पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन                                    | ₹ |  | लागू नहीं                 |
| (ग) | शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | ₹ |  | लागू नहीं                 |
| (ग) | उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन                                  | ₹ |  | लागू नहीं                 |
| (घ) | दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)                                       | ₹ |  | 88100                     |
| (ङ) | राशिकृत पेंशन   | ₹ |  | 13652                     |
| (च) | राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय       | ₹ |  | 74448                     |
| (छ) | पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)  | ₹ |  | ₹ 88100 दि० 08.09.2021 तक |
| (ज) | पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | ₹ |  | ₹ 52860 तदुपरान्त         |
| (झ) | अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | ₹ |  | लागू नहीं                 |

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 9058 13609 14-15 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-20, आदर्श नगर, कल्याणपुर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 10672 दिनांक 29.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)